खण्ड-245, अंक-2
मंगलवार, 15 माघ, शक संवत् 1885
(4 फरवरी, 1964 ई0)

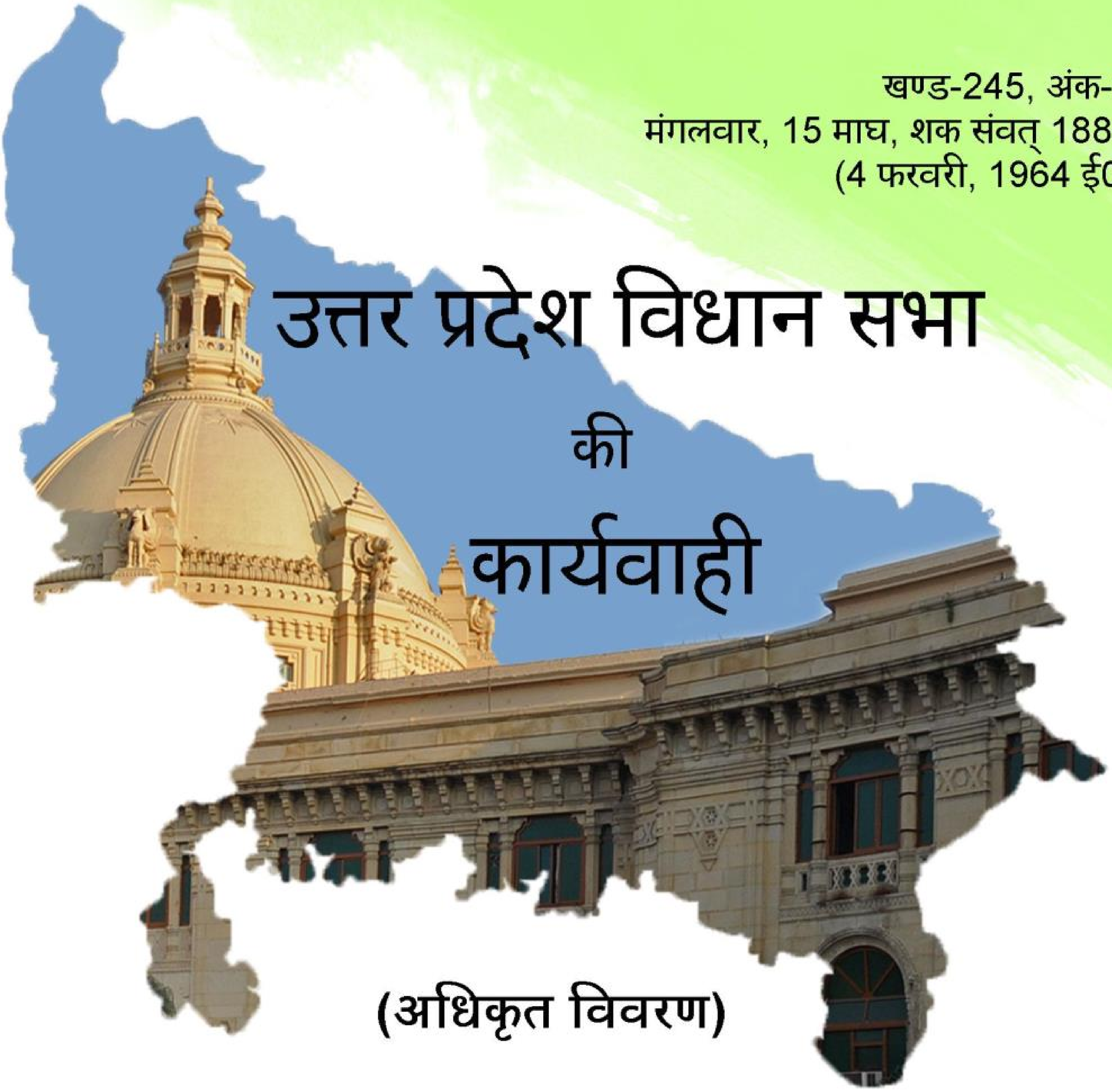

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१५–१९
प्रश्नोत्तर	१९–६१
प्रदेश में शीत लहर आदि से फसल की क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत) ..	६१–६२
अन्य सूचनाएं	६२–६५
साप्ताहिक कार्यक्रम	६५–६६
विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सम्बन्धित शास्ति के बारे में सूचना (जारी)	६६
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	६७–८०
विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सम्बन्धित शास्ति के बारे में सूचना	८०–८१
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	८१–१२८
विधेयकों का सदन में आने की व्यवस्था	१२८–१२९
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	१२९–१३१
नत्थियां	१३२–१४३

———

विधान परिषद्

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बकन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामुर्तुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोतमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभगतसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ४ फरवरी, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिकाओं में बोर्डों के परिसीमन का विरोध

**१--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा), श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल-मई, १९६४ ई० में होने वाले नगरपालिकाओं के चुनाव के लिये जिन नगरपालिकाओं के वार्डों के परिसीमन की सरकारी गजट में घोषणा की गई है उनके विरुद्ध पुनः विचार करके वार्डों का पुनः परिसीमन करने के लिये कितनी और कौन-कौन नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

अप्रैल-मई, १९६४, में होने वाले नगरपालिकाओं के चुनाव के लिये जिन नगरपालिकाओं के वार्डों के परिसीमन की घोषणा सरकारी गजट में की जा चुकी है उनके विरुद्ध पुनः विचार करने के लिये अभी तक केवल १२ नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र, जिनमें, संभल, गंजडुंडवारा, टांडा, सौरों, रथ, हसनपुर, कांधला, मरेहरा, हरिद्वार, बदायूं, कोईराना तथा बिलग्राम हैं, प्राप्त हुये हैं।

**२—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री ठम्बरेश्वरप्रसाद तथा श्री शारदाभक्तसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्रों के आने पर क्या सरकार वार्डों में परिवर्तन करने को सोच रही है ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन-सी नगर-पालिकायें हैं, जिनके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सभी प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन हैं अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है परन्तु जिन प्रार्थना-पत्रों में नगरपालिकाओं के परिसीमन के विरुद्ध पर्याप्त तथ्य पाये जायेंगे उनके वार्डों में आवश्यक परिवर्तन शीघ्र ही किया जायेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि जिला एटा में तीन नगरपालिका, गंजडुंडवारा, मारहरा और सोंरों जिनका परिसीमन बिलकुल ठीक हुआ है, उनमें अब कोई परिसीमन न किया जाय, सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह तो प्रश्नोत्तर में कहा गया है कि अगर तथ्य सही होंगे तो परिसीमन होगा वरना कोई जरूरत नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगी कि ये तथ्य जो आज वह कहती हैं कि अगर मिलेंगे तो फिर कुछ परिसीमन करायेंगे, क्या ये तथ्य उस वक्त नहीं थे और अगर नहीं थे तो अब परि-सीमन के लिये क्या-क्या तथ्य चाहिये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उस समय जब विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी तो एतराज करने वालों को १५ दिन की अवधि दी गई थी। १५ दिन तक जो तथ्य आये थे उनको देख कर फाइनल किया गया। जो आज एतराज आ रहे हैं वह सीधे मंत्री जी के पास आ रहे हैं और वे तथ्य देखे जा रहे हैं। यदि परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो किया जायगा, वरना नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक तो १२ नगरपालिकाओं की तरफ से प्रार्थना-पत्र आये हैं तो क्या इसके बाद भी जिन नगरपालिकाओं की तरफ से प्रार्थना-पत्र इस प्रकार के आते रहेंगे उन पर प्रतिदिन विचार चलता रहेगा या इसके लिये कोई सीमा निर्धारित की जायगी कि उस समय तक विचार होने के बाद फाइनल शेप दे दी जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रजातन्त्र में इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है कि इस प्रकार के एतराज करने वालों को रोक दिया जाय, किन्तु पहली मई से ३ जून तक जो चुनाव कराने की तिथियां हैं इस बीच में जब चुनाव आरम्भ हो जायगा तो उस वक्त एतराज सुनने की गुंजायश नहीं होगी।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारा परिसीमन हुआ तो उस समय कुछ तथ्य थे और अब कुछ नये तथ्य आ गये हैं जिस से परिसीमन आवश्यक हो गया . . .

श्री अध्यक्ष—

अब रिप्रिजेन्टेशन माननीय मंत्री जी के पास सीधे आ रहे हैं। वह उनको कंसीडर कर रहे हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

वह क्या हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मान्यवर, बहुत से तथ्य इस प्रकार के आये हैं कि जो जनगणना संसद् की हुई है जिसकी रिपोर्ट आई है वह असत्य है। यह सत्य है कि कुछ व्यक्तिगत लोगों ने इस प्रकार के एतराज लगाये हैं कि जो जनगणना लिखी गई है वह असत्य है। दूसरे कुछ साम्प्रदायिकता को लेकर कहा गया है कि कुछ वार्डों में जो शीट निश्चित हुई हैं उनमें कुछ परिवर्तन करने की मांग है।

यह जो बिलग्राम की बात है इसमें यह एतराज लगाया गया है कि सड़क के इस पार और उस पार के दोनों मुहल्लों को लेकर एक वार्ड बना दिया गया है। यह नहीं बनना चाहिये।

इस प्रकार के तथ्यों पर विचार हो रहा है और उसमें यदि कोई तथ्य सही होंगे और नियमबद्ध होंगे तो अवश्य परिवर्तन किया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

जो १५ जून तक की अवधि थी एतराज करने की उसके अन्तर्गत इटावा और औरैया से जो एतराज आये हैं उनका क्या परिणाम हुआ है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उनका परिणाम प्रकाशित हो चुका है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन एतराजों को सुनने के बाद नया नोटिफिकेशन करने से जो चुनाव की तिथियां हैं क्या उनमें अन्तर पड़ने की संभावना है? यानी क्या चुनाव स्थगित होने की संभावना है इसके कारण, यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि चुनाव निश्चित तिथियों पर ही हो सकें?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्यों ने इसी सदन में एक अल्पकालिक अधिनियम बनाया है जिसके अनुसार ३० जून तक चुनाव की अन्तिम तारीख है। उसके अन्तर्गत चुनाव की तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

जरवल चीनी मिल पर किसानों का बकाया

**३—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जरवल चीनी मिल बहराइच को कृषकों ने गन्ना देना बन्द कर दिया है? यदि हां, तो कारण क्या है?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान सीजन में इस मिल द्वारा गन्ने का मूल्य संतोषपूर्ण ढंग से भुगतान न किये जाने के कारण मिल गेट पर गन्ना देने वाले अधिकांश कास्तकारों ने जनवरी १२, १९६४ से जनवरी २५, १९६४ तक मिल को गन्ना देना बन्द कर दिया था जिस से निर्दिष्ट अवधि में मिल रुक-रुक कर चल सकी। २६ जनवरी, १९६४ से मिल को गन्ने की पूर्ति पूर्ववत् मिल गेट पर तथा गेट यूनियन के केन्द्रों पर जारी है।

**४—श्री रामआधार कनौजिया—

क्या यह सही है कि कृषकों व केन सोसायटी का एक दल माह नवम्बर, १९६३ में मुख्य मंत्री से मिला था ? यदि हां, तो कृषकों की क्या मांगें थीं और सरकार ने उन्हें क्या कोई आश्वासन दिया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। किसानों ने उक्त मिल से उनके गन्ने के मूल्य को दिलाने की मांग की थी और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है।

श्री रामआधार कनौजिया —

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ने का मूल्य कितना बकाया था और कृषकों को कितना भुगतान किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

पिछले वर्षों का जो दाम था वह तो उन्होंने सब दे दिया। डेढ़ लाख के करीब बाकी था। इस वर्ष २२ जनवरी, तक करीब ६३ हजार रुपया बाकी था और उसके बाद आज तक करीब १५ लाख रुपया बाकी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) —

क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केवल जरवल मिल ही ऐसा नहीं है। जहां किसानों को गन्ने का दाम न दिया जा रहा हो, बल्कि पिपराइज मिल, गोरखपुर में भी किसानों को उनका दाम नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को लिख कर ऐसी व्यवस्था करेगी कि वहां अथराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त हो जाय और उस मिल का इन्तजाम वह अपने हाथ में ले ले ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

सरकार ने सिफारिश ही नहीं की, बल्कि उसने अथराइज्ड कन्ट्रोलर को नियुक्त भी करवा दिया। फिर वे लोग कोर्ट में गये और कोर्ट से स्टे आर्डर मिला है। तमाम चीजें कोर्ट में कुर्क हैं। हमने तो अथाराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त करवा दिया था।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली) —

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो नियम हैं उनके अन्दर अगर मिल मालिक किसान को दाम न दे तो उसका प्रोसीक्यूशन हो सकता है या नहीं ? यदि हो सकता है, तो सरकार ने उसके लिये क्या कोई कदम अभी तक उठाया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

प्रासीक्यूशन तो हो सकता है लेकिन यहां सवाल इसलिये पैदा नहीं होता क्योंकि कोर्ट के आर्डर से ही सब काम हुआ है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

जरवल मिल क्षेत्र के किसान तो बाराबंकी जिले से हड़ताल कर रहे हैं उनसे मन्त्री जी ने यह कह कर रास्ता बतला दिया कि आप घर जाइये चार दिन के अन्दर तुम्हारा पैसा भिजवा देंगे, उस आश्वासन का क्या हुआ ? यह मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

मैंने उनसे यह बात नहीं कही, मैंने यह कहा था कि हम प्रयत्नशील हैं कि कोर्ट से वह चीनी बिकवा करके और अगर चीनी बिक जायगी तो मिल मालिकों से चार दिन के अन्दर भिजवा देंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) —

यह देखते हुये कि वह मिल इन्तहाई नादेहन्द है और किसानों का पेमेंट सही तौर से नहीं कर रहा है तो मन्त्री जी क्या उपाय सोच रहे हैं जिससे किसानों को राहत मिल सके और उन पर जो जुल्म हो रहा है वह कम हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार ने यह सोच करके गवर्नमेंट आफ इन्डिया को लिखा और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक अथराइज्ड कन्ट्रोलर अप्वाइंट कर दिया। वह रिट में चले गये तो कोर्ट ने स्टे कर दिया कि यह अथराइज्ड कन्ट्रोलर काम नहीं कर सकता। तो वह तो कोर्ट से स्टे है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जरवल मिल मालिक और सरकार के बीच में दिनांक २५ जनवरी, १९६४ को कोई बातचीत हुई थी ? यदि हां, तो दिनांक २८ जनवरी, १९६४ को बैंक प्रतिनिधि और सेक्रेटरी इन्डस्ट्रीज के बीच में जो बातचीत हुई और उनका पैसा भुगतान करने के लिये बैंक ने लिख कर दे दिया कि हम रुपया देंगे तो अब देने में क्या अड़चन है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

यह तो स्टेलमेट पड़ा हुआ है, रुपया मिल नहीं सकता, नेगोशियेशंस चल रहे हैं जिससे कोई रास्ता निकले और उनका भुगतान हो सके और सरकार को यह भी देखना है कि सरकार के भी ड्यूज मिल सकें।

श्री नवलकिशोर —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कहा कि पासीक्यूशन हो सकता है तो उन्होंने किसी का प्रासीक्यूशन किया, क्योंकि सब जगह तो कोर्ट के आर्डर्स हैं नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

अब कोई मेरे पास सूचना भी तो है नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) —

सरकार ने घोषित किया था कि इस साल नकद रुपया गन्ने के भुगतान का किसानों को मिलेगा, लेकिन १५ लाख रुपया मिलों पर बकाया है और महमूदाबाद, पेंतीपुर और फतेहपुर सेन्टरों का एक पैसा भुगतान नहीं हुआ है जबकि ये सेंटर मिल से ४० मील की दूरी पर हैं और किसानों को डी० आई० आर० में मजबूर किया जा रहा है कि गन्ना इसी मिल को दें जबकि बिसवां, जो १६ मील की दूरी पर दूसरी मिल है वहां गन्ना देने की किसानों को इजाजत नहीं है। तो क्या सरकार यह देखते हुये कि किसान इसके विरोध में भूख-हड़ताल कर रहे हैं, ११५ किसान भूख-हड़ताल कर रहे हैं तो क्या सरकार किसानों को इजाजत देगी कि वह अपना गन्ना बिसवां मिल को दे सके ताकि उनको नकद रुपया मिल सके और अगर मिल इस काम को नहीं करती है तो सरकार अपने हाथ में इसे डायरेक्ट लेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

थोड़ी सी गलतफहमी है। यह रुपया जो है यह पुराना नहीं है, यह इसी साल का है। हम इस कोशिश में हैं कि २–३ दिन में कोई इसका इन्तजाम हो जाय।

श्री रामआधार कनौजिया —

जरवल चीनी मिल पर इस समय सोसाइटी का कमीशन ९ लाख रुपये है, केन की प्राइस १५ लाख है, सरकार का सेस ४२ लाख है, तो इस सबके वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

इतना तो नहीं है, केन कमीशन ४ लाख २७ हजार है, और गन्ने का दाम करीब १५ लाख है। सेस के सही फिगर्स इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि तमाम रुपया मिलाकर करीब ३० लाख के है।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर) —

डाइमन्ड शुगर मिल पिपराइच पर जो २० लाख बकाया है, उसको दिलवाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये तो आप अलग से सवाल करें। सूचना की जरूरत होगी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई) —

सरकार ने १५ लाख टन चीनी पैदा करने का निश्चय किया था। उसके मातहत अब चीनी मिल मालिक जो पैसा नही दे रहेहैं उससे चीनी के प्रोडक्शन पर जो असर पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुये सरकार कौन से प्रभावकारी कदम उठाने जा रही है और क्या सरकार इनके खिलाफ मैक्जीमम शक्ति का प्रयोग करेगी?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी) —

यह पालिसी का सवाल नहीं है, वह तो हम मान ही चुके हैं। हर तरह से मिल मालिकों को दबाकर पैसा वसूल करने की कोशिश की जाती है। इस पर्टीक्यूलर केस में कुछ डिफिकल्टीज आ गयी हैं। बात यह है कि हमने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, मगर वे लोअर कोर्ट में गये, हाई कोर्ट में गये, फिर सुप्रीम कोर्ट में गये और वहां से वे स्टे आर्डर ले आये। उसके कारण हमारे अथाराइज्ड कन्ट्रोलर को कब्जा नहीं मिल सका। अब इस समय यह डिस्प्यूटेड मैटर है। सुप्रीम कोर्ड ने स्टे दे रखा है। उनका सारा स्टाक कोर्ट के आर्डर पर अटैच कर लिया गया है। अब कोर्ट के आर्डर से ही जो भी जरूरी कार्यवाही हो सकेगी, सरकार करेगी। पिछला रुपया तो कोर्ट के आर्डर से वसूल हो गया है, करेन्ट ड्यूज जो हैं उसका प्रश्न है। मीनवाइल एक स्कीम है कि ५ साल में यह सारा बकाया वह अदा कर देंगे। अभी वह स्कीम फाइनालाइज नहीं हुई है। उसमें वे कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। हम भी इस केस में बहुत तंग आ गये हैं और अब धीरज नहीं रह गया है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो। इसमें हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं बरती जायेगी, लेकिन कोर्ट अगर कोई कदम उठाने से हमें रोकता है तो हमारी मजबूरी है। हमने जो आफर किया है वह अगर फाइनालाइज नहीं होता है तो हम केन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे।

महंगाई एवं चीनी व सीमेंट का अभाव

**५—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई और सीमेंट एवं चीनी के अभाव को समाप्त करने के लिये उन्होंने कोई प्रभावकारी कदम उठाने का निर्णय किया है? यदि हां, तो वह क्या है?

रसद मन्त्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल) —

महंगाई की समस्या का सम्बन्ध सिर्फ इस राज्य से ही नहीं है। खाद्यान्नों के भाव बढ़ने से रोकने के लिये राज्य सरकार ने सारी सस्ती गल्ले की दुकान में अधिक से अधिक विदेशी गेहूं व आटा व चावल बिके व व्यापारियों पर कड़ी निगाह रखी जाय, के आदेश जारी किये हैं। प्रत्येक वस्तु पर कन्ट्रोल करना न सम्भव है नहीं वह जनहित में होगा। भाव तो आवश्यकता

वह पूर्ति के आधार पर बढ़ते गिरते हैं। सीमेंट एवं चीनी के अभाव को दूर करने की के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किये गये कि वे प्रदेश का कोटा उसकी आवश्यकता के आधार पर निर्धारित करें।

**६—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा मांग किये गये चीनी एवं सीमेंट के कोटे को बढ़ाने के सम्बन्ध में हाल ही में कोई निर्णय लेकर उन कोटों को बढ़ाया है ? यदि हां, तो कितना और वर्तमान कोटे की क्या स्थिति है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां, निर्धारित कोटे तो नहीं बढ़े किन्तु कुछ अतिरिक्त एलाटमेंट्स मिले हैं :

सीमेंट—१३,५०० मैट्रिक टन जनवरी से मार्च, १९६४ तक।

चीनी—२३ दिसम्बर, १९६३ से २२ जनवरी, १९६४ तक १,५०० मैट्रिक टन।

२३ जनवरी, १९६४ से २२ फरवरी, १९६४ तक १,५०० मैट्रिक टन।

इस प्रकार वर्तमान त्रैमास में सीमेंट १,६०,८०० मैट्रिक टन तथा चीनी उपरोक्त अवधि में ४०,००० मैट्रिक टन के स्थान पर ४३,००० मैट्रिक टन कोटा के रूप में जिलों को बांटी गयी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आम जनता की जिन्दगी कीमतों के बढ़ने से बड़े संकट में पड़ गई है, सरकार ने अपनी कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है चूंकि यह मसला पूरे मुल्क का है, ताकि वह राज्य सरकारों को कीमतों पर नियन्त्रण करने के अधिकार दें ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

यूं तो केन्द्रीय सरकार स्वतः ही इस बात पर जागरूक है, (हंसी व शोर) हमने जो ६० हजार टन आटा यहां पर मिलों में बनता है उसे करीब-करीब सबको उठाने की योजना बनाई है और हर जिले का कोटा निर्धारित कर दिया है कि इतना आटा फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा बांटें और जो उसे नहीं बांट पाता है और कीमतें बढ़ने देता है यह बात उसकी आयोग्यता का परिचायक होगी।

दूसरी बात यह है कि इन आंकड़ों से आपको अन्दाजा हो जायगा कि गत वर्ष से लगभग दुगुना गेहूं हमने इस अवधि में बांटा है। हमने केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त गेहूं भी मांगा है और करीब ४०, ५० हजार टन अतिरिक्त गेहूं हम और बांटेंगे। इस बटाई के बाद २ रुपये का कीमतों में उतारा आया, यह आपको मालूम ही होगा।

(व्यवधान) गेहूं की कीमत लगभग २ रुपये के घटी।

अनेक सदस्य—

नहीं घटी।

श्री अध्यक्ष—

उनका जवाब तो समाप्त होने दीजिये। बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

करीब १२,००० टन गेहूं हमने इस महीने में वितरण किया। आटा इसके अतिरिक्त किया है। एक बार में ८ रुपये का आटा एक्स्ट्रा हमने देने का प्रबन्ध कर रखा है। गेहूं भी अगर कोई राशन से ज्यादा लेना चाहता है तो ले सकता है। हमारा २ सेर ६ और ७ छटांक का आटा

न लेकर अगर कोई बाजार से १ सेर ६ छटांक का लेता है तो यह एक लग्जरी की सी बात हुई। मैं आह्वान करता हूं सारी जनता को कि वह फेयर प्राइस शाप्स से आटा खरीदे। गेहूं हमारा २ सेर ९ छटांक का है। उसे खरीदें।

श्री उग्रसेन —

हमारे देवरिया जिले में दूकानों में महीनों से गेहूं नहीं है। यहां [× × ×] करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप मन्त्री जी का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या १, २ व ३।

श्री चन्द्रजीत यादव —

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारा प्रश्न ७।। करोड़ जनता के जीवन से सम्बन्ध रखता है। सारी जनता कीमतों के बढ़ने से परेशान है। उस प्रश्न का उत्तर देते समय यदि कोई व्यवधान उपस्थित होता है तो आप सदन को आर्डर में लावें।

श्री अध्यक्ष—

तो आप यह कहिये कि आप उत्तर सुनना चाहते हैं। मन्त्री जी जारी रखें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

पिछले साल जनवरी में हमारा केवल ४६,५१५ टन उठा। इस समय १,०८,४८६ मीट्रिक टन उठा है। पिछले साल चावल हमारा ८०,००० टन उठा। इस समय ९०,००० उठा है। पिछले साल १,२६,००० के करीब और इस समय २ लाख है। हमने जिलाधीशों को अधिकार दे रखा है कि जितनी दूकानों की जरूरत समझें खोलें और हम राशन देंगे। लेकिन अगर आप उसका उपभोग नहीं करते हैं तो यह आपकी कमी है। हमारे पास स्टाक की कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, कमेंटरी न करके केवल जवाब दें कि आपने यह यह प्रबन्ध किया है। क्या उसका इफेक्ट है, उस पर न जावें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने वस्तुस्थिति बतला दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव —

बावजूद इसके जो कुछ मन्त्री जी ने बतलाया है, कीमतें बढ़ रही हैं चूंकि बड़े-बड़े जखीरेबाज और सट्टेबाज हावी हैं और सरकार की मशीनरी में खुले आम चोरबाजारी शामिल है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि २० रुपये में सीमेंट की बोरी और ८० रुपये मन चीनी बाजार में ले लीजिये। सरकार ने जो डी० आई० आर० किसानों पर लगाया है उसे इन लोगों पर लगा कर कीमतों को ठीक करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक सीमेंट का ताल्लुक है, सीमेंट की कमी अवश्य है। इसमें हमारी आवश्यकता....

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि सीमेंट का जखीरा लोग रखे हुये हैं और फलां फलां भाव से बेच रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है ? अगर आपको जानकारी है तो क्या उसके रोकने के लिये कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) —

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि गेहूं और आटा दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी भाव बढ़ रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि आटा और गेहूं नहीं आ रहा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि सीमेंट, आटा और चीनी के दाम गिराने के लिये क्या कार्यवाही सरकार ने की है ? चीनी तो इस साल भी ४ लाख टन कम हो रही है । क्या सरकार ने उस कमी को दूर करने के लिये कोई स्कीम बनायी है जिससे बढ़ते हुये दाम गिर सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

दाम गिराने का यही तरीका है कि हम माल ज्यादा दें और वह दे रहे हैं । हम दुनियां भर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) —

माननीय मन्त्री जी ने राज्य की जनता को आवाहन करते हुये कहा कि हमारे पास इतना आटा है कि जनता चाहे जितना ले, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उनके पास इस समय कितना आटा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

६० हजार टन ।

श्री जे० पी० मिश्र —

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी का ध्यान माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन की ओर गया है ? और क्या माननीय मन्त्रीजी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में रबी की क्राप बिलकुल तबाह हो गयी है और ६४ के पूरे वर्ष में सरकार को जनता को राशन देना होगा, तो क्या सरकार ने इसका इन्तजाम किया है ?

(मन्त्री जी को उत्तर देने के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री नवलकिशोर —

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि आज की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुये वे उत्तर प्रदेश में स्टेट ट्रेडिंग इन्ट्रोड्यूस करने का विचार रखते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

जहां तक चावल का सवाल है स्टेट ट्रेडिंग चल रही है । जहां तक गेहूं का ताल्लुक है हमारे पास फारेन गेहूं इतना ज्यादा है कि उसके बारे में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) ---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की जागरूकता और राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का क्या फल हुआ है ? पिछले तीन महीनों में किन-किन चीजों के दाम घटे हैं ? इस पर प्रकाश डालने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने अर्ज किया कि हमारे वितरण की वजह से असर पड़ा, मगर जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि आसमान से पानी बरसता नहीं है, और आपोजीशन वाले साइकालोजिकल ऐटमोसफेयर क्रिएट कर रहे हैं जिससे प्राइवेट डीलर्स और महंगाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी शक्ति का परिचय दें जिससे अच्छा वातावरण बन सके।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि इस प्रदेश का चीनी का कोटा बढ़ा दिया जाय लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया है और माननीय मंत्री जी दिल्ली गये थे तो इस सम्बन्ध में उनसे कहा गया था कि आगे कोटा बढ़ा दिया जायगा लेकिन अभी तक हमारा कोटा नहीं बढ़ाया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मेरी स्वयं सरदार साहब (फूड मिनिस्टर) से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हमने एक हजार पांच सौ टन कोटा बढ़ा दिया है और यह भी कहा कि प्रदेश में जितनी चीनी पैदा होगी उसी पर यह निर्भर करता है कि आगे चीनी का कोटा बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट की कमी का मुख्य कारण यह भी है कि हमारा जितना एलाटमेंट का कोटा एक जिले में है उसका ७५ प्रतिशत प्लानिंग को दे रखा है जहां उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और हजारों बोरे सड़ गये ? यदि हां, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां वैसा स्टाक ऐसे ही पड़ा है, उसको दूसरे उपयोग के लिये दिया जा सकता है जहां उसका इस्तेमाल हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

चूंकि तकाबी का इस्तेमाल नहीं किया गया इसलिये सीमेंट पड़ी रह गयी। प्लानिंग को प्राथमिकता दी गयी।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि क्या प्लानिंग के लिये जो सीमेंट आपने दी है, वह वैसे ही वहां बेकार पड़ी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ६० हजार टन आटा उनके स्टाक में है लेकिन सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के नियम इतने कड़े बने हुए हैं कि उसके लिये पहले बी० डी० ओ० से लिखाना पड़ता है, फिर तहसीलदार से लिखाना पड़ता है और इस तरह से करीब दो-तीन महीने दूकान मिलने में लग जाते हैं, तो क्या सरकार उन नियमों को कुछ सहल करने के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे आगे लोगों को दूकान मिलने में दिक्कत न हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दे रखे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि जिन नियमों के अन्तर्गत दूकानें खोली जाती हैं वे नियम इतने कड़े हैं जिसके कारण बड़ी परेशानी होती है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिये क्या उन नियमों को थोड़ा सहल बनाया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वे जिसे चाहे प्राथमिकता दें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की गम्भीरतापूर्वक जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिले में जो चीनी के होलसेल डीलर्स हैं उनसे ज्यादा दाम फुटकर विक्रेता ले रहे हैं और इस तरह से ज्यादा चीनी ब्लेक में चली जाती है और सीमेंट का भी यही हाल है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने अपने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर्स को आदेश दे रखे हैं कि इस तरह की चीजें न हों, इसका वे ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष—

वे पूछ रहे हैं कि आप की नोटिस में इस तरह की बात आयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इन लोगों से सुन-सुन कर ही मैंने ये आदेश दिये हैं।

तारांकित प्रश्न

मझगावां की सुरक्षा के लिये राप्ती पर ठोकर निर्माण

*१—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में मझगावां ग्राम में राप्ती के कटाव से बचाने के लिए कोई लकड़ी की ठोकर बनाने के लिए सरकार ने अपनी योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त योजना की प्रगति क्या है और उस पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री शान्तिप्रसाद शर्मा—

इस योजना के अन्तर्गत मझगावां बांध को रिटायर करना और मझगावां ग्राम को रक्षा प्रदान करना है। इसी योजना के अन्तर्गत बल्लियों के ठोकर बनाना है। ठोकर बनाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है और इस पर लगभग ४२,००० रु० व्यय हो चुका है।

*२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त ठोकर बनाने के लिए बल्लियों की खरीद कहां-कहां से और किस रेट पर की गयी है ? यदि टेन्डर मांगा गया है, तो उक्त टेन्डर की सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई कि नहीं। और जिन-जिन लोगों ने टेन्डर दिया था उनके रेट और नाम क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बल्लियों की सप्लाई श्री मुन्नीलाल ठेकेदार द्वारा जिस रेट पर हुई उसका ब्योरा संलग्न सूची २ में दिया हुआ है। इसके लिए टेन्डर नहीं मांगे गये बल्कि कोटेशन्स मांगे गये थे जिनको समाचारपत्रों में समय कम होने के कारण प्रकाशित नहीं किया गया। जिन लोगों ने कोटेशन्स दिए उनके नाम और रेट संलग्न सूची १ में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३२ पर)

*३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बल्ली देने के लिए कुल कितने रुपये का एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट रेट किस-किस प्रकार की बल्लियों का, क्या-क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बल्ली देने के लिए कुल १९,७७२ रु० का एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट रेट किस-किस प्रकार की बल्लियों का क्या-क्या था इसका विवरण संलग्न सूची २ में दिया हुआ है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह कार्य जो पूरा कर दिया गया है ठोकर लगाने का, तो क्या उससे इस गांव की रक्षा की जा सकी है और इसकी रिपोर्ट मंत्री जी के पास है, या नहीं, कि यह योजना पूरी हुई है या उसमें कोई कसर है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस योजना में ४ काम करने थे, एक तो बांध को ५ फर्लांग पीछे हटाना, पूरे बांध को ऊंचा और पूरा करना, और २ जगह पूरा करना और बल्लियों की ठोकर बनाना, २ पक्के रेगुलेटर बनाना। अब रिटायर बांध बन चुका है, ४२ हजार का खर्च यह है और जो बांध टूटा है उसको भी बना दिया गया है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मंत्री जी के दिमाग में अब यह निश्चय हो गया है कि ठोकर बनने की योजना के बाद अब गांव की रक्षा हो गई है और अब वह नहीं कटेगा या अभी भी उसमें कोई कमी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

इस रिटायर बांध के बनने से आशा है कि उस गांव की रक्षा हो जायगी।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राप्ती नदी के कटाव से जो गांव कट रहे हैं उन सबके बचाव के लिये ठोकर लगाने की सरकार की कोई योजना है या नहीं और क्या सूचना मिलने पर वहां भी सरकार ठोकर लगाने की कृपा करेगी।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तमाम गांवों की रक्षा करना तो अभी सम्भव नहीं है लेकिन यह जरूर कोशिश की जाती है कि जहां रक्षा करने की आवश्यकता अधिक हो जाती है वहां रक्षा की जाती है।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

यह देखते हुए कि मझगावां की ठोकर उपयोगी सिद्ध हुई है क्या सरकार बर्ड घाट से बड़हलगंज के बीच सर्वेक्षण करा कर अन्य स्थानों पर भी ठोकर लगवायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह योजनायें फ्लड कंट्रोल बोर्ड के सामने जाती हैं जिनको रूरल मैन पावर यूटीलाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत बनवाते हैं। अगर आप और योजना चाहेंगे तो उनको भी दिखवा देंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

जैसा माननीय शुक्ल जी ने कहा कि जब यह योजना सफल सिद्ध हुई तो राप्ती के किनारे के और गांवों के बारे में भी ऐसा किया जायगा? अगर आबादी का ख्याल भी किया जाय तो जिन गांवों की आबादी मझगावां से ज्यादा है वहां पर अविलम्ब ठोकर लगवायेंगे? अगर नहीं तो क्या कारण है? इससे फ्लड कंट्रोल बोर्ड का क्या सम्बन्ध रहा है, क्या यह योजना उसके सामने गयी है? अगर नहीं गयी है तो मंत्री जी इस योजना के तहत में और दूसरे गांवों को बचाने की कोशिश करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह योजना बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सामने १९६३ की बैठक में स्वीकृत हुई। अगर यह योजना ठीक साबित हुई है और आपने इनके लिये रुपया दिया तो और योजनायें भी हम बोर्ड से मंजूर करा लेंगे। सब बात रुपये पर मुनहसिर करती है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मंत्री जी जरा ठेकेदारों के रेट की सूची देखें जिसमें श्री गंगाप्रसाद भारतीय ने २१ रु० का कोटेशन दिया, श्री श्रीनाथप्रसाद ने २४ रु० का कोटेशन दिया जब कि श्री मुन्नीलाल गुप्ता का २९.३१ न० पै० का कोटेशन था जो बाद में २७.२५ न० पै० पर स्वीकृत हुआ, तो जो कोटेशन २१ रु० का था उसको न मानने का क्या कारण है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसको आपने ठीक से पढ़ा नहीं। इसमें दो बातें थीं पहली यह कि रुपया दें और दूसरी यह कि ७ इंच बल्ली मांगी थी जब कि उनका कोटेशन १२ इंच बल्ली का है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मंत्री जी जरा पढ़ लें। श्री मुन्नीलाल को जो ठेका २७.२५ न० पै० पर दिया गया यह प्राइवेट निगोशियेन्स करके बाद में दिया गया। इसको अखबारों में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? और अगर एक आदमी से प्राइवेट निगोशियेन्स करके कीमत कम करायी गई तो और लोगों से भी ऐसे ही निगोशियेन्स क्यों नहीं किये गये?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप यह देखेंगे कि कोटेशन मांगने के लिए १८ मई थी और जैसा कि नियम है हर दफ्तर में यह सूचना भेज दी गई थी। प्रकाशन का समय नहीं था।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्यों समय नहीं था?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

काम जल्दी कराना था। १८ मई हो गयी थी। अगर इसको अखबारों में प्रकाशित कराते तो समय लगता। इसलिए गोरखपुर के जितने भी विभाग थे उनके सभी दफ्तरों में यह भेज दिया गया कि ये लोग अपनी-अपनी कोटेशन दें। कोटेशन देने पर जो लोएस्ट कोटेशन थी वह हमने स्वीकार नहीं की। इसलिए बातचीत की और लोएस्ट से कम कराकर उसको दे दिया। जो लोएस्ट था उसको भी बुलाया गया लेकिन वह नहीं आया। उसको खत्म करके दूसरे को दे दिया।

ग्राम चुनाव में अमरोहा तहसील के पटवारियों का भत्ता

*४—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बतायेगी कि तीसरे जनरल एलेक्शन में तहसील अमरोहा के जिन पटवारियों ने एलेक्शन में काम किया था उनके भत्ते और खर्च की अदायगी कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

तृतीय सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में अमरोहा तहसील के सभी पटवारियों ने अपने ही क्षेत्र में कार्य किया था। अतः उन्हें यात्रिक तथा दैनिक भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि फी पटवारी कितना रुपया एलेक्शन खर्च के लिए दिया गया और क्या बैलगाड़ी आदि का इन्तजाम स्वयं पटवारियों ने किया था? यदि हां, तो क्या उस खर्च की अदायगी कर दी गयी?

श्री जयराम वर्मा—

पटवारियों को पोलिंग स्टेशन बनवाने का कार्य सौंपा गया था जिसके लिये सभी आवश्यक सामग्री निश्चित स्थान पर पहुंचाने का प्रबन्ध तहसील अमरोहा द्वारा किया गया था। परन्तु ऐसे स्थानों पर जहां बैलगाड़ियों के अतिरिक्त अन्य कोई सवारी नहीं पहुंच सकती थी वहां के पटवारियों द्वारा कुछ बैलगाड़ियों का प्रबन्ध पोलिंग कर्मचारियों को पहुंचाने के लिये कराया गया था जिनके किराये का भुगतान पटवारियों ने स्वयं अपने पास से किया। यह धन अभी पटवारियों को वापस नहीं मिल पाया है क्योंकि उनके बिल एक वर्ष बाद निर्वाचन कार्यालय, मुरादाबाद, में प्राप्त हुये थे, जिन पर महालेखापाल, उत्तर प्रदेश की पूर्व-समीक्षा आवश्यक हो गयी थी। यह बिल पूर्व समीक्षा के लिये भेजे जा चुके हैं जिनका भुगतान वापस प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा।

गोंडा जिले में गांव ऊंचे करने पर व्यय

*६—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला के परगना ग्वारिच में बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए किन-किन गांवों को जनवरी, १९६२ से जून, १९६३ तक ऊंचा किया गया और प्रत्येक गांव को ऊंचा करने में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिन ग्रामों को जनवरी, १९६२ से जून, १९६३ तक पूर्णतया ऊंचा किया गया तथा उन पर जो धनराशि खर्च हुई वह संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३३ पर)

श्री गिरजाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव ऊंचे किये गये, वे पूरे गांव ऊंचे किए गये हैं या थोड़े-थोड़े ऊंचे किए गये हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो पूरे ऊंचे किए गये हैं और जहां काम समाप्त हो चुका है वह तो ५ हैं। बाकी गांव में काम जारी है।

R.A. 0906
132687

श्री गिरजाप्रसाद—

मांझा में थोड़े-थाड़े घर आबाद हैं और थोड़ी-थोड़ी जगह ऊंची की गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समूचे गांव के गांव ऊंचे किये गये हैं। अगर थोड़े घर ऊंचे किये गये हैं तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने गांव ऊंचे किये गये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऊंचा करने की जो योजना है उस योजना के अनुसार ५ गांव ऊंचे किये गये हैं और बाकी १७ गांवों में काम जारी है।

गेरुई नाले पर रेगुलेटर बनाने का सुझाव

*७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में स्थित वह नाले का पानी जो श्री नगर जलाशय से माह पूस (जनवरी) में निकाल कर राप्ती नदी में गेरुई नाला को साफ कर अंग्रेजों के शासन के समय गिराया जाता था, जिससे किसान जोरों आदि की फसल नाले के किनारे कर लेते थे ? क्या वह सुविधा अब भी किसानों को प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जांच की जा रही है।

*८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पानी को खारिज करने के लिए कोई (Regu ato:) गेरुई नाले पर बनवाने की योजना पर विचार करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गेरुई नाले पर रेगुलेटर लगाने की कोई योजना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि जांच कब शुरू की गयी थी और कब खत्म होने की उम्मीद है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो प्रश्न आपने ८ में किया था उसकी इन्क्वायरी हमने की थी। हुआ यह है कि जो उत्तर आये हैं उन उत्तरों में से मैं संतुष्ट नहीं था। डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट और इन्जीनियर से जो उत्तर आये हैं उनके सम्बन्ध में मैंने और ज्यादा क्लेरीफिकेशन मंगवाई है। फिर आपको बता दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीनगर ताल को जनवरी के महीने में खोलने से जो १५०० एकड़ जमीन में बोरों की काश्त होती थी उस ताल को अब क्यो नहीं खोला गया ? तो क्या माननीय मंत्री जी जिलाधीश को आदेश देंगे कि जल्दी से जल्दी बांध खुलवा दें जिससे १,५०० एकड़ जमीन में काश्तकार बोरों की फसल लगा सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी जांच करा लेंगे। इसका जो पानी बाहर जाता था जिस नाले से वह जम कर ऊंचा हो गया। पहले साधारण श्रमदान से काश्तकार उस नाले को खोद दिया करते थे और पानी निकल जाया करता था। बड़ा भारी वह नाला है और खोदने के बावजूद भी अब पानी नहीं जाता है। इस सम्बन्ध में एक लम्बी स्कीम है उस स्कीम को श्रमदान से पूरा करें या सरकार करे सबसे बड़ा प्रश्न यही हमारे सामने है।

कोल असला परगने में सिंचाई व्यवस्था

*९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कोल, असला, तहसील व जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तर के गांवों फूलपुर मानी, करिखियाव, परसरा, खालिसपुर, रतनपुर, धरसौना, देंडजी, बरवां, जलालपुर, फतेपुर, कटौना, कामापुर, चितौरा, सहमलपुर, गजोखर, नवोय आदि के लिये सिंचाई की अब तक क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ग्राम करखियांव में एक नलकूप लगा दिया गया है। ग्राम परसरा, सहमलपुर, तथा नवोय के कुछ भाग को केराकत रजबहे से पानी मिल रहा है। शेष ग्रामों में अभी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

*१०—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में केराकत वाली नहर जो भाऊपुर से होकर जाती है उससे पानी देने के लिये फूलपुर माइनर तथा फत्तेपुर माइनर के लिये सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक माइनर न बनाने का कारण क्या है जब कि उक्त क्षेत्र में ट्यूबवेल भी लगाने की मनाही कर दी गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उक्त माइनरों का सर्वेक्षण गोमती बांध योजना से सम्बन्धित था। चूंकि यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं की गई अतः उनका निर्माण नहीं किया जा सका। जलकूप लगाने की कोई मनाही नहीं की गई है।

*११—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक छोटी माइनर गांव गजोखर के पश्चिम से बरवा देउ जी तक के लिये भी सर्वे हुआ है या होगा ? यदि हां, तो माइनरों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस सम्बन्ध में न कोई सर्वेक्षण हुआ है और न प्रस्तावित है।

श्री ऊदल—

क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो ट्यूबवेल लगा है यह सन् १९५२ के आसपास लगा है और आज तक उस इलाके में कोई ट्यूबवेल नहीं लगा ? क्या सरकार आश्वासन देगी कि इस इलाके का सर्वेक्षण करा कर और ट्यूबवेल्स लगाये जायंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि वहां और कोई ट्यूबवेल नहीं लगा लेकिन अगर आगे वाराणसी जिले को कोई कुएं मिले, जो कि रुपये पर निर्भर है, तो सर्वेक्षण किया जायगा।

श्री ऊदल—

केराकत नहर का ३ साल पहले सर्वेक्षण हुआ था जिसमें से फतेहपुर तथा फूलपुर माइनर के नाम से सर्वेक्षण हुआ था। इसीलिये सरकार ने ट्यूबवेल की स्कीम स्थगित कर दी लेकिन अब सरकार ने कहा कि स्थगित नहीं की है तो क्या विभाग ने गलत जबाब दिया है और सरकार उसकी जांच करायेगी और फूलपुर तथा फतेहपुर माइनर्स की योजना को पूरा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गोमती पर एक योजना बनाने की थी वह योजना अभी स्थगित कर दी गयी है।

श्री ऊदल—

गोमती तो १५ मील दूर है वहां गोमती बांध का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वह बनारस का सरहदी इलाका है। मेरा प्रश्न है कि केराकत मायनर है उसका सर्वेक्षण कराकर सरकार छोटे-छोटे मायनर्स निकालेगी ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि आपकी इंफार्मेशन गलत है। आप फिर से इसकी जांच करा लीजिये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप कहते हैं तो फिर से इसकी जांच करा लूंगा।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के विचाराधीन जूनियर नोटर व ड्राफ्टरों की अपील

*१२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १४ नवम्बर, १९६१ के प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया था कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के नोटर व ड्राफ्टरों की सीनियारिटी में एक प्रोमोटेड रोटीन ग्रेड क्लर्क तथा एक बाहर से परीक्षा पास किये हुए नोटर-ड्राफ्टर को रखा जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस आश्वासन की पूर्ति अभी तक क्यों नहीं हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। अतः उसकी पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

*१३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, के कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्कों की नियुक्ति तथा सीनियारिटी देने के सम्बन्ध में कुछ आज्ञाएं अपने पत्र सं० ३८३८—B/XXIII, दिनांक १३ अक्तूबर, १९४९ द्वारा दी थीं ? यदि हां तो उनका पालन मुख्यअभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा क्यों नहीं हो रहा है और जिस के फलस्वरूप उसने मनमाने ढंग से अपने कार्यालय के नोटर व ड्राफ्टरों की सीनियारिटी बदल दी है और कुछ को स्थायी कर देने के बाद भी अस्थायी कर दिया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक १३-१०-४९ की राजाज्ञा में शासन ने मुख्य अभियन्ता को यह सूचित किया था कि उनके कार्यालय के अपर ग्रेड के कर्मचारियों की वरीयता के संबंध में सेवा नियमों में किस प्रकार की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार

बाहरी अभ्यर्थियों की आपस में सीनियारिटी तथा विभागीय कर्मचारियों की आपस में सीनियारिटी के सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे। बाहरी अभ्यर्थियों व विभागीय कर्मचारियों की (inter-Se Seniority) किस आधार पर निश्चित की जायेगी इसके लिये उपर्युक्त राजाज्ञा में कोई आदेश नहीं दिये गये थे। अतएव उन आज्ञाओं के उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक सीनियारिटी के बदलने और स्थायीकरण के बाद अस्थायी करने का सम्बन्ध है स्थिति इस प्रकार है कि मुख्य अभियन्ता ने, जो सेवा नियम बनाये जा रहे थे, उनके आधार पर दोनों प्रकार के लिपिकों की वरीयता सूची तैयार करके कुछ लिपिकों के स्थायीकरण के आदेश दिये थे। इस पर कुछ लिपिकों ने आपत्तियां कीं। फलतः मुख्य अभियन्ता ने कथित आदेश को निलम्बित करके एक मीटिंग बुलाई जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया। कथित मीटिंग के निर्णय के अनुसार जो नई सीनियारिटी लिस्ट बनाई गई जो कि विभाग की पूर्व प्रचलित प्रथा के अनुसार थी, उसके अनुरूप लिपिकों का स्थायीकरण किया गया है, जिसके फलस्वरूप अनिवार्यतः कुछ रद्दोबदल हो गई।

बुलन्दशहर जिले में बाढ़ सुरक्षा योजना

*१४—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में बाढ़ रक्षा योजना के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है और वह कौन-कौन से स्थानों पर व्यय होगी ?

श्री गिरधारी लाल—

बाढ़ सेक्टर के अन्तर्गत इस जिले में १४.६६३ लाख रु० व्यय करने की व्यवस्था की गई है और यह धन किन-किन स्थानों पर व्यय होगा इस विषय में जो सूचना इस समय उपलब्ध है, माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

*१५—श्री जसरामसिंह—

क्या जिला बुलन्दशहर में काली नदी, करौ नदी, हिंडन नदी में जो बाढ़ सितम्बर, १९६३ में आयी, उससे कितने गांवों को क्षति पहुंची और क्या काली नदी के बांध की योजना सरकार के विचाराधीन है, जिससे हर वर्ष बुलन्दशहर को जो क्षति पहुंचती, है वह न पहुंचती ?

श्री गिरधारीलाल—

बुलन्दशहर जिला में १,४१९ ग्राम सितम्बर, १९६३ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए।

काली नदी पर बांध की योजना सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

*१६—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि चाचली गांव, जिला बुलन्दशहर जो खुर्जा तहसील में है उस गांव की हजारों बीघा जमीन बाढ़ के पानी से आज भी डूबी हुई है ? यदि हां तो इस गांव की बरबादी रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जांच-पड़ताल करने पर पता चला कि ग्राम चाचली में हजारों बीघा भूमि तो नहीं बल्कि लगभग २५ एकड़ भूमि जलमग्न हुई। ग्रामवासियों के विरोध के कारण इस भूमि की जल-

---

नोटः—तारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

निकासी के लिये कोई योजना अभी तक नहीं बनाई जा सकी यहां तक कि उन्होंने सर्वेक्षण करने में भी बाधा डाली ।

पुरवा बस स्टेशन

*१७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुरवा, जिला उन्नाव का बस स्टैण्ड बनाने के लिये १९५१–५२ में सरकार ने जमीने ली और उसके लिये धन भी स्वीकृत हुआ तो फिर उस बस स्टेण्ड के न बनने के क्या कारण है और वह कब तक बन जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जमीन सन् १९५४ में ली गई थी लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसमें से सड़क के लिये जमींन ले लेने के बाद बाकी जमीन नाकाफी रह गई । और जमीन लेने की कार्यवाही की जा रही है । बस स्टेशन की तैयारी का ठीक समय बताना अभी कठिन है ।

मुरादाबाद बस स्टेशन पर स्थानाभाव

*१८—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शहर मुरादाबाद के बस स्टैन्ड पर कुछ सर्विसेज बढ़ जाने की वजह से और जगह की कमी की वजह से तंगी रहती है जिसके कारण बसें सड़कों पर खड़ी की जाती हैं और जनता को बहुत ही असुविधा होती है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार किस तरह से उस असुविधा को दूर करने का विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । और जमीन खरीद ली गई है जिसे बसों के पार्किंग के लिये ठीक किया जा रहा है ।

नारायनी नहर कटने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

*१९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि उनको कोई महजरनामा गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के किसानों का तारीख १३ अगस्त, १९६३ का प्राप्त हुआ है, जिसमें नारायनी नहर पर डोमा के सामने के पास पुल के एक फर्लांग उत्तर की ओर जो नहर काटी गई है, उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

काफी छानबीन के बावजूद महजरनामे के दिये जाने का पता नहीं लगा । अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता ।

*२०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी जांच कर बतायेंगे कि उपरोक्त नहर ३१ जुलाई, १९६३ को काटी गई है और काटने के पहले उस क्षेत्र के विधायक तथा परगनाधीश श्री बी० क्यू० रिजवी ने मौके पर जाकर किसानों के बीच में भाषण दिये थे कि आप लोग नहर काटें ? यदि हां, तो किसानों के ऊपर कार्यवाही करने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । चूंकि समझाने पर भी किसानों ने नहर को जबरदस्ती काट दिया इसलिये उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई ।

सरजू कैनाल डिवीजन गोंडा

*२१—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरजू कैनाल डिवीजन गोंडा की स्थापना किस साल की गई थी तथा उसमें कितने डिवीजन काम कर रहे थे ?

श्री गिरधारीलाल—

आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३४ पर)

*२२—श्री रामलखन वकील—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त कैनाल डिवीजन के मातहत चित्तौरगढ़ रिजर्वायर कन्सट्रक्शन डिवीजन, बलरामपुर तथा रिजर्वायर डिवीजन गोंडा में रिजर्वायर निर्माण पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया और कौन-कौन से कार्य उसमें पूरे हुये तथा उससे कितनी सिंचाई हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

चित्तौरगढ़ रिजर्वायर कन्सट्रक्शन डिवीजन, बलरामपुर तथा रिजर्वायर डिवीजन गोंडा में रिजर्वायरों के निर्माण पर कुल व्यय ११,५०,६३७ रु० हुआ है । चूंकि योजनाओं पर काम रोक दिया गया था अतएव किसी कार्य के पूर्ण होने अथवा उनसे सिंचाई होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२३—श्री रामलखन वकील—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २५–३० लाख रुपये खर्च होने के बाद उक्त डिवीजन तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा रिजर्वायर निर्माण के वास्ते किसानों की जो भूमि ली गई थी, उसका क्या हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा कि प्रश्न संख्या २२ के उत्तर में कहा गया है उक्त डिवीजनों में ११,५०,६३७ रु० व्यय हुआ । चूंकि इन डिवीजनों के अन्तर्गत बनने वाली योजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण ये योजनायें अत्यधिक अलाभकर हो गई थीं तथा राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति के कारण भी खर्च में कमी करने की आवश्यकता पड़ गई थी अतः उक्त डिवीजन तोड़ दिये गये । रिजर्वायरों के निर्माण के सम्बन्ध में जो भूमि ली गई थी वह मुख्यतया उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी गई है ।

सिंचाई डिवीजन, महोबा के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न मिलना

*२४—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के G.O. no. G11996/X—206-1955, dated 7th Dec. 1959 के अनुसार जो २ रुपये मासिक वेतन वृद्धि सिंचाई विभाग के निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों की हुई थी वह अभी तक महोबा डिवीजन (हमीरपुर) बुन्देलखंड सर्किल् के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र सन् १९५९ ई० से अब तक की प्रति मास को शेष धनराशि उन कर्मचारियों को

दिलाने की कृपा करेगी और भविष्य में भी बढ़े हुये वेतन सहित मासिक-वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। महोबा डिवीजन, बुन्दलखंड सर्किल के पतरोलों को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या जी–१–१९९६/एक्स–२०६–१९५५, दिनांक ७ दिसम्बर, १९५९ द्वारा वेतन वृद्धि लाभ नहीं दिया जा सका। पतरोलों के वेतन के एरियर दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है और ऐसे आदेश मुख्य अभियन्ता द्वारा दे दिये गये हैं कि भविष्य में उनके बढ़े हुये, वेतन सहित मासिक वेतन दिया जाय।

*२५—श्री मदनपालसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, महोबा, डिवीजन बुन्देलखंड सर्किल के अमीनों तथा मुन्शियों के वेतन इंकीमेंट तथा टी० ए० के एरियर्स कई वर्षों से शेष पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, बुन्देलखंड सर्किल के महोबा डिवीजन, में कुछ अमीनों तथा मुन्शियों के वेतन इन्क्रीमेन्ट तथा टी० ए० के एरियर्स शेष हैं जिनके भुगतान-हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जालौन जिले में सिंचाई सुविधायें देने की प्रार्थना

*२६—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर मास, १९६३ में जालौन जिले के नहर विभाग के इंजीनियर को दिनांक २२ सितम्बर, १९६३ का ग्राम क्योलारी व खोहा आदि के किसानों का एक प्रार्थना-पत्र एक नई माइनर के निकालने के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। बल्कि ग्राम क्योलारी के कृषकों का दिनांक २५–९–६३ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें एक माइनर बढ़ाने हेतु प्रार्थना की गई थी। सम्बन्धित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर यह कहा जा सकेगा कि वहां सिंचाई सुविधायें दी जा सकेंगी या नहीं।

*२७—श्री विजयसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियर सिंचाई विभाग, जालौन ने ग्राम अर्खोली, तहसील कोंच के काश्तकारों को यह मौखिक आश्वासन दिया था कि उनको एक कुलाबा और दिया जायगा और वह मौका देखने स्वयं जायेंगे ? यदि हां, तो अब तक विलम्ब क्यों हो रहा है ? यदि नहीं, तो वहां की भूमि को बगैर पानी दिये कैसे बोया जायगा, उसकी सरकार की ओर से क्या व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। ऐसा कोई मौखिक आश्वासन नहीं दिया गया था।

सम्बन्धित क्षेत्र एटा रजबहा के कुलाबा नं० २ के कमाण्ड में पड़ता है। और उससे उपयुक्त सिंचाई हो चुकी है। अतिरिक्त कुलाबे की कोई आवश्यकता नहीं है।

*२८—श्री विजयसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम जखौली में वहां की जनता में पत्रेता करने के लिये वहां के क्षेत्रीय पतरौल ने कुछ रुपया लेकर नहर में खांदी करवाई और आगे अधिक रुपया मांगने से और रुपया न दिये जाने से उनकी रिपोर्ट कर दी गई ? यदि हां, तो उनमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । स्वयं काश्तकारों ने खांदी कराई थी जिसकी रिपोर्ट पतरौल ने की थी ।

फर्रुखाबाद जिले को बिजली

*२९—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में जिन, ग्रामों में बिजली लगाने का काम समाप्त हो गया है उनमें रोशनी देने का कब तक विचार है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला फर्रुखाबाद में जिन स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है वहां पर उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही है ।

*३०—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन्हीं ग्रामों में प्राइवेट कनेक्शन लेने की क्या व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम वासियों को विद्युत शक्ति की स्वीकृति के लिये निर्धारित प्रार्थना-पत्र को भर कर देना पड़ता है । जैसे ही विद्युत शक्ति की स्वीकृति मिल जाती है और उपभोक्ताओं द्वारा जमानत जमा करने, विद्युत लाइन (सर्विस कनेक्शन) का खर्चा देने तथा एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करने आदि की कार्यवाहियां पूरी कर दी जाती हैं, उनको बिजली दे दी जाती है ।

*३१—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गांवों में सड़कों की रोशनी का खर्चा किस हिसाब से और किससे वसूल किया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

सड़कों पर लगी रोशनी का खर्च उस स्थान से सम्बन्धित स्थानीय संस्था को ३८ नं० पै० प्रति यूनिट से देना पड़ेगा । ठीक समय पर भुगतान करने पर ३ न० पै० प्रति यूनिट की दर से छूट मिलेगी ।

घोसी कोट की नलकूप टंकी

*३२—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी कोट, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में कोई ट्यूबवेल तथा उसकी टंकी पिछले कई वर्षों से बनकर तैयार है ?

*३३—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ट्यूबवेल टंकी से घोसी कस्बा तथा महापुर, शम्सपुर गांवों तक पाइप लाइन बनी हुई है ? यदि हां, तो उपरोक्त कस्बा तथा गांवों में ट्यूबवेल द्वारा पानी क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोंडा जिले में नलकूप

*३४—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर, तुलसीपुर, शिवपुरा, गैसड़ी एवं पचपेड़वा ब्लाकों में प्रथम, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कितने ट्यूबवेल लगाये गये और तीसरी योजना में कितने लगाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

शिवपुरा (हरैया सतघरवा) गैसड़ी एवं पंच पेड़ावा ब्लाकों में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई भी नलकूप नहीं लगाया गया और न ही तीसरी योजना में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव है ।

बलरामपुर तथा तुलसीपुर ब्लाकों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३५—श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या यह सत्य है कि अभी तक ट्यूबवेल वहां पर कोई न लगने के कारण रबी, खरीफ तथा गन्ने की फसलों को काफी क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह सोच कर कि वहां तराई एवं पिछड़ा क्षेत्र है, ब्लाक ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब और कहां-कहां ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

जैसा कि प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर में शिवपुरा, गैसडी एवं पंच पेड़वाँ ब्लाकों के सम्बन्ध में बताया गया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में यहां पर नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भोगांव तहसील में वीलों माइनर कटना

*३६—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी, तहसील भोगांव, की वीलो माइनर को जिलाधीश, मैनपुरी ने अगस्त, १९६३ के प्रथम सप्ताह में कटवा कर किन्हावर व औरन्ध गांवों का बरसाती पानी वीलों ग्राम की तरफ निकलवाया, जब कि उसके निकास के लिये नहर द्वारा किन्हावर औरन्ध कट पहले से ही बना है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । क्योंकि सम्बन्धित क्षेत्रों को वर्षा के जल से बचाने का अन्य कोई उपाय नहीं था ।

*३७—श्री भीखालाल तथा श्री रघुवीर—

क्या यह सही है कि इस माइनर के कटवाने से उपरोक्त ड्रेन का पानी वीलों ग्राम की जमीन पर भर गया जिससे पूरी फसल खरीफ की डूब गयी और मकानात भी गिरे ? यदि हां, तो कितने एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा और कितने मकान गिरे ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । माइनर को दो स्थानों पर काटने के फलस्वरूप फसल या मकानों को क्षति नहीं हुई बल्कि ग्राम की जमीन निचली होने के कारण वहां पानी पहले ही इकट्ठा हो गया था जिसके फलस्वरूप ७४.७३ एकड़ फसल को व ३० जीर्ण मकानों को कुछ क्षति हुई थी ।

नहरी जमीन का पट्टा

*३८—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पत्र मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को नहरी जमीनों को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में फरवरी, १९६१ में लिखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. १३५–१३६ पर)

*३९—श्री होरीलाल यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा खैर, नगर जिला फर्रुखाबाद में नहर गंगा की भट्ठा वाली जमीन को पट्टा देने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र काश्तकारों या अन्य प्रार्थियों के प्रान्तीय सरकार तथा अधिशासी अभियन्ता, लोअर गंगा कैनाल डिवीजन, कानपुर को १ जनवरी, सन् १९६३ से १५ अक्तूबर, १९६३ के बीच मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

जांच के बाद प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया गया ।

आजमगढ़ जिले में ताल पताछ, मुहला गढ़वाल तथा हाहा नाला बांध

*४०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री दिनांक २२ अक्तूबर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथसिंह का टोला, चौहानपुर और बरोहों के सामने बांध से नदी का कटान केवल १ फर्लांग रह गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

रहीमपुर तहसील का नलकूप

*४१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

विधान सभा के २२ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की राजकीय नलकूप अलावा रहीमपुर तहसील व जिला बुलन्दहर की एलेक्ट्रिक मोटर सन् १९६२ में तथा सन् १९६३ में अक्तूबर के अन्त तक कितनी बार जली ?

श्री गिरधारीलाल—

सात बार ।

राजनीतिक पेंशन

*४२—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य में राजनीतिक पीड़ित होने के उपलक्ष्य में पेन्शन पाने वालों की कुल संख्या इस समय क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस प्रदेश में राजनीतिक पेंशन पाने वालों की कुल संख्या इस समय ५,७३७ है।

नलकूप इंजीनियर बदायूं द्वारा जीप का प्रयोग

*४३—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि बदायूं के ट्यूबवेल के इंजीनियर अथवा असिस्टेन्ट इंजीनियर तारीख १७ मई, १९६३ व १८ मई, १९६३, १९ मई, १९६३ और २२ मई, १९६३ को बदायूं से बरेली विभाग की पिकअप नं० ७१०१ वी० एस० जे० से गये जिसके नम्बर रामगंगा के पुल पर भी लिखे गये और अधिकारी ने दस्तखत भी किये, किन्तु उन्होंने टी० ए० अपनी प्राइवेट कार से सफर करने का लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

इस नम्बर की कोई पिकअप ट्यूबवेल डिवीजन बदायूं में नहीं है।

नेपाल राज्य को दी गई जीपें

*४४—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में नेपाल राज्य में परिवहन विभाग के लखनऊ मन्डल से कुल जीप गाड़ियां नेपाल राज्य की मांग पर किस प्रयोगार्थ गयीं ? यदि हां, तो उक्त जीप गाड़ियों में कुल कितना पैट्रोल खर्च हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१९६२–६३ में चार जीप गाड़ियां नेपाल नरेश के दौरे में प्रयोग के लिये किराये पर दी गई थीं। वर्ष १९६३–६४ में कोई गाड़ियां नहीं दी गईं। उन चार जीप गाड़ियों में कुल २७७२.६ लिटर पैट्रोल खर्च हुआ जिसमें नेपाल राज्य द्वारा बताया हुआ १३४५.६ लिटर पैट्रोल शामिल है।

*४५—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त जीपों पर खर्च हुए पैट्रोल का भुगतान अभी तक नेपाल सरकार को नहीं हुआ है और इस संबंध में कुल कितने पत्र किन-किन तिथियों को नेपाल सरकार से शासन को प्राप्त हुए हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। इस संबंध में नेपाल राज्य के एक बड़े हाकिम का केवल एक पत्र दिनांक २४ मार्च, १९६३ रोडवेज, स्टेशन, चारबाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट को प्राप्त हुआ।

गाजीपुर जिले के नलकूप के लिये प्रार्थना

*४६—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के ग्राम मजेठी चौथी, नसरतपुर, धनेशपुर फेफरा, खुदाबख्शपुर तथा हरदासपुर कला के किसानों ने ट्यूबवेल लगाने के लिये प्रार्थना-

पत्र सन् १९६२ में दिये थे और प्रश्नकर्त्ता ने भी एक पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गाजीपुर जिले में नलकूप

*४७—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि सरकार ने गाजीपुर में जो ११८ ट्यूबवेल बनाये थे, उनमें से ५६ ट्यूबवेल फेल हो गये, जिसमें सरकार को २४ लाख का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस इलाके में कामयाब ट्यूबवेल बनाने में किस मैकेनिकल इंजीनियर की स्कीम कामयाब हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ११९ नलकूपों का निर्माण हुआ जिसमें नवम्बर, १९६३ की स्थिति के अनुसार कुल १० नलकूप फेल हो जाने के कारण बन्द थे। इन १० नलकूपों में से ५ नलकूपों का पुनर्निर्माण हो गया है जिसमें अब तक १,२०,६५२ रु० व्यय हुआ है। शेष पांच नलकूपों का पुनर्निर्माण होना बाकी है।

नलकूप निर्माण की स्कीम विभाग द्वारा बनाई जाती है उसी के अनुसार कार्य होता है इसलिये किसी विशेष इंजीनियर का नाम दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नरौरा स्टोर से चुराई गई सरियां

*४८—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर, थाना चौकी रामघाट के अन्तर्गत रामघाट, जिला बुलन्दशहर के खारों में एक हजार मन लोहा पकड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जो नरौरा पर कार्य हो रहा है वहां की चोरी का लोहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, वास्तविक स्थिति इस प्रकार है नरौरा के स्टोर्स से ८/९ अक्तूबर, १९६३ की रात को २.२३५ टन लोहे की सरियां चोरी गई थीं। पुलिस अधिकारियों की सहायता से चोरी हुई सरियां रामघाट की ओर लगभग ४ मील पर गंगा नदी में पाई गईं और विभाग के सुपुर्द कर दी गईं। गंगा की खार में कोई लोहा नहीं पकड़ा गया।

द्वितीय भाग—जी हां।

खीरू-छपरा नौवरार ग्राम का नीलाम

*४९—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या न्याय मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि एस० डी० ओ० बांसडीह, के इजलास पर यू० एस० १४५-सी-आर०-पी०-सी० राधाकिशुनसिंह बनाम चन्दर अहीर आदि नामक मुकदमे में ग्राम खीरू छपरा नौवरार (अपने संपूर्ण क्षेत्रफल के साथ) तहसील बांसडीह, जिला बलिया, दिनांक ७ मई, १९५५ को ११,५००.०० रुपये में नीलाम किया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५०—श्री रतीपाल—

क्या यह भी सही है कि उक्त नीलाम का रुपया एस० डी० ओ० बांसडीह के बार-बार आर्डर देने के बावजूद भी अभी तक सरकारी कोष में नहीं जमा किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५१—श्री रतीपाल—

यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और यह रुपया कब तक सरकारी कोष में जमा हो जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रामगंगा बांध, कालागढ़ में गबन की जांच

*५२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सत्य है कि बिजनौर जिले के कालागढ़ स्थित रामगंगा बांध परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य में गबन के संबंध में गुप्तचर विभाग द्वारा भी भ्रष्टाचार आदि की जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या परिणाम सामने आये तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री गिरधारीलाल—

गुप्तचर विभाग द्वारा इस मामले की जांच कराई जा रही है ।

खंडासा परगना में झीलों का पानी न निकलना

*५३—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को मालूम है कि फैजाबाद क्षेत्र मगलसी के परगना खन्डासा की झीलों का पानी न निकलने से गंजी, उरद, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसल नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इन फसलों को बचाने का प्रबन्ध करेगी और किस प्रकार से ? क्या सरकार इन झीलों का पानी निकलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय, तृतीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं जिले में बांध टूटने से क्षति

*५४—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बदायूं जिला व तहसील में गंगा का पिपरौल बांध भी टूट गया? यदि हां, तो इससे कितनी क्षति हुई ?

*५५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं के उसहन परगना तथा गुन्नौर गंगा बांध टूटने से कितनी क्षति हुई ?

*५६—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त बांधों के टूटने से जो हानि हुई है उसके लिये सरकार क्या-क्या सहायता प्रदान करने का विचार करती है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५७–५८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न ६९–७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

देवरिया जिले में बरसाती पानी का जमाव तथा नलकूप

*५९—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के बनकटा ब्लाक में गौरा, भड़सर ओधांव, बंगरा, बरैपा छितौनी, टडवा, मठदेव गिरकी हजारों बीघे जमीन पानी में हर साल डूब जाती है ? यदि हां, तो इन गांवों की बरबादी रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

*६०—श्री कैलाश—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग के सुझाव के अनुसार देवरिया जिले में सलेमपुर तहसील में कितने ट्यूबवेल बनेंगे तथा किन-किन स्थानों पर ?

श्री गिरधारीलाल—

वांछित सूचना इस समय दे सकना संभव नहीं है क्योंकि पटेल आयोग का इस संबंध में सुझाव विचाराधीन है ।

बुलन्दशहर जिले में सिंचाई-व्यवस्था

*६१—श्री जसरामसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने और कहां-कहां नलकूप बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये अभी पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

*६२—श्री जसरामसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोट के पुल, जिला बुलन्दशहर से जो रजबहा बांजरपुर होकर जाता है उसके कुलाबे उखाड़े जा रहे हैं और बहुत कुलाबे उखाड़े जा चुके हैं जिससे किसानों में असन्तोष है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—किसान चाहते हैं कि नहरी कुलाबे न उखाड़े जायं और वे सिंचाई के दोनों साधनों, अर्थात् नहर और नलकूप दोनों से लाभ उठा सकें । उनकी मांग उचित नहीं है ।

*६३—श्री जसरामसिंह—

क्या यह सच है कि ट्यूबवेल जो लगाये गये हैं वह खराब पड़े हैं और किसानों को पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री समस्त उखाड़े गये कुलाबों को पुनः लगवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जहां तक मांट ब्रांच के नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रश्न है चूंकि यह नलकूप चालू दशा में है इसलिये फिर से कुलाबे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*६४–६६—श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[वापस लिये गये ।]

तिलहर तहसील में सिंचाई कर की वसूली पर आपत्ति

*६७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार २९ अक्तूबर, १९६३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के संदर्भ में मेरी इस सूचना को सही मान कर कि जमाबन्दियां दीमक द्वारा नष्ट नहीं हुई बल्कि कर्मचारियों द्वारा गायब कर दी गयीं वह फिर से इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने के बाद परिणाम से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा पहले बताया गया तहसील के संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही से जमाबन्दियों दीमक के खा जाने से नष्ट हो गईं । इस मामले की जांच १९५९ और फिर १९६१ में हाकिम परगना द्वारा कराई गई । चूंकि वह कर्मचारी जिनकी लापरवाही से यह घटना हुई अस्थाई थे, और अब काम नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती । मामले की पुनः जांच कराने का अब कोई प्रश्न नहीं है ।

बीरपुर ड्रेन

*६८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

दिनांक २२ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सन्दर्भ में सरकार क्या कृपया बतायेगी कि मढौली ग्राम के निवासियों ने क्या अधिशासी अभियन्ता से यह शिकायत भी लिखित रूप से की थी कि ओवरसियर व ठेकेदार ड्रेन की खुदवाई में काश्तकारों को हानि पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—

जी नहीं ।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*६९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बीरपुर ड्रेन के लिये भूमि कब तक अधिग्रहण कर ली जावेगी और काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, यदि और कोई बाधा न पड़ी, तो ऐसा अनुमान है कि मार्च, १९६४ तक भूमि अधिकृत हो जायगी और यदि भूमि उस समय तक मिल गई तो आने वाली वर्षा ऋतु के पूर्व कार्य समाप्त होने की संभावना है।

फतेहपुर में गंगा नहर का कुलाबा हटाने की प्रार्थना

*७०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

दिनांक २९ अक्तूबर, १९६३ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब नहर गंग फतेहपुर के जोनिहा माइनर के कुलाबा नम्बर १३ व १६ के बीच में फसली कुलाबा प्रतिवर्ष लगाया जाता है तो फिर उस जगह पर मुस्तकिल कुलाबा लगाने में क्या कठिनाई है ?

श्री गिरधारीलाल—

पिछले १३ वर्षों में फसली कुलाबा सिर्फ तीन खरीफ की फसलों में दिया गया है। अगर फसली कुलाबा को मुस्तकिल कर दिया जाये तो उससे रबी की फसल में माइनर की टेल पर पानी की कमी हो जायेगी।

*७१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब ग्राम सभा बेहटा ने फसली की जगह मुस्तकिल कुलाबा लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है तो शेष कौन-कौन किसान हैं जिनके विरोध पर मुस्तकिल कुलाबा १६ को हटा कर फसली की जगह पर नहीं लगाया जा सकता ?

श्री गिरधारीलाल—

मुस्तकिल कुलाबा नं० १६ को अपनी मौजूदा जगह मील २–५–५५० से हटा कर फसली कुलाबे की जगह मील २–३–० पर लगाने का कार्य इसलिये नहीं किया जा सकता क्योंकि ३२ काश्तकारों में से २१ काश्तकारान कुलाबा नं० १६ को अपनी मौजूदा जगह से हटाने के विरोध में हैं। इनके नाम माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं।

*७२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

प्रश्न संख्या ४६, दिनांक २९ अक्तूबर, १९६३ के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मुस्तकिल व फसली दोनों कुलाबा लगाने में पानी की कमी नहीं पड़ती, तो फिर नम्बर १६ कुलाबा हटा कर फसली की जगह पर लगाने से इस तनहा कुलाबा से किस प्रकार पानी की कमी पड़ेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

मुस्तकिल कुलाबा को फसली की जगह न लगाने का कारण पानी की कमी नहीं है बल्कि जैसा कि बतलाया गया है यह उसी समय हो सकता है जबकि समस्त किसानों की अनुमति प्राप्त हो जाय।

जमुना नदी पर पंजाब सरकार के बांध तथा बुलन्दशहर जिले में बाढ़ सुरक्षा

*७३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुना नदी पर पंजाब सरकार व देहली सरकार अपनी सीमा पर बांध लगा रही है जिससे उत्तर प्रदेश के अनेकों गांव व भूमि कटते जा रहे हैं ? इसे रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

केवल पंजाब सरकार ने अपनी सीमा पर अनेक ऐसे बांधों का निर्माण कराया जिसका बुरा प्रभाव उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ा। इन बांधों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष इस प्रदेश को पहुंचने वाली क्षति से बचने के लिये, यमुना कमेटी की अनुमति से, साढ़े चार मील लम्बा लखनौती बांध तथा ढाई मील लम्बा लखनौती एक्सटेंशन बांध बनाया गया।

*७४—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में क्या-क्या नयी योजना ली जा रही हैं और उन पर कब तक कार्यारम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

म्योरपुर-मुरधवा सड़क

*७५—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि म्योरपुर, जिला, मिर्जापुर के हवाई अड्डे से मुरधवा तक उनके विभाग द्वारा एक पक्की सड़क बनाने की योजना थी और उसके लिये सर्वेक्षण भी करा लिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

*७६—श्री रामप्यारे—

क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क के महत्व को देखते हुये उसे तत्काल निर्माण करने के लिये आदेश देंगे जबकि इसमें "हिन्दुस्तान अल्मूनियम कारपोरेशन लिमिटेड" भी सहयोग देने को तैयार है ?

श्री गिरधारीलाल—

ओबरा पिपरी क्षेत्र में स्थाई रूप से हवाई अड्डा बनाने के लिये कौन-सा स्थान अधिक सुविधा-जनक होगा, यह मामला सरकार के विचाराधीन है । स्थान निर्णय होने पर हवाई अड्डे तक पक्की सड़क बनवाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

देवरिया जिले में छोटी गंडक का कटाव

*७७—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री देवरिया और रामपुर कारखाना ब्लाकों में मुडेरा मिश्र, भीखमपुरा, बेलवनिया और माधोपुर गांवों को जो छोटी गंडक के बाढ़ से कट गये हैं उन के बचाने की कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

मड़ियाहूं तहसील का ड्रेन

*७८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर में एक ड्रेन जो कसनही, सेडरा, जमुआ आदि के बीच से निकाली गयी है और बेलवा बाजार के पास नाले में मिला दी गयी है उसके कारण जमुआ, हसनपुर, पट्टी, भुभुआर आदि गांवों के ताल का पानी बह जाने से धान की हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस ड्रेन की सर्वे करा कर रेगुलेटर लगाने की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस ड्रेन की वजह से जमुआ, हसनपुर पट्टी, भुभुआर आदि ग्रामों के तालाबों की धान की फसल जिस साल अधिक सूखा पड़ जाता है, नष्ट हो जाती है। यदि रेगुलेटर बनवा दिया जाय तो केवल सूखे वर्षों में थोड़ा लाभ होगा, परन्तु शेष वर्षों में लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होने की सम्भावना है।

बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान

*७९—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बाढ़ कन्ट्रोल के लिये जो उत्तर प्रदेश में मास्टर प्लान बना है उसमें कोई तरमीम की जा रही है और क्या यह सच है कि मैनपावर यूटिलाइजेशन स्कीम से भी पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने लिखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना को मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां। द्वितीय भाग—जी नहीं। तृतीय भाग—बाढ़ नियंत्रण के लिये जो मास्टर प्लान बना है उसको अभी अन्तिम स्वीकृति नहीं हुई है अतः इसको इस समय सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

*८०—श्री मैनेजरसिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना के बारे में पटेल जांच आयोग जो केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त किया था उसने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो वह क्या है और वह कब से कार्यान्वित होगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप

*८१—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद में इस वित्तीय वर्ष तक कितने ट्यूबवेल्स लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें किस-किस क्षेत्र (ब्रांच) में कितने-कितने ट्यूबवेल्स पूर्ण होकर काम कर रहे हैं ?

*८२—क्या सरकार ने कन्नौज तहसील में मकरन्द नगर के समीप गदनपुर बड्डू क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८३—श्री पातीराम अहरवार—

जिला फर्रुखाबाद में गैर सरकारी ट्यूबवेल्स की बढ़ती हुई मांग को देख कर क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा तादाद में ट्यूबवेल्स बन जाने हेतु उदारतापूर्वक कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु बिजली कनेक्शन्स दे रही है और अभी तक ऐसे कितने कनेक्शन दिये गये, कितने प्रार्थना-पत्र शेष हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । परन्तु इस प्रकार की स्वीकृति निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है :—

(१) सम्बन्धित प्रार्थी के पास कम से कम दस एकड़ भूमि होनी चाहिये, और

(२) सिंचाई विभाग को कोई आपत्ति न हो ।

जिला फर्रुखाबाद में २१ दिसम्बर, १९६३ तक ५१ कनेक्शन्स दिये गये और उस समय तक ३७ प्रार्थना-पत्र शेष रहे ।

राजनीतिक पीड़ित सहायता

*८४—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार ने सन् १९६२ में १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक कुछ राजनीतिक पीड़ितों को अपना औद्योगिक ऋण तथा दूसरे ऋण चुकाने हेतु आर्थिक सहायता की है ? यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । सन् १९६२ में जिन राजनैतिक पीड़ितों को ऋण की अदायगी के लिये राजनैतिक पीड़ित सहायता विभाग से अनुदान दिये गये हैं उनके नाम और पते संलग्न सूची में अंकित हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १३७–१३९ पर)

पनियाली ग्राम को बाढ़ से बचाने की प्रार्थना

*८५—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

दिनांक २१ अगस्त, १९६२ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा था वह उचित पाई गई या नहीं ? यदि उचित पाई गई, तो इस योजना की प्राक्कलित लागत क्या होगी ?

*८६—क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित योजना का सर्वेक्षण कितने समय में किस तिथि को पूर्ण हुआ और इस सर्वेक्षण में हुये व्यय का कितना भुगतान किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८७—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[हटा दिया गया ।]

मोटर गाड़ियों का सरकारी क्रय

*८८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया २४ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि नारायण आटोमोबाइल्स लखनऊ को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सब से अधिक गाड़ियों को सप्लाई करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उप-परिवहन आयुक्त (टेक्निकल), उत्तर प्रदेश ।

*८९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इसके पूर्व तीन वर्षों में उपरोक्त फर्म ने कितनी गाड़ियां सरकार को दीं और वे अन्य फार्मों के किस अनुपात में थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सन् १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में उस फर्म से क्रमशः २७, ३९ तथा ५५ बीलीज गाड़ियां खरीदी गईं जो अन्य डीलरों से खरीदी गई गाड़ियों से क्रमशः २७:१४८, ३९:४७, और ५५:५५ के अनुपात में थीं ।

उन्नाव जिले में चिरैया नाला पर पुल की आवश्यकता

*९०—श्री भीखालाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में चिरैया नाला पर ग्राम मौहारी के निकट एक पुल बनाने की कोई योजना स्वीकार हुई थी ? यदि हां, तो पुल का निर्माण अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं, ऐसी कोई योजना स्वीकार नहीं हुई ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

कनक सागर

१—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार ग्राम कालिंजर, जिला बांदा के पास कनक सागर का सर्वेक्षण कराकर इस सागर से एक छोटी नहर बनाकर ग्राम मसौनी आदि तीन ग्राम की आबपाशी का प्रबन्ध करेगी क्योंकि इस सागर में पानी की आमद अधिक है ?

श्री गिरधारीलाल—

कनक सागर के सर्वेक्षण से पता चला है कि इसमें उपलब्ध जल से अधिक से अधिक १० एकड़ भूमि की सींच हो सकती है । ऐसी स्थिति में उस सागर से कोई राजकीय नहर निकालना व्यवहार्य नहीं है ।

२—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार इस कनक सागर को फिर से पुराने जमाने के सागर की तरह बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । कनक सागर किसी भी राजकीय सिंचाई योजना क उपयुक्त नहीं है । इस लिये उसकी स्थिति को सुधारने का प्रश्न नहीं उठता ।

गंडक कैनाल सर्किल देवरिया

३—श्री रामलखन वकील—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्डक योजना सर्किल देवरिया की स्थापना किस साल से चालू है तथा उसमें कितने डिवीजन स्थापित किये गये हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

गंडक कैनाल सर्किल, देवरिया, सन् १९६१ से चालू है तथा उसमें चार डिवीजन स्थापित किये गये हैं ।

४—श्री रामलखन वकील—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी नियुक्त हैं तथा सरकार का उक्त कर्मचारियों तथा कार्यालयों पर प्रति माह कितना खर्च पड़ रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

कुल ६८५ कर्मचारी नियुक्त हैं तथा सरकार का इन कर्मचारियों तथा कार्यालयों पर औसतन ९७,८०० रुपया प्रति माह खर्च पड़ रहा है ।

५—श्री रामलखन वकील—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्डक योजना में कुल कितना रुपया खर्च करने का तखमीना है तथा अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है तथा उस धनराशि से कौन-कौन कार्य पूरे हुये हैं तथा कितना काम अभी बाकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

योजना की अनुमानित लागत १,५१५.६९ लाख रुपये हैं । इस योजना पर ३० नवम्बर, १९६३ तक लगभग १३० लाख रुपया व्यय हो चुका है । अब तक मुख्यतः कुछ स्थायी तथा अस्थायी भवनों का निर्माण, मिट्टी की खुदाई का कार्य, नारायणी नहर की रिमाडलिंग का कार्य तथा योजना के लिये मशीन, सिमेंट, कोयला, लोहा इत्यादि के एकत्रीकरण का कार्य किया गया है । अभी मुख्य नहर तथा शाखाओं का निर्माण, पुलों तथा नहर से सम्बन्धित पक्के कार्यों का निर्माण, मिट्टी की खुदाई का कार्य, नहर को पक्का करने का कार्य तथा क्रास ड्रेनेज कार्यों तथा रेलवे साइफन इत्यादि के निर्माण का कार्य शेष है ।

भागलपुर-चुरिया बांध

६—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार देवरिया जिले में भागलपुर से चुरिया तक पुराने बांध को ऊंचा करने और छितौपुर जमुआनाला, खरबनियां, डुमरी नाला, तकिया नाला, खेमा देई और तन्दौली के नालों में रेगुलेटर लगा कर २५ हजार एकड़ जमीन की फसल को हर साल बरबाद होने से बचाने का विचार कर रही है और भागलपुर से चुरिया तक के बांध में भी रेगुलेटर लगाने का विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

दूसरा भाग—जमुआ नाले का सही नाम जमुआर नाला है और इस पर छितौपुर ग्राम के पास रेगुलेटर बना हुआ है । खरबनियां, डुमरी, तकिया, खेमा देई और तन्दौली नाले नहीं हैं बल्कि घाघरा नदी की तलहटी के अन्दर की अन्य धारायें हैं जिन पर रेगुलेटर नहीं बनाये जाते । प्रश्न का तीसरा भाग—भागलपुर और चुरिया के बीच की दूरी ९ मील है जिसके बीच में पिडी ग्राम स्थित है । नये रेगुलेटर बनाने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके लिये सर्वेक्षण करना पड़ेगा ।

कोल असला परगना की नाद नदी

७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना कोल असला जिला वाराणसी में बहने वाली नाद नदी को कछिया गांव सभा से पश्चिम में खोदवाने की व्यवस्था करेगी तथा गांव मानी वाराणसी-जौनपुर पक्की सड़क के पूरब एक रेगुलेटर लगवाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—अभी इस तरफ नदी को खोदने का विचार नहीं है।

दूसरा भाग—रेगुलेटर लगाने का भी कोई विचार नहीं है क्योंकि इस जगह पर रेगुलेटर की कोई आवश्यकता नहीं है।

८—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा पिंडरा के दक्षिण रमईपुर, मानापुर, समोगरा, कायस्थान तथा पिंडरा के लिये एक ट्यूबवेल लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—यहां कोई नया नलकूप लगाने का विचार नहीं है।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप

९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे कौन-कौन से नलकूप हैं और उनकी संख्या कितनी है, जो नहीं बन पाये हैं, लेकिन नालियां नलकूप बनाने से पहले ही बना दी गई हैं। यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—दो नलकूप।

द्वितीय भाग—यह समय की बचत तथा खाली खेतों से मिट्टी लेने के लिये किया गया था।

१०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में कसावा और भावलपुर के बीच एक नलकूप जिसके बनने की योजना थी और सर्वे भी हो चुका था, अभी तक नहीं बना, इसका क्या कारण है ? क्या मन्त्री महोदय यहां की आवश्यकता को देखते हुये शीघ्र ही एक नलकूप की व्यवस्था करेंगे।

श्री गिरधारीलाल—

निकटवर्ती ग्राम हरीनगर तथा ऊंचा में उपयुक्त पानी की सतह न मिलने के कारण ग्राम भावलपुर में भी नलकूप फेल हो जाने के भय से वहां पर नलकूप का निर्माण व्यवहार्य में नहीं पाया गया। उपर्युक्त कारण से वहां नलकूप की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

गंडक नहर की जमीन का मुआवजा

११—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) —

क्या सिंचाई मन्त्री दिनांक २९ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के सन्दर्भ में गंडक नहर के सम्बन्ध में मुआवजा एवं अन्य शिकायतों आदि के सम्बन्ध में जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां। माननीय सदस्य उन्हें मेरे कमरे में देख सकते हैं।

१२—श्री चन्द्रबलीसिंह —

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गंडक नहर से सम्बन्धित मुआवजा तथा शिकायतों के हल के लिये गत १९ अक्तूबर, १९६३ को पडरौना में कोई प्रदर्शन हुआ और तहसीलदार पडरौना को पत्रक पेश कर उसमें लिखी मांगों को दूर करने की मांग की। यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा की जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां, ऐसे पत्रक की प्रतिलिपि माननीय सदस्य मेरे कमरे में देख सकते हैं।

पीली बांध योजना

१३—श्री श्रीराम (जिला उन्नाव) —

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिये बिजनौर में जो डैम बन कर तैयार हुआ उस पर कितनी लागत आई ?

श्री गिरधारीलाल —

प्रश्नकर्त्ता का अभिप्राय पीली डैम से प्रतीत होता है। यह डैम अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इस पर कार्य अभी चालू है। इस डैम की अनुमानित लागत २२५.७५ लाख रुपये है।

१४—श्री श्रीराम —

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस डैम की नहर बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री गिरधारी लाल —

पीली डैम योजना के निर्माण कार्यों पर ३० नवम्बर, १९६३ तक ९३.४८३ लाख रुपया खर्च हुआ है।

१५—श्री श्रीराम —

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डैम में आबपाशी करने के लिये १९६२ व १९६३ में पानी एकत्र हुआ या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल —

इन दो वर्षों में आबपाशी के लिये पानी नहीं एकत्र हुआ।

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

१६—श्री कृष्णा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज रीजन गोरखपुर के कितने कर्मचारियों का इंक्रीमेंट बाकी है और क्यों? क्या उसे शीघ्र दिलाने का सरकार कष्ट करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अहरोरी ब्लाक में पानी की निकासी

१७—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा उन्हें हरदोई जिले में ब्लाक अहरोरी में पानी की झीलों को गहरा करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र २६ तथा २७ सितम्बर, १९६३ को प्राप्त हुये थे? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, एक आवेदन-पत्र दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ का प्राप्त हुआ था। जांच से पता चला कि इस क्षेत्र का बरसाती पानी बक्सापुर ड्रेन द्वारा निकलता है जिसके रिमार्डलिंग के लिये विस्तृत सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यदि योजना व्यवहार्य पायी गई तो आवश्यक धन उपलब्ध होने पर उसे कार्यान्वित किया जा सकेगा।

एटा तहसील में जल निकासी

१८—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा, तहसील एटा में ग्राम भर्दो, पुरा, सरदलगढ़ जिनकी पूरी फसल पानी में डूबी रहती है, उनके बचत के लिये नाला निकालने का कोई विचार है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—नाला निकालने का कोई विचार नहीं है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

१९—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गांवों में एक नाला सरकार ने खुदवाकर अपूर्ण रूप में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से गांवों की पूरी फसल पानी भर जाने से नष्ट हो जाती है? क्या सरकार इस नाले को पूरा करवाने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—

नाला पूरा हो चुका है।

नहर सर्किल, बरेली में हरिजनों की नियुक्तियां

२०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नहर विभाग की पांचवीं सर्किल बरेली तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करने वाले जुलाई, १९६१ से सितम्बर, १९६३ तक अमीन, पतरौल, क्लर्क, ड्राफ्ट्समैन तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये तथा उनमें नियमानुसार हरिजन न रखे जाने तथा उन्हें सेवायोजन कार्यालयों द्वारा न लेकर सीधे नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जुलाई सन् १९६१ से सितम्बर, १९६३ तक निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई :

(१) क्लर्क	.. ..	१९
(२) ड्राफ्ट्समैन	.. ..	२
(३) अमीन	.. ..	२०
(४) पतरौल	.. ..	५८
(५) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	..	२२

उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति में हरिजनों का कोटा (quota) पूरा है। केवल ड्राफ्ट्समैनों में हरिजन नहीं हैं। इसका कारण यह है कि सेवा नियोजन कार्यालय द्वारा वांछित योग्यता के कोई भी अभ्यर्थी नहीं दिये जा सके। इस लिये सीधी भरती करनी पड़ी। केवल ५ क्लर्कों की सीधी भरती की गई थी जिसका कारण यह है कि सेवा नियोजन कार्यालय द्वारा वांछित योग्यता के अभ्यर्थी न दिये जा सके।

नौतनवा-सौनौली मार्ग पर बसों की चेकिंग

२१—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ए० जी० एम० टी०, गोरखपुर ने नौतनवा सौनौली मार्ग को जुलाई, १९६३ से नवम्बर, १९६३ तक कितने बार चेक किया और उस मार्ग पर क्या-क्या अनियमिततायें पाईं तथा उन्हें दूर करने का कौन-सा उपाय किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस अवधि में ए० जी० एम० टी०, गोरखपुर ने कथित मार्ग पर ६ दिन चेकिंग की। जो अनियमिततायें पायी गईं तथा उनके सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १४०–१४१ पर)

परिवहन विभाग की गाड़ियों का बकाया किराया

२२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के पास जीप कार तथा अन्य किस्म की ऐसी टैक्सियों को जिन्हें व्यक्तिगत रूप से किराये पर देने की व्यवस्था है, रोजनवार पृथक्-पृथक् संख्या क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

संख्या निम्न प्रकार है :

क्षेत्र				जीप कार टैक्सी	अन्य टैक्सी
आगरा	..	..	..	३	९
इलाहाबाद	..	..	..	१	१०
बरेली	..	..	..	३	४
गोरखपुर	..	..	..	३	६
कानपुर	..	..	..	३	४
लखनऊ	..	..	..	१३	७
मेरठ	..	..	..	५	८
कुमायूं	..	..	..	१	२०
			योग ..	३२	६८

२३—श्री रामकिशोर वर्मा —

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि उक्त प्रकार की गाड़ियों का जो व्यक्तिगत रूप से किराये पर ली गयीं, बहुत सारा रुपया बहुत से प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारियों, मन्त्रियों, उप-मंत्रियों, सभा सचिवों, एम० एल० एज० तथा एम० एल० सीज० व अन्य व्यक्तियों पर अवशेष हैं और विभागीय प्रयत्नों के बावजूद भी वसूल नहीं हो सका ? यदि हां, तो रीजनवार किन पर कितना तथा कब का अवशेष है तथा विभाग ने रुपया प्राप्ति के अन्य विशेष क्या प्रयत्न किये ? यदि नहीं, तो वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन —

जी हां, रीजनवार बकाया निम्न प्रकार है :

(१) आगरा रीजन ..	..	५,१९६ रु० ४२ न० पै०
(२) इलाहाबाद रीजन	..	४६,४१७ रु० ४४ न० पै०
(३) बरेली रीजन	..	१३,८७९ रु० ८७ न० पै०
(४) गोरखपुर रीजन	..	२९,८२३ रु०
(५) कानपुर रीजन	..	३,००९ रु० ३८ न० पै०
(६) लखनऊ रीजन	..	७,४७२ रु० ७१ न० पै०
(७) मेरठ रीजन	..	८,२७८ रु० ०२ न० पै०
(८) कुमाऊं रीजन	..	४,०५३ रु० ८० न० पै०
कुल योग	..	१,१८,१३० रु० ६४ न० पै०

बकाया की व्यक्तिगत सूचियां बहुत लम्बी हैं जिनमें समय भी अंकित है। अतः माननीय सदस्य उन्हें मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

विभाग द्वारा बकाया की वसूली के लिये लिखा-पढ़ी बराबर हो रही है। जिन व्यक्तियों पर बकाया है, उनके विभागाध्यक्षों से वसूली के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

शाहजहांपुर नलकूप क्षेत्र के ठेकेदार

२४—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) —

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि शाहजहांपुर ट्यूबवेल डिवीजन में कितने approved ठेकेदार हैं और उनके नाम और पूरे पते क्या हैं ?

२५—क्या सरकार खुफिया पुलिस के बड़े अफसरान से यह जांच कराने की कृपा करेगी कि उनमें से कितनी फर्म वाकई हैं और उनमें से कितनी फर्जी हैं ?

श्री गिरधारीलाल —

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जिले में सिंचाई व्यवस्था

२६—श्री मतोलासिंह —

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में अतर्रा ब्रांच के रजबहा कमासिन के टेल में कमासिन व यमुना के बीच में ग्राम कुमेड़ा व पछौहां व मुसीबा तथा बीरा असिंचित हैं ? क्या सरकार कमासिन के पास से एक माइनर यमुना की तरफ दो-दो घाट जाने वाली सड़क के पश्चिम साइड से बनायेगी जिससे यह क्षेत्र आबपाशी युक्त हो जाय ? यदि सरकार माइनर बनाना चाहती है, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल —

प्रथम भाग—जी हां, ग्राम कुमेड़ा, मुसीबा तथा बीरा असिंचित हैं। ग्राम पछौहां का लगभग आधा क्षेत्र सिंचित है।

द्वितीय भाग—रजबहा कमासिन की टेल से बीरा माइनर के निर्माण हेतु सर्वे किया गया, परन्तु भूमि के समतल न होने के कारण इसका निर्माण सम्भव नहीं है।]

२७—श्री मतोलासिंह —

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि तहसील नरैनी के क्षेत्र जो बांधे नदी के उस पार कालिंजर तक है पाठा एरिया, असिंचित हैं और वहां गरीबी अधिक है ? क्या सरकार इसका सर्वेक्षण करा के छोटे-छोटे बांध बनाने की कोई योजना बनायेगी। यदि हां, तो वह कौन सी योजना है और कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री गिरधारीलाल —

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—तहसील नरैनी के क्षेत्र, जो बांधे नदी के उस पार कालिंजर तक है, वहां पर सगरा नामक बांध बनाने की योजना विचाराधीन है।

२८—श्री मतोलासिंह —

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस क्षेत्र में नाले अधिक हैं और बरसात में पानी अधिक देते हैं तथा छोटे-छोटे बांध बनाये जा सकते हैं ?

श्री गिरधारीलाल —

इन नालों का सर्वेक्षण करने के बाद ही यह निश्चय किया जा सकता है कि इन पर बांधों का निर्माण किया जा सकता है अथवा नहीं।

२९—श्री मतोलासिंह —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बांदा के बांदा परगना में पंचम बांध का निर्माण किया गया है और सन् १९६४ में बांध में पानी भरने की योजना है और क्या उसमें ग्राम पंचमपुर की सारी भूमि ग्राम सहित विलीन हो गई है ?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां। सन् १९६४–६५ में बांध में पानी भरने की योजना है। बांध में पानी भरने पर केवल ३२०.६४ एकड़ भूमि डूब में आने की सम्भावना है। ग्राम पंचमपुर को डूबने से बचाने के लिये उसके तीन ओर रिंग बांध निर्माण करने की योजना है, इस योजना से ग्रामवासी उसी ग्राम में बसे रहेंगे।

३०—श्री मतोलासिंह —

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त ग्रामवासियों को जीविका उपार्जन हेतु जिसका आश्वासन जिला अधिकारी तथा नहर विभाग द्वारा दिया गया था पास ही की ग्राम सभा की परती भूमि को और मडई-छतैनी आदि ग्राम की भूमि पट्टे पर दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल —

कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अत: अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापितों को सुविधायें

३१—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्य प्रदेशों से यहां बस गये विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को वह कोई सहायता अथवा पेंशन देती है ?

श्री मुजफ्फर हसन —

जी हां।

उन्हें उसी तरह की सुविधायें दी जाती हैं जैसी कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजनैतिक पीड़ितों को।

सिकन्दराबाद बस स्टैन्ड

३२—श्री जसरामसिंह —

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर का जो राजकीय बस स्टेंड है उसके पास जो रजिस्ट्री का दफ्तर है उसको राजकीय बस स्टेंड में लेने के लिये क्या राजस्व विभाग ने कोई पत्र-व्यवहार किया है ? यदि किया है, तो क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन —

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

३३—श्री जसरामसिंह—

क्या बस स्टेंड के लिये शहर के बाहर कम्पनी बाग के सामने जो खेत है उनको एक्वायर करने का सुझाव सरकार के सामने है ? यदि हां, तो कब तक वह एक्वायर होंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन —

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

बुलन्दशहर जिले को बिजली

३४—श्री जसरामसिंह —

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में कितने और कौन-कौन से गांवों में कब तक बिजली लग जाने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल —

जिला बुलन्दशहर में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक ५१ जगहों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और २८ जगहों का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में किये जाने की सम्भावना है उपरोक्त जगहों के नाम नत्थी की गई सूची "क" तथा "ख" में दिये हुये हैं ?

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १४२–१४३ पर।)

३५—श्री जसरामसिंह —

क्या कस्बा जेबर, रबूपुरा जहांगीरपुर आदि का सरकार द्वारा सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां। इन जगहों को आवश्यक सर्वे करने के बाद विद्युतीकरण के लिये छांट लिया गया है।

३६–३७—श्री देवीदत्त—

[२रे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रदेश में शीत लहर आदि से फसल की क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय उग्रसेन का आया है। मैंने इसको नियम ५२ में लिया है और नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास १५–१६ सूचनायें आयी हैं। ये सभी भीषण शीत लहरी और उसके परिणाम स्वरूप जो फसलें नष्ट हुई हैं उसके सम्बन्ध में हैं। यद्यपि यह विषय ऐसा है कि जिसका संकेत अभिभाषण में किया गया है और उसके ऊपर चर्चा भी हो सकती है तो भी मैं यह समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इन सूचनाओं के ऊपर अपना एक वक्तव्य दे दें जैसा प्रायः दे दिया करते हैं ताकि सदन को मालूम हो जाय कि राज्य में क्या क्षति हुई है और क्या कदम सरकार उठा रही है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—

मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिये तत्पर हूं लेकिन मुझे हफ्ता दस रोज का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आगामी सोमवार को रख दिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। स्थिति बड़ी गंभीर है। यह हर जगह है। जिले वार इसकी रपट आये। मैंने जिलाधीश, देवरिया को स्वयं कहा कि हालत बड़ी खराब है। तो जिलाधीश ने मुझसे कहा कि हां, मैं सोच रहा हूं। इसलिये वे तुरन्त जिलाधीश को आदेश दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमने आदेश दे दिया है। आपका कहना दूसरे माने रखता है और हमारा कहना दूसरे माने रखता है।

श्री उग्रसेन—

ठीक है, अगर माने रखता तो यहां कैसे कहते? जिलाधीश को फौरन मुअत्तल कर देता लेकिन क्या करूं बेवसी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सोमवार के बजाय बुधवार कर दीजिये क्यों कि सारे सूबे से मुझे सूचना मंगानी है।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से कीजिये कि सबको साइक्लोस्टाइल कापीज दिला दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, बंटवा देंगे।

श्री उग्रसेन—

श्रीमान्, कम्बल बंटवा दें और होटल खुलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप उनसे मिलकर बता दीजिये। वह बहुत सी बातें करेगें।

अन्य सूचनाएं

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, हजारों आदमियों ने सत्याग्रह में भाग लिया और उसके संबंध में हमारा काम-रोको प्रस्ताव था और पता नहीं कि आपने कैसे नहीं लिया?

श्री अध्यक्ष—

दूसरे कामरोको प्रस्ताव आये हैं उनको मैंने अस्वीकार किया है। कामरोको प्रस्ताव में एक बात का ध्यान रखना है। वह यह कि वह ऐसा होना चाहिये कि जो सदन में कार्य रहा हो उससे अधिक महत्व रखता हो और सदन के काम को हम रोक के उसको सम्पन्न करें। आपने जो सूचना दी है, उससे यह विदित होता है कि एक सत्याग्रह चल रहा है और उसके संबंध में कुछ आपके ख्याल में अनियमिततायें हुई हैं तो यह विषय ऐसा है कि जो आप, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के संबंध में बोलते हुए उठा सकते हैं। कामरोको प्रस्ताव का दूसरा नियम यह भी है कि, अगर उस विषय के संबंध मे चर्चा हो सकती है, जैसे बजट की बहस में या सम्बोधन की

बहस में, तो उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है। इन्हीं आधार पर मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, नियम ५२ का मैंने नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप उनसे कहें कि वे एक वक्तव्य दें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने अस्वीकार किया है। आई. एम. सौरी।

श्री कल्पनाथसिंह—

वक्तव्य देने के लिये कोई बात नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी ने जो दिन निश्चय किया है उसके लिये कुछ नहीं कहना है। केवल इतना ही कहना है कि गोरखपुर जिले में विभिन्न प्रकार के टैक्सों की वसूली हो रही है और बड़ी निर्दयतापूर्वक हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप यह कहने लग जायंग तो प्रत्येक जिले के और प्रत्यक चुनाव क्षेत्र के व्यक्ति खड़े हो जायंगे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जो शीतलहरी के ऊपर वक्तव्य देने का आदेश दिया है वह कल के नियम ५२ के ऊपर है जो आज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें सब हैं बहुत से हैं, १५,१६ हैं।

श्री झारखण्डे राय—

कल लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, जो कल आयेंगे उनको कल लिया जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, आपने कल कहा था कि नियम ५२ की या जो भी सूचनाय हैं, उनका आज फैसला कर देंगे। लेकिन आज जो सूचनाएं आयी हैं उनको कल की सूचनाओं के साथ लेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद आपने निरस्त कर दिया या क्या किया?

श्री अध्यक्ष--

सब को एक साथ लिया गया है । उसमें बहस न कीजिये ।

श्री झारखण्डेराय--

जब आपने कल और आज दोनों को ले लिया तो उसमें हमारे प्रदेश में चार आयुर्वेदिक कालेज में हड़ताल चल रही है सात महीने से, उस पर प्रस्ताव था । उसको कृपा करके किसी रूप में आने दीजिये, वक्तव्य के रूप में ।

श्री अध्यक्ष--

वह नियम ५२ के अन्तर्गत है । एक को स्वीकार कर लिया तो दूसरा नहीं आ सकता ।

श्री झारखण्डेराय--

इसको फिर दिया जाय, क्या किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ में अगर इस कारण से कि दूसरा नियम ५२ मे ले लिया गया है, स्वीकार नहीं हो सकता है और वह अविलम्बनीय है तो अल्पसूंचित प्रश्नों द्वारा वह उठाया जा सकता है । अल्पसूचित प्रश्न में आ सकता है, अगर अविलम्बनीय देखूंगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा ।

कामरोको प्रस्ताव के संबंध में भी मैं निवेदन कर दूं । बहुत ही अविलम्बनीय और अर्जेंट विषय हो सकता है लेकिन नियमों के अन्तर्गत संभव है कि न आ सकता हो तो अल्प-सूचित प्रश्नों में वह आ सकता है । मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा कि अविलम्बनीय विषय के संबंध में सरकार की तरफ से वक्तव्य दिला दिया जाय, लेकिन अगर नहीं आ सकता तो अल्पसूचित प्रश्नो द्वारा आ सकता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी । आपने नियम ५२ में एक स्वीकार कर लिया है इसलिये अब वह नहीं आ सकता । लेकिन वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

हमसे मिलकर समझा दीजिये । मेरी समझ में आ जायगा तो भेज दूंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

एक दरोगा ने एक आदमी की हत्या कर दी ।

श्री अध्यक्ष--

यह आउट आफ आर्डर है ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

मैंने कल सेक्रेटरी महोदय को सूचना दी थी जब राज्यपाल महोदय संबोधन कर रहे थे ।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं देखूंगा ।

श्री गयाप्रसाद--

उसका समय चला जायगा तब देखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसको देखा नहीं है। आपने पीछे दिया है ।

श्री गयाप्रसाद--

मेरा निवेदन जबानी सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा आर्डर है। (श्री गयाप्रसाद ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

घाघरा अपनी धारा बदल रही है और भीषण कटाव करने लगी है, उस पर बयान दिलवा दीजये ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा इसे देखा जायगा ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

मैं केवल एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। एक विशेष परिस्थिति है । गोंडा जिले में। बलरामपुर के तराई क्षेत्र में ऐसा भीषण अकाल पड़ा हुआ है और बहराइच से नैपाल की सरहद से वह क्षेत्र मिला हुआ है (व्यवधान) विशेष बात में कहना चाहता हूं। कि वह धान पैदा करने वाला क्षेत्र है धान भी वहां नहीं पैदा हुआ और उसके बाद भी ६ नवम्बर...

श्री अध्यक्ष--

अच्छा तो एक बात सुनिये। अगर इस तरह से हर एक व्यक्ति अपने-अपने नियम ५२ के प्रस्ताव पर बोलने लगे तो तीन घंटे तो इसी में चले जांयगें ।

श्री सुखदेवप्रसाद--

मेरे कहने का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में कोई जाता नहीं है तो जांच करने के लिये मंत्री जी....

श्री अध्यक्ष--

यह आउट आफ आर्डर है, आप बैठ जाइए ।

श्री सुखदेवप्रसाद--

मैं भूख हड़ताल करूंगा अगर सरकार नहीं सुनती है.....

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ आप कह रहे हैं वह रेकर्ड में नहीं आयेगा ।

सप्ताहिक कार्यक्रम

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का कार्य-क्रम मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं तीन दिन ४, ५ और ६ को राज्यपाल के संबोधन पर चर्चा । ७ तारीख को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार।

१--उत्तर प्रदेश गोदाम संशोधन विधेयक, १९६३ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ।

[श्री बनारसीदास]

२—उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।

३—उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार विधेयक, १९६३ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता था कि कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक जी ने जो कार्यक्रम रखा है जो परिपाटी उसके संबंध में है वह यह कि हाउस के विरोधी दलों के जो सचेतक हैं सभी आपके कमरे में बैठें और समय का बटवारा करें और उसके बाद सरकार अगर हाउस में इस तरह का बटवारा करे विधेयकों के संबंध में या भाषणों के संबंध में तो यह अच्छी परिपाटी होगी। इस प्रकार से पेश कर देना और फिर इधर से उसका विरोध हो और फिर इसके बाद हम लोग बैठें तब फैसला लिया जाय, यह मैं समझता हूं कि कोई अच्छी परम्परा नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो पेश किया गया है उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। पहले आप बुलाकर के हम लोगों की बैठक कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं बतला दूं। यह तो सरकारी कार्यक्रम आपके सामने रखा गया। अब इसमें समय विभाजन अर्थात् कितना समय किस विधेयक आदि को देंगे यह हम बैठकर कार्यमन्त्रणा समिति में तय कर लेंगे। इस समय तो आपने अपना एक प्रोग्राम रखा है कि आप यह प्रस्तुत करना चाहते हैं। जहां तक कि अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके लिये तो तीन दिन निश्चित हैं। [वह तीन दिन तक चलेगा। चौथे दिन क्या होगा वह कार्यमंत्रणा समिति किस प्रकार से कार्य होगा, तय कर लेगी।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कार्यमंत्रणा समिति में तय होने के बाद ही घोषणा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री बनारसीदास—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के नियम २५ (२) के अनुसार यह अनिवार्य है कि गवर्नमेन्ट की ओर से एक सप्ताह का कार्यक्रम बतलाया जाय और जैसा रामसुन्दर जी ने अभी कहा कि इसमें सलाह नहीं ली गई, तो जो कार्यक्रम रखा जा रहा है कार्यमंत्रणा समिति के सामने तो वह जायगा ही कि कितना समय किस विधेयक को देना है और जहां तक और कार्यक्रमों का सवाल है वह जो निपमावली में लिखा है विरोधी दल के नेता से परामर्श करके बजट इत्यादि का समय निर्धारित होगा, वह तो होगा ही।

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सम्बन्धित शास्ति के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक सूचना और मैं दे दूं कि इस सदन के आदेशानुसार तीन व्यक्तियों को शास्ति देनी है। वह कार्य दो बजे सम्पन्न होगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व मैं यह बतला देना चाहता हूं कि मैंने समय विभाजन इस प्रकार से रखा है प्रस्तावक को ३० मिनट, माननीय नेता विरोधी दल को ३० मिनट, अनुमोदन कर्त्ता को १५ मिनट, तथा अन्य विभिन्न पार्टियों के नेताओं को २०, २० मिनट और माननीय सदस्यों को १०, १० मिनट बोलने के लिये मिलेंगे।

श्री ब्रह्मदत्तमाथर (जिला सहारनपुर)—

मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। कल जिस समय महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण सुनने के लिये हम यहां पर एकत्रित हुए तो उधर लाबी में रोजाना के मुताबिक हाजिरी का रजिस्टर नहीं रखा गया। उसके बाद जब हम सब लोग यहां पर २॥ बजे फिर एकत्रित हुए तो उस समय भी फौरन असेम्बली खतम होते ही रजिस्टर हटा लिये गये। इस प्रकार से बहुत से लोग अपने हस्ताक्षर करने से वंचित रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आदेश दे दिये हैं कि ५ बजे तक जो भी आयें हों उनके हस्ताक्षर ले लिये जायं।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

यह १० मिनट का समय माननीय सदस्यों के लिये जो रखा गया है, बहुत कम है। हम लोगों के लिये भी १५ मिनट का समय रखा जाय, तो अच्छा रहेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह १० मिनट तो रखे गये हैं, लेकिन उस समय जो महानुभाव पीठासीन होंगे, उनको इतना डिस्क्रीशन रहेगा कि वह १० से १५ मिनट कर दें। वह १० मिनट से १५ कर सकें, इतना तो लैटीट्यूड उनको रहना ही चाहिये।

श्री वीरसेन—

१५ मिनट रखे जायं। अगर कोई कम बोलना चाहे तो वह कम बोले।

श्री अध्यक्ष—

आप १५ मिनट बोल लीजियेगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि १० तो विरोधी पार्टी हैं उनके १० नेता हैं। २०, २० मिनट तो उनके हो गये। आधा घंटा विरोधी दल के नेता का हो गया। तो यह ३० मिनट तो इन ११ आदमियों में ही तकसीम हो गये। हम लोग भी २७५ हैं उनको भी तो कुछ समय मिलना चाहिये। कम से कम इतना टाइम आप दे दें जिससे बोलने का अवसर मिल सके। यही आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप भूल गये। सरकार में भी तो २० मंत्रिगण हैं जो २०, २० मिनट बोलेंगे।

*श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि "यह सदन महामहिम राज्यपाल महोदय का उनके अभिभाषण के लिये आभारी है।" माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे सौभाग्य की बात है कि इस सत्र का आरम्भ महामहिम राज्यपाल के भाषण से प्रारम्भ हुआ। उन्होंने अपने इस भाषण में पिछले २,३ वर्षों में अपनी सरकार की तरफ से इस प्रदेश की जनता के कल्याण के हित में और उसकी शांति के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं, उस पर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ भविष्य में भी उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या योजनायें हैं इसको उन्होंने अच्छे ढंग से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है।

सर्व प्रथम उनकी दृष्टि सुरक्षा की तरफ गई कि यहां की सुरक्षा दृढ़ हो। जिस समय अपने देश के ऊपर चीन का आक्रमण हुआ उस समय आक्रमणकारी के मन में यह आशा थी कि देश के सारे नागरिक आपस में छोटी-छोटी समस्याओं को सामने रखकर, अपने जातिवाद को सामने रखकर, साम्प्रदायिकता को सामने रखकर, अपने भेदभाव को सामने रखकर वह अलग-अलग बिखर जायेंगे, परन्तु चीनी आक्रमणकारियों ने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत माता की मांग पर, उसकी लज्जा और मर्यादा को कायम रखने के लिये हर भारतवासी अपने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के आवाहन पर, जो उस समय बिखरा हुआ था, एक सूत्र में बंध जायगा और इसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश का हर नागरिक, जो जिस स्थान पर था, और चाहे वह अमीर था या गरीब, उसने अपने उत्तरदायित्व को निबाहा है। और यहां की जनता ने निश्चय कर लिया है कि हम अपने को इस बात में पीछे नहीं रखेंगे। यह केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व तो है ही कि वह अपने देश की रक्षा करे, पर साथ ही साथ अपने प्रदेश की भी एक जिम्मेदारी है। अपने प्रदेश की सीमा सैकड़ों मील तक विदेशियों के देश से मिली हुई है और वह अपने प्रदेश की जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें।

इसके साथ ही अपना मनोबल रखना भी आवश्यक है और इस दिशा में अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे सराहनीय हैं। पी०ए०सी० की बटालियनें बढ़ायी गयी हैं। इसके अलावा इस सदन में होमगार्ड विधेयक पारित किया गया है और उसमें आशा की जाती है कि जितने एबिलबाडीड परसन्स हैं वे उसमें आयेंगे। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की स्त्रियों को भी उसमें लाभ उठाने का मौका मिलेगा और एक सेकिंड लाइन आफ डिफेंस बनाने में वे अपना सहयोग देंगी। इस मनोबल को बढ़ाने के प्रयास में सरकार ने एक सैनिक स्कूल भी खोलने की व्यवस्था की है। उत्तराखंड डिवीजन की आर्थिक दशा सुधारने में सरकार ने कई कदम उठाये हैं और आशा की जाती है, जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अवलोकन किया है, उससे प्रदेश की आर्थिक दशा में बड़ा सुधार होगा और हमें अन्त में सफलता मिलेगी।

सुरक्षा के साथ-साथ एक कर्त्तव्य हो जाता है और देश और प्रदेश में शांति स्थापित किये रहने का और इस सिलसिले में उन्होंने प्रदेश की पुलिस की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। पुलिस ने खास कर चम्बल घाटी में जो कार्य किया है वह सराहनीय है और मुझे आशा है कि पुलिस अपने कार्य में और वीरता का परिचय देती रहेगी।

सुरक्षा के बाद राष्ट्र के हित में उसकी आर्थिक अवस्था की बात आती है। उसे सुदृढ़ करने के लिये इस राज्य की सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाये हैं। यह सही बात है कि जितनी तीव्रता से हमें अपनी योजनाओं की ओर अग्रसर होना चाहिये था उसमें हमें उतनी सफलता नहीं मिली है और उसके कई कारण हैं। कारण दैवी आपदायें भी हो सकती हैं। प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया और इसके लिये हम तैयार नहीं थे। विदेशी मुद्रा की भी एक समस्या है। जितनी विदेशी मुद्रा हमें योजना के लिये चाहिये वह हमें मिल नहीं पाती और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें देखना चाहिये कि जितनी सफलता हमें चाहिये वह न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलते हुए भी हमने अपने साधन जुटा लिये हैं। और हम इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि हमारी आर्थिक दशा सुधरे।

आर्थिक दशा सुधारने के लिये कृषि उत्पादन बढ़ना अत्यावश्यक है और इसके लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं जरा इस पर भी हम लोग अपनी नजर डालें। महामहिम राज्यपाल ने आप का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ चीजों की ओर आकृष्ट किया है। जगह-जगह कई कमेटियों का निर्माण हो चुका है, लेकिन उनमें कोई समन्वय नहीं है। इस तरह से डुप्लीसिटी आफ वर्क हो जाता है और इसलिये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमेटी का निर्माण हुआ है। यह भी सोचा गया है कि जो महकमे कृषि से सम्बधित हैं उनमें एक समन्वय लाया जाय, ताकि कृषि को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिये वह जल्द से जल्द मिले। साथ ही साथ यह भी खुशी की बात है कि सरकार ने जितने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जैसे जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया, इनमें अच्छी तरह से सर्वेक्षण कराया है और आशा की जाती है कि उसकी जो रिपोर्ट सरकार के पास आयी है उस पर जल्द से जल्द अमल किया जायगा क्योंकि यह एक सायोलाजिकल फैक्टर है कि अगर शरीर का कोई एक अंग पीड़ित है तो उसके कारण सारे शरीर को पीड़ा रहती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के जो हमारे पिछड़े इलाके हैं अगर उनके पिछड़ेपन को दूर नहीं करते हैं तो संभवतः पूर प्रदेश के आर्थिक सुधार में देर हो जाय, इसलिए प्रादेशिक सरकार बधाई की पात्र है। साथ ही साथ कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये और भी योजनाएं बनायी गयी हैं। औद्योगीकरण के लिए कई एक कदम बढ़ाये गये हैं ताकि उत्तर प्रदेश को उस ओर भी एक उचित स्थान मिले। इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारी जितनी पिछली शक्कर की मिलों की पुरानी इकाइयां हैं उनका नवीनीकरण किया जाय और इसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है जो अपनी रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत करेगी और शक्कर जो हमारा पुराना उद्योग है वह सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकेगा। उद्योग के सम्बन्ध में, जैसा कि महामहिम राज्यपाल ने बतलाया, एक मोलैसेज ऐक्ट भी आने वाला है। उसके आ जाने से शीरे के उद्योग में भी सफलता मिलेगी और वह काम में आ सकेगा।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने एक बहुत अच्छी खुशखबरी हम लोगों को दी है और सरकार को बधाई दी गयी कि अक्सर सुनने में आता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के पूंजीपतियों को बिजली आज समय से उपलब्ध नहीं हो सकती है। इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि पूंजी वाले लोग अपनी पूंजी दूसरे प्रदेशों में ले जाते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि २२० किलोवाट की एक ट्रंक लाइन तैयार की जा रही है जिससे पावर स्टेशंस ईटंर कनेक्ट हो जायंगे और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आशा की जाती है कि जितनी भी बिजली की जरूरत होगी कृषि और उद्योग के लिए, उसकी पूरी की पूरी पूर्ति हो सकेगी। यह एक तरह का चैलेंज है पूंजीपतियों को कि वह आगे आकर उद्योग में लग जायं। यही नहीं, आशा यह भी की जाती है कि इतनी बिजली उनको मिल जायगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य था कि १,५०० ग्रामों में बिजली दे सकें, इतनी मात्रा में बिजली उपलब्ध हो जायगी कि हम ३,००० ग्रामों को बिजली दे सकेंगे। इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय को बधाई दूंगी।

साथ ही साथ, हालांकि हम उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, परन्तु जो पंचायतराज की स्थापना महामहिम राज्यपाल के कार्य-काल में हुई है वह एक बहुत बड़ी योजना है जो हमारे स्वप्न का संसार बनाने में सफल होगी। वह एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। आंध्र, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां भी पंचायतराज की स्थापना हुई है वहां पर इतना क्रान्तिकारी कदम नहीं लिया गया है जितना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। क्योंकि यहां पर जिला परिषद्, क्षेत्र समिति को बहुत ताकत मिली है और वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है। मुझे आशा है कि समय-समय पर अगर सरकार कुछ उचित संशोधन उसमें लाती रहेगी और अगर इस विकेन्द्रीकरण को अच्छे रूप में पारित करेगी तो वह दिन दूर नहीं है जब सोशलिस्ट इकोनामी के अनुरूप वहां सच्ची सत्ता आ जायगी और सत्ता का विकेन्द्रीकरण समाज के हर जीवन में हो जायगा। इस क्रान्तिकारी कदम के लिए राज्यपाल महोदय बधाई के पात्र हैं।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज्य के अन्तर्गत प्रगति हुई है, नागरिक क्षेत्र में भी महापालिकाएं हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके विकेंद्रीकरण की भी जरूरत समझी जाती है और मैं आशा करती हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय और सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जैसी कि गांव पंचायतों को ताकत दी जा रही है और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है, उसी प्रकार नागरिक क्षेत्र में भी हमारी वार्ड कमेटीज को, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको इतनी ताकत दी जायगी, ऐसी इकाइयों का गठन होगा कि जो वास्तव में जनता की प्रतिनिधि बन कर आयी हैं, जिससे वे नागरिक क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकें। मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब यह अधिनियम लायेगी तो इस पर विचार करेगी।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में शिक्षा के ऊपर भी कुछ प्रकाश डाला है। हमारे कुछ माननीय सदस्य ८वें क्लास तक निःशुल्क शिक्षा दिये जाने पर जोर देते हैं। हम लोग अगर कोशिश करें तो ८वीं क्लास तक क्या १०वें क्लास तक की शिक्षा निःशुल्क हो सकती है। परन्तु इस सम्बध में कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं जिसके कारण सरकार ६वें क्लास तक की शिक्षा निःशुल्क कर पायी है। यह बड़े अफसोस की बात है कि जितना हम इस क्षेत्र में करना चाहते हैं, वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं कर पाये। परन्तु सरकार ने टेक्नीकल और वैज्ञानिक शिक्षा की प्रगति की ओर विशेष ध्यान दिया है और नैनीताल में जो आब्जरवेटरी स्थापित की गयी, हमें खुशी है, कि उसमें हमें काफी कामयाबी मिली है और वह सफल हुई है।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि, जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्वयं महसूस किया है, हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है। आज बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं और उसके साथ-साथ उनके पर्सनल की भी कमी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये मेडिकल कालेज की स्थापना करना उचित बात है, परन्तु इसके लिये भी हम सब को मिल कर कोई ऐसी योजना पर विचार करना चाहिये जिससे यह दिक्कत दूर हो सके।

कुछ निवेदन मुझे भूमि सुधार के सम्बन्ध में भी करना है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। यहां पर जमींदारी उन्मूलन भी हुआ है। इससे इस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य हुआ है, किन्तु अभी भी हमको इस ओर एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि इस योजना को हम परमानेन्सी का रूप दे सकें।

हिन्दी के विषय में भी मैं दो शब्द कहना चाहती हूं। जब महामहिम राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण दे रहे थे, उस समय माननीय उग्रसेन जी, जो इस सदन के बड़े सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने रोष में आकर अपनी नीति के अनुसार सदन से बहिष्कार कर दिया। हर आदमी चाहता है कि हिन्दी को उचित स्थान मिले और जल्दी से जल्दी वह अपने स्थान पर पहुंचे, परन्तु मैं अपने सम्मानित भाई से यह पूछने की धृष्टता करूंगी कि मान लीजिये उत्तर प्रदेश का कोई राज्यपाल यदि दक्षिण में चला जाय और वह वहां की भाषा को न जानता हो, तो क्या किया जाय? यहां उनक अभिभाषण के समय बहिष्कार करने से सारे प्रदेश पर एक ठेस लगी है। अतः मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे भविष्य में ऐसा न करें और इस प्रश्न पर विचार करें, इससे हिन्दी को भी ठेस लगती है।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं। महंगायी और दामों के बढ़ने के कारण अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें शुगर का मामला भी है, उसकी कठिनाई भी है। शुगर का मामला एक अलग मामला है। उसकी जो कठिनाई है उसके विषय में हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर उसका कारण क्या है। यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विदेशी मुद्रा हासिल करने का भी प्रश्न हमारे सामने है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमें उस पर विचार करना चाहिये। जहां तक जो दाम बढ़े हैं उनके बारे में अगर माननीय उग्रसेन जी मुझे कहने की इजाजत देंगे तो मैं श्री मेहता ने १९५८ में

जो भाषण दिया था उसके एक अंश को जो अंग्रेजी में है, पढ़ देना चाहती हूं। वह इस प्रकार है—

"Despite inflation and drop in the purchasing power of money, a recent world survey showed India's record was the best in this respect barring Switzerland. Inflation was bad if it led to stagnant economy, but if it released dynamism in the economy and propelled the productive forces further and further forward, there was nothing to be worried about. A sense of awareness and urgency has to be imparted so that every scheme may keep to the schedule."

तो मैं यह कहूंगी कि बढ़ती हुई कीमतें किसी को नहीं भाती हैं क्योंकि उससे गरीब जनता को तकलीफ होती है। हर एक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह यह प्रयास करे कि जनता की कठिनाई को जल्दी से जल्दी दूर किया जाय लेकिन यह ऐसी एकोनामी है कि हमें उसके लिये कुछ न कुछ कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी, सुझाव देने पड़ेंगे।

अन्त में भाषण समाप्त करने के पहले मैं, नेता विरोधीदल, श्री शरदाभक्तसिंह जी, जो एक सम्मानित सदस्य हैं, विद्वान हैं, शिष्ट हैं उनसे तथा और विरोधी दलों के नेताओं से अनुरोध करूंगी कि इस विषय पर चर्चा करते हुए वे इस बात का ध्यान रखें कि प्रदेश की जनता के साधन क्या हैं, हमारे साधन सीमित हैं। इसके साथ ही साथ जो योजनाओं का नक्शा है, जिनको हमें कार्यान्वित करना है, उनको भी अपने सामने रखना है और उन पर गम्भीरता से विचार करना है कि किस प्रकार से जिम्मेदारी के साथ दोनों का समन्वय हम कर सकते हैं। इस बारे में सब लोग ठोस सुझाव दें और मुझे विश्वास है कि हमारी मुख्य मंत्रिणी जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रदेश को आगे ले चलने के लिये स्वीकार किया है, उन सुझावों को मानेंगी। उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, सम्मिलित प्रयास से उसको आगे ले चलना है।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसको इस दृष्टि से देखना चाहिये कि यह अभिभाषण सरकारी कार्यवाहियों की रिपोर्ट नहीं है। महामहिम राज्यपाल, राज्य सरकार की सत्ता के प्रतीक हैं, जिनके नाम से राज्य की सारी आज्ञाएं दी जाती हैं, वे किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं होते वे अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की नीतियों के सम्बध में मूल रूप से संकेत करते हैं आगे आने वाले वर्ष के लिये और थोड़ा सा प्रकाश पिछले वर्ष के कार्यों के बारे में डालते हैं पीपल के बीज में जिस प्रकार से पीपल का पेड़ निहित होता है उसी प्रकार से इस अभिभाषण में ये चीजें निहित होती हैं। भविष्य में सरकारी नीति, उसको कार्यप्रणाली, तथा भावी योजनाओं के सम्बन्ध में जो सरकार द्वारा कृत किये जा रहे हैं, सरकार द्वारा जिन नीतियों का प्रतिपादन किया जा रहा है, उनके सम्बध में इसमें संकेत होता है। इसमें हमें किसी चीज का विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हो सकता, इस दृष्टि से हमें इस अभिभाषण को देखना चाहिये।

श्रीमन्, हमारे महामहिम ने अपने अभिभाषण में जिन मुख्य बातों की चर्चा की है उनमें प्रतिरक्षा की समस्या के बारे में, नियोजन की समस्या के बारे में, इसके अतिरिक्त और भी उद्योगों के बारे में, प्राविधिक शिक्षा के बारे में और विभिन्न आने वाले अधिनियमों के बारे में संकेत किया है, उसकी झांकी दी है। लगभग सुरक्षा के सारे अंग, सरकार के सारे अंगों पर उन्होंने थोड़ा-थोड़ा संकेत किया है। सुरक्षा के प्रयत्नों के सम्बन्ध में जो सरकार ने कार्यवाही की है उसको इस दृष्टिकोण से देखने पर जो कि हमारी सरकार ने इस संकटकालीन स्थिति में हमारे संकटपूर्ण सीमा के सम्बन्ध में की है, एक तरह से मैं उसकी सराहना करता हूं। सरकार ने जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

सीमा पर पी० ए० सी० की बटालियन भेजी है वहां पर उसने जनता के मनोबल व उसके स तुलन को भी बनाये रखा है। जनता के सम्मुख सन्तुलन को बनाये रखना एक बहुत बड़ी वस्तु है। जनता के मनोबल व सन्तुलन के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आपको स्मरण होगा कि पिछले द्वितीय युद्ध के समय जो लड़ाई लड़ी गयी उसमें एक तरफ तो जापान, जर्मनी और इटली जैसे अप्रजातांत्रिक धुरी राष्ट्र थे और दूसरी तरफ इंगलैण्ड जैसे प्रजातांत्रिक देश थे। उन सारे देशों ने अपने को युद्ध की लपटों में झोंक दिया। सारे देश युद्धवादी हो गये लेकिन प्रजातांत्रिक देशों ने अपने यहां के लोगों का सन्तुलन बनाये रखा। जब युद्ध का वातावरण हो, उस समय देश के अन्दर आन्तरिक शान्ति का बना रहना भी बहुत आवश्यक होता है। आक्रमणकारी देशों ने युद्ध के नाम पर वहां की आजादी का अपहरण किया, वहां के लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण किया और रंगभेद के नाम पर यहूदियों का बहिष्कार किया। लेकिन हमारी सरकार ने युद्ध की हालत में भी आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिये, जहां अपनी धरती को छुड़ाने के लिये तमाम प्रयत्न किये हैं वहां अपने देश की जनता के मनोबल और उसके सन्तुलन को भी कायम रखा। हमारी सरकार ने आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिये प्रतिरक्षा के जितने भी प्रयत्न किये वे सराहनीय हैं। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वाह्य आक्रमण के समय आन्तरिक सुरक्षा का बना रहना बहुत आवश्यक होता है। यदि आन्तरिक शान्ति न हो तो देश में किसान अच्छी खेती-बारी नहीं कर सकता, व्यापारी अच्छी तरह अपना व्यापार नहीं कर सकता, कल-कारखाने अपने उत्पादन को कायम नहीं रख सकते। जब तक हर परिवार सुख शान्ति से सोयेगा नहीं तब तक देश का वातावरण ठीक नहीं हो सकता। युद्ध के समय आवश्यक है कि लोग अपने को सुरक्षित अनुभव करें ताकि वे सुरक्षा सम्बन्धी चीजों के उत्पादन में विशेष सहायक हो सकें। इस बात को वे अनुभव करें कि हमारी आजादी सुरक्षित है, हमारा स्वाभिमान सुरक्षित है और हमारी सारी सम्पदा सुरक्षित है। हमारी सरकार ने चम्बल घाटी से डाकुओं का सफाया करने के लिये जो सचल-दल रखा है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। उस सचल दल ने डाकुओं के उस गढ़ से बहुत से डाकुओं का सफाया किया है। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के रेडियो विभाग द्वारा शीघ्र सूचना भेजने की जो व्यवस्था की गयी है उसकी वह सेवा भी सराहनीय है।

श्री अध्यक्ष---

आप बहुत तेज बोल रहे हैं, जरा धीरे-धीरे बोलें। रिपोर्टर्स आप को फालो नहीं कर रहे हैं, इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री बेचनराम---

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को देखने के पश्चात्, और सुनने के पश्चात् पता लगता है कि हमारी सरकार शान्ति व सुरक्षा के विषय में, उद्योगों के विषय में, उत्पादन व नियोजन के विषय में भी बहुत सक्रिय है। समाजवादी राज्य की स्थापना केवल इसी नजरिये से नहीं होती कि तमाम साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाय या पूंजी के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और सब कुछ समाज के अधिकार में आ जाय बल्कि वह समाजवाद इस दृष्टि से होना चाहिये कि जिससे उत्पादन अधिक हो। स्टेलिन जो बहुत बड़े समाजवादी थे उनके शब्दों में अगर हम देखें, यद्यपि हम उन कम्युनिस्ट देशों के नजरिये से भिन्न रूप से कार्य करते हैं परन्तु उन्होंने कहा था कि हम इतना उत्पादन करेंगे कि हम नगरों और ग्रामों के अन्तर को मिटा देंगे। आखिरकार अधिक पैदावार करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये। समाजवाद किस तरह से आयेगा? उसको लाने का सक्रिय रूप यही होगा कि हर तरह से उत्पादन देश में बढ़े और उससे ही समाज और जनता को अधिक सुविधायें मिल सकेंगी। समाजवाद की सफलता की परीक्षा ही यह होगी कि उत्पादन कहां तक बढ़ा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में और उसकी पुस्तक में विस्तार पूर्वक उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी योजनायें दी गई हैं और कृषि, उद्योग और सिंचाई आदि के साधनों के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों की चर्चा उस में दी गई है। कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया है कि मौसम की खराबी के कारण लक्ष्यों की प्राप्तियां नहीं हो सकी हैं। इसकी चर्चा हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों और अन्य माननीय सदस्यों ने भी की है और कहा है कि मौसम की खराबी के कारण हमारी फसलें नष्ट हुई हैं और मौसम की खराबी से अभी तक अनेक टैक्निकल और साइंसदां देश भी मोर्चा नहीं ले सके हैं। जो सिंचाई के छोटे साधन हमारे किसानों में पहले प्रचलित थे उनको भी पूरा उपयोग आज वह नहीं कर रहे हैं। तालाबों को गहरा करके जल संचय करना, नये तालाब बनाना, कुओं की व्यवस्था करना, बन्धियां आदि बनाना और जल का अनेक प्रकार से संचय करना हम अब भूल गये हैं। जो कुछ हम इस दिशा में कर सकते हैं वह भी नहीं करते हैं। इसके अलावा उर्वरक और फर्टिलाइजर का भी प्रयोग बहुत कम किया जाता है और उसको अभी हमारे लोगों ने नहीं अपनाया है। दूसरे देशों के किसान पौन एकड़ में आलू बोकर ही ५–६ परिवारों का पालन-पोषण कर सकते हैं जापान में उन्नत तरीके से धान की क्यारियां बोकर वहां बहुत अधिक उत्पादन वहां के किसान करते हैं। हमारी जो ऐसी कमियां हैं और जो खेती के पुराने तरीके हैं उनसे हमें आगे बढ़ना होगा और तभी हम अच्छे तरीके से अपना जीवन-यापन कर सकेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे। हमको इस समय कम से कम जो साधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग तो करना ही होगा।

हमारी सरकार ने सिंचाई के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई हैं, अभी छोटी-छोटी योजनाओं को साधनों के अनुसार लिया जाता है, रहट, कुओं, बन्धियों आदि की योजनाओं को लिया जा रहा है, भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में भी काम हो रहा है। उर्वरकों का प्रयोग और सिंचाई के साधनों का प्रयोग यदि ठीक से होगा तो अवश्य ही उत्पादन बढ़ेगा और उससे ही देश का भी हित होगा।

मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी देश की उन्नति के लिये और समाजवाद की स्थापना के लिये आवश्यक है कि खेती की पैदावार बढ़े और कल-कारखानों में अधिक उत्पादन हो और उद्योगों के विस्तार के लिये हर सक्रिय कदम उठाया जाय। हमारे यहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अनेक कारखाने खोले गये हैं। आप्टिकल कारखाना, डिजाइन-कम-रिसर्च सेन्टर स्थापित करने के अलावा डल्ला में एक सीमेंट फैक्टरी और खोली जा रही है, ऋषिकेश में एक एन्टीबायोटिक्स फैक्टरी खुल रही है, हरिद्वार में एक हैवी एलेक्टिकल्स का कारखाना और गोरखपुर में एक उर्वरक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है। यह हमारे यहां के बढ़ते हुये उद्योगों की एक झांकी है। हमारे यहां आज खेती में बहुत अधिक किसानों का सरप्लस है। जिसके पास जमीन कम है और आदमी ज्यादा हैं। तो जब तक आदमी कारखाने में नहीं आयेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिये निजी और सरकारी क्षेत्र में उद्योग बढ़ने चाहिये। प्राइवेट सेक्टर में बरेली में सिन्थैटिक कैमिकल्स लिमिटेड फैक्टरी लग रही है, लोनी, जिला मेरठ में अल्मुनियम की, ऋषिकेश में भी एक कारखाना खुल रहा है, इलाहाबाद में शुगर मिल मशीनरी प्रोजेक्ट बन रहा है। इन सब के लिये सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय राज्य पाल ने बहुत से ऐसे अधिनियमों का उल्लेख किया है जिनके संशोधन की बहुत दिनों से मांग थी और जो आउट आफ डेट हो चुके थे। जैसे टाउन एरिया ऐक्ट, म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट। इनको सरकार संशोधन करना चाहती है। सरकार सहकारी कानून में भी संशोधन करना चाहती है जिसके द्वारा किसानों का बहुत बड़ा हित होने वाला है। अभी तो किसान सहकारी कानूनों को ठीक से समझ नहीं पाता है जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान होता है। अब इसको आसान किया जा रहा है मैं इस स्टेप का स्वागत करता हूं। वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि हमारी नैनीताल की वेधशाला ने जो परिणाम निकाले हैं उनके बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा कि वह परिणाम संसार की वेधशालाओं में श्रेष्ठ माने गये हैं। हमारे देश के ऐस्ट्रोनोमर्स ने, भास्कराचार्य आदि ने बहुत

[श्री बेचनराम]

पहले शिलाओं पर बैठ-बैठ कर ग्रहों और तारों का निरीक्षण कर जो परिणाम निकाले थे वे परिणाम वैज्ञानिक परिणामों के बहुत नजदीक पाये गये हैं। इस तरह जो प्रयास किया जा रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं।

चिकित्सा के क्षेत्र में मेरठ में मेडिकल कालेज खोला जा रहा है तथा अन्य औषधालयों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है यह सब कार्य ऐसे हैं जो चिकित्सा सुविधा को उपयोगी बनायेंगे। एक वेलफेयर स्टेट की जो नीतियां हो सकती है, जो संकल्प हो सकता है उस सब की चर्चा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में है। जितने भी जनहित के कार्य हो सकते हैं उनको ओर सरकार सतत् प्रयत्नशील और जागरुक है जिन सब का समावेश महामना राज्यपाल के अभिभाषण में कर दिया गया है इसलिये मैं राज्यपाल के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शारदाभक्तसिंह जी, आप अपना संशोधन पढ़ दें। अन्य जितने संशोधन हैं वह सब मूव्ड समझे जायेंगे, उनके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और डिस्कशन सब पर होगा। दो प्रस्ताव और आये हैं एक माननीय उग्रसेन जी का है और दूसरा श्री उमाशंकर जी का वे भी छप जायेंगे।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:---

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में :---

(१) स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले भूमि तथा भवन-कर को वापस लेने,

(२) बढ़ती हुई महंगाई से अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के रक्षार्थ एक स्थाई वेतन बोर्ड का निर्माण करने, न्यूनतम वेतन १२५ रुपये प्रतिमास निर्धारित करने, अन्तरिम भत्ते की व्यवस्था करने,

(३) महंगाई, बेकारी तथा गरीबी को समाप्त करने के लिये सक्रिय पग उठाने,

(४) भीषण शीत तथा पाले के कारण कृषि उपज की बरबादी तथा किसान की तबाही से रक्षा करने हेतु क्षतिग्रस्त फसल के लगान की माफी, किसान पर सरकारी बकाया रकम की वसूली की रोक तथा तकावी वितरण करने,

(५) प्रशासन का सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में ही करने,

(६) प्रदेश में भारी संख्या में घुसे हुये चीनी तथा पाकिस्तानी जासूसों की राष्ट्र घातक गतिविधियों पर आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रण पाने के लिये प्रभावी पग उठानें,

(७) प्रशासन व्यय में व्याप्त अपव्यय को रोकने,

(८) किसान का लगान आधा करने,

(९) स्वर्णकारों के पुनर्वास की समस्या हल करने,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(१०) गुड़ तथा खांडसारी के निर्माण तथा उसके अन्तर प्रान्तीय व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने,

(११) कक्षा ८ तक की शिक्षा निःशुल्क करने, तथा

(१२) भूमिहीन किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की समस्याओं के निराकरण की घोषणा नहीं की गई है ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उस पर विचार भी किया । मुझे बहुत आशा थी कि इस समय उत्तर प्रदेश जिन समस्याओं के बीच से गुजर रहा है और आज जब कि उसके सामने आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयां भी हैं, उस समय में महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में कुछ नवीन नीतियां, कुछ ठोस कदम और कुछ ऐसा मार्ग दर्शन करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी लेकिन मुझे अभिभाषण सुनकर अत्यन्त निराशा हुई ।

दूसरी बात जो मैं प्रारम्भ में ही कहना चाहता हूं वह यह है कि इसका मुझे बड़ा खेद है कि उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में महा महिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण अंग्रेजी में पढ़ा गया। हमारे जितने भी नियम हैं, जितनी भी जन-साधारण की भावनायें हैं, उनका आदर ना करते हुये, अंग्रेजी में ही इस साल भी अभिभाषण पढ़ने का कार्य सम्पादित हुआ। यह दूसरी बात है कि हम संसदीय प्रणाली को स्वीकार किए हैं, अपने संविधान में महामहिम राज्यपाल को एक विशेष गौरव और गरिमा का स्थान दिए हुए हैं और इसलिए हमने अभिभाषण के समय कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे और इसलिये हमने उन मित्रों के साथ उस कदम को नही उठाया, जो कि अपेक्षित था परन्तु फिर भी हम इस बात का अनुभव करते हैं कि २ साल से हमारे महामहिम राज्यपाल इस प्रदेश में हैं। वे एक महान् विद्वान, विचारक और संस्कृत के ज्ञाता हैं। और यदि उत्तर प्रदेश के जन-साधारण की भावनाओं को ध्यान में रखते होते और हमारी सरकार इस ओर हर प्रकार से सतर्क होती तो २ वर्ष में एक अभिभाषण को हिन्दी में पढ़ने का भी ज्ञान प्राप्त न कर पाते, यह बात समझ में नहीं आती।

श्री अध्यक्ष—

हमारे नियमों के अन्तर्गत हम राज्यपाल के सम्बन्ध में कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अभिभाषण के सम्बन्ध में तो कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अभिभाषण के सम्बन्ध में भी यह नहीं कह सकते कि संविधान या नियमों के विरुद्ध हुआ है, यह भी एक आलोचना है ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि संविधान का पालन नहीं किया । मैं तो यह कह रहा हूं कि हमारी भावनाओं के अनुसार यह बहुत सुन्दर होता अगर २ वर्ष में राज्यपाल महोदय हिन्दी में ही अपने अभिभाषण को पढ़ देते । इतना ज्ञान, मैं समझता हूं, अगर प्रयत्न होता, तो हो सकता था ।

मैं इस बात को और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष के प्रान्तों में एक विशेष स्थान है। हमने उत्तर प्रदेश को देश का हृदय माना है और जितनी भी देश में राष्ट्रीय समस्यायें पैदा हुई हैं उनमें उत्तर प्रदेश का यह गर्व है कि उन समस्याओं से निकल कर मार्ग प्रशस्त करने का काम इसने किया है । आज जब हमारी राज भाषा हिन्दी है और हमारे भाग्य से राष्ट्र भाषा भी संविधान के अनुसार हिन्दी स्वीकार कर ली गयी है तो उत्तर प्रदेश का एक विशेष दायित्व है कि वह उस भाषा को इतनी आगे बढ़ा सके, इतना सक्षम बना सके कि सारे प्रशासन का काम हिन्दी में करके देश के सामने एक उदाहरण रख सके कि हिन्दी सब प्रकार सक्षम है और शासन का सारा कार्य हिन्दी के द्वारा हो सकता है ।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

हमें प्रसन्नता हुई कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की कि ६७ तक वह सारा कार्य प्रशासन का हिन्दी में करेंगे और अंग्रेजी भाषा प्रशासन के कार्यों से अलग कर दी जायगी । इसी तरह उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने और उत्तर प्रदेश की सभी जन-साधारण ने यह आशा की थी कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्राणी शायद इस अभिभाषण द्वारा यह मार्ग प्रशस्त करेंगी कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का सारा कार्य २६ जनवरी, १९६५ तक हिन्दी में करके दिखायेगा । यदि यह घोषणा की गयी होती तो हिन्दी के सम्बन्ध में और राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में जो बहुत सारी बातें हम कहते हैं उनको सार्थक करके दिखा देते । इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस शासन को प्रतिज्ञा करनी होगी देश के सामने राष्ट्र भाषा को उचित स्थान दिलाने के लिये, देश की एकता के लिये, देश के लक्षाब्द लोगों को इस देश की भाषा समझ में आ सके और कार्य प्रगति में वह भी सहभागी बन सकें इन बातों के लिये उस राष्ट्र-भाषा को अपने स्थान पर लाना होगा। इसके लिये आज से हम यह प्रयत्न करें, निश्चय करें कि जितने भी कार्य शासन सम्बन्धी होंगे वह हिन्दी में होंगे । इस प्रतिज्ञा से कष्ट होगा । यहां की नौकरशाही जो पिछले दिनों से हिन्दी से सम्बन्धित नहीं है, हिन्दी नहीं जानती उसे कुछ कष्ट हो सकता है लेकिन किसी उद्देश्य तथा ध्येय की प्राप्ति के लिये कष्ट उठाना होगा और उसके लिये जो आवश्यक कड़ाई करनी होती है वह भी करने का मौका आ सकता है । इसलिये पहली मांग मैं अपने विरोधी दलों की ओर से सरकार से यह करना चाहता हूं कि इस बात की इस विधान सभा से घोषणा होनी चाहिये कि २६ जनवरी, १९६५ तक जैसा कि संविधान ने आदेश दिया है हिन्दी को हम, अंग्रेजी भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित करें, हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करेंगे । मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्राणी महोदया ने स्थान-स्थान पर उत्तर प्रदेश को इस बात के लिये बधाई दी है कि हमने प्रथा को छोड़कर उनको गौरव का स्थान दिया। इसलिये उत्तर प्रदेश भी उनसे आशा करता है कि इस प्रदेश की भाषा को, जब अवसर आया है, ६५ तक अपने निश्चयानुसार उसके स्थान पर प्रतिष्ठित करें जिसे कि जन-साधारण चाहता है।

दूसरी बात जो अभिभाषण के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि इस प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। आज जीवनोपयोगी पदार्थों के मूल्य इतने बढ़े हुये हैं कि जन-साधारण का जीवन संकटापन्न हो रहा है । जितने अल्पवेतन भोगी हैं और जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें अपना जीवन चलाना असंभव प्रतीत हो रहा है । उनके सामने समस्या है कि अपने सीमित साधनों के अन्दर अपने सारे परिवार का भोजन, बालकों की शिक्षा और जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाय ? और जब ये मूल्य बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी योजनाओं के प्रति एक सन्देह भी पैदा हो रहा है और हमें ऐसा अनुभव होता है कि सरकार पिछले दिनों की तरह शायद कुछ न कुछ कारण देकर इस महंगाई के प्रश्न को टालना चाहती है। किसी विकास संलग्न अर्थ व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि वहां जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहें और जन-साधारण के जीवन में चीजों के बढ़े हुये मूल्यों के कारण कोई कठिनाई न हो। आज जितने भी वर्ग हैं, चाहे वह अध्यापक हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे किसान हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी इस महंगाई से पीड़ित हैं और इसके कारण उनके सामने एक भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है । देश और प्रदेश में स्थान-स्थान पर प्रदर्शन हो रहे हैं । कर्मचारी लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि सन् १९४७ में जब वेतन आयोग नियुक्त किया गया था उस समय जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य थे आज उनमें भारी अन्तर हो गया है । मैं समझता हूं कि लगभग ३६० प्वाइंट्स का अन्तर हो गया है। इसलिये आज उनके सामने समस्या है कि इस संकट-कालीन स्थिति में जब रात-दिन उन्हें काम करना चाहिये तो पेट की भूख मिटा कर काम करना उनके लिये मुश्किल हो रहा है । इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि एक द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना हम करें । वेतन आयोग हम को पहले ही से स्थापित करना चाहिये था। और प्रान्तों में हो भी चुका है । केन्द्रीय सरकार ने भी द्वितीय वेतन आयोग को बिठा कर इस आवश्यकता की पूर्ति की है, लेकिन हम इन सारी बातों को देखते हुये भी यह कदम नहीं उठा सके ।

आज यह आवश्यक हो गया है कि द्वितीय वेतन आयोग बिठाल कर सब कर्मचारियों के वेतन को ठीक कर के उन्हें राहत दी जाय ।

आज हमारे रसद मंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि जो खाद्यान्नों के भाव बढ़ रहे हैं उसके सम्बन्ध में सस्ते दामों की दुकानें खोल रहे हैं । मैं समझता हूं कि अर्थ व्यवस्था के जानकार किसी भी आदमी को यह पता है कि कीमतें होर्डिंग के कारण ही बढ़ती हैं लेकिन और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से आज हम इस संकट में पड़ गये हैं । उत्पादन नहीं बढ़ता तो उत्पादन के साधनों की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं । यातायात के महंगे होने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं । इसलिये आज केवल कुछ सस्ती दुकानें खोलने से, जो कि मैं समझता हूं जन जीवन की आवश्यकताओं की ५ फीसदी भी पूर्ति नहीं कर सकतीं, हम कीमतों पर नियंत्रण कर सकते हैं, सम्भव नहीं है । आज अगर हम सूचकांक देखें तो रिजर्व बैंक के डायरेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार १९६०–६१ में २.८ प्रतिशत कीमतें बढ़ी, १९६१–६२ में १.५ की वृद्धि हुई, १९६२–६३ में यह वृद्धि ४.६ प्रतिशत हो गयी और पिछले ६ महीनें में जो स्थिति हुई है वह अत्यन्त चिन्ताजनक है, साढ़े ७ प्रतिशत तक आवश्यक पदार्थों के मूल्य बढ़े हैं । जहां तक खाद्यान्न के मूल्यों का प्रश्न है, १३.१ तक उनमें वृद्धि हुई है । पिछले ८ साल में अगर हम देखें तो विभिन्न पदार्थों में मूल्यों में लगभग ४४ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है । इसलिये इन सारी बातों को देखते हुये आज इस प्रान्त के लोग इस बात से चिन्तित हैं कि हमारी जो व्यवस्था चल रही है, जिसके अनुसार हमने यह घोषणा की थी कि हम पदार्थों के मूल्यों को नहीं बढ़ने देंगे आज उन सारी योजनाओं के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं और जो अल्प वेतन भोगी हैं उनकी वही तनख्वाहें की जायं जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पाते हैं । यह एक बड़ी उल्टी सी बात है कि चाहे चपरासी हों, चाहे अन्य कर्मचारी हों वे केन्द्र में वही काम करते हैं जो प्रान्त में करते हैं लेकिन उनका वेतन और है और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन और है । यह किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । इसलिये हमारी मांग है कि यहां के कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन के समान किया जाय । इसके साथ-साथ जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक हैं उनके वेतन में बड़ी असमानता है, इसलिये दूसरी मांग है कि इनके वेतनों को समान किया जाय ।

इसके साथ-साथ काश्तकार को भी कठिनाई हो रही है । जहां हम खाद्यान्नों की कीमत फेअर प्राइस शाप्स खोलकर कम करना चाहते हैं वहां यह भी सोचना होगा कि जन-साधारण की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं । इसलिये उससे लोगों को राहत देनी होगी । अगर हम चाहते हैं कि गल्ले की कीमत कम हो तो हमें ध्यान रखना होगा कि काश्तकार को भी सब तरह की सुविधायें प्राप्त करायें जिससे वह खाद्यान्न उत्पन्न कर सके । आज ऐसा है कि हमारी योजनाओं के बाद भी हमने देखा कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा नहीं । कृषि के उत्पादन को हम अपेक्षाकृत ऊंचा नहीं ले जा सके इसीलिये निराशा का वातावरण बन रहा है । हमने अधिक से अधिक रुपया योजनाओं में लगाया और जनता का सहयोग भी मांगा, लेकिन मध्यकालीन समीक्षा से पता चलता है कि इन दो सालों में कृषि उत्पादन में हमारे यहां कोई उन्नति नहीं हुई है । इसलिये अगर हम चाहते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़े, भीषण संकट से निकलें तो कृषि उत्पादन के साधनों को उसके लिये सुगम बनायें । आज जरूरत है कि सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं और दर कम की जाय । काश्तकारों का लगान आधा किया जाय और अन्य करों में भी कमी की जाय । अगर काश्तकारों को उत्पादन के साधन दिये जायेंगे तो उनमें प्रोत्साहन बढ़ेगा और सहयोग की भावना बढ़ेगी । वह समझेंगे कि आज सरकार हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है और वह उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे । इसलिये काश्तकार को साधन सुलभ किये जायं और उनकी आवश्यक-वस्तुओं के मूल्य कम किये जायं ।

मैं समझता हूं कि उपभोक्ता पदार्थों को जन-साधारण तक उचित दाम पर पहुंचाया जा सके इसके लिये फेअर प्राइस शाप्स की तरह से दूकानें खोली जायं सहकारी समितियों के द्वारा जो आयोजना है उसको और बढ़ाया जाय । जहां यह सारी कठिनाइयां प्रदेश के लोगों के सामने

[श्री शारदाभक्तसिंह]

थीं वहां सरकार ने भूमि एवं भवन-कर अधिनियम पास करके शहरी लोगों को अत्यन्त उत्पीड़ित किया है और त्रस्त किया है । आज मध्यम वर्ग के लोगों ने किसी न किसी तरह से अपने रहने की व्यवस्था की है उनकी इससे कमर तोड़ने का काम किया गया है। जो भवन नगरपालिका के अन्तर्गत है वहां यह कर लगाकर सरकार ने नगरपालिकाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया है । पहले से ही नगरपालिकायें साधनों के अभाव में सरकार की कठपुतलियां बनी हुई हैं, उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है । शहरी लोगों के रहने की व्यवस्था में सरकार ने इससे अड़चन पैदा कर दी है । इसलिये मैंने अपने दल की ओर से मांग की है कि सरकार इस अधिनियम को तुरन्त वापस करे । इसके संबंध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है, इसका मुझे दुख है । अगर भूमि-भवन-कर के सम्बन्ध में सरकार वापस लेने के लिये तुरन्त कदम नहीं उठाती तो एक ऐसा वातावरण बन रहा है जिससे नागरिक क्षेत्रों में सरकार के सामने कठिनाई होगी । संघर्ष की भी भावना बनेगी । इसलिये आवश्यक है कि उनकी कठिनाइयों को समझते हुये इस अधिनियम को वापस लें ।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं । सारे विभागों में सरकारी कर्मचारियों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण जन-जीवन त्रस्त हो रहा है । जहां चीजों का अभाव है और हम कंट्रोल के द्वारा मूल्यों का नियंत्रण करना चाहते हैं वहां व्यापक भ्रष्टाचार कर्मचारियों में होने के कारण लोगों में निराशा फैल रही है । आज आप देखें कि चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । पिछले दिनों जब मैं देहात का दौरा करता था, उस समय मेरे क्षेत्र में डकैती अधिक पड़ रही थी, उस सम्बन्ध में मैं बात कर रहा था कि डकैतियां जन-जीवन को परेशान कर रही हैं तो एक बुड्ढे आदमी ने खड़े हो कर कहा कि आप रात की डकैतियों की बात करते हैं, उनका उपचार हम कर सकते हैं लेकिन थानों में दिनदहाड़े डकैतियां पड़ रही हैं । एक दरख्वास्त दे कर गरीब आदमी से १००–२०० रुपये ले लिये जाते हैं । आज जनता में ऐसी भावना बन गयी है कि पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है । थानों में लोगों पर तरह-तरह के जुल्म किये जा रहे हैं । पिछले समय में जब विरोधी दल की ओर से कहा जाता था कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो भ्रष्टाचार के तथ्य को सरकार स्वीकार नहीं करती थी, कहा जाता था कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है, विरोधी दलों की ओर से बढ़ा कर कहा जा रहा है लेकिन आज मुझे खुशी है कि सत्य सामने आकर रहता है । आज अभिभाषण में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । पिछले सालों में सरकार ने यह कह कर भ्रष्टाचार नहीं है, उसको छिपा कर जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है । वह बीमारी यहां बढ़ गयी और आज सरकार को विवश होकर कहना पड़ा कि भ्रष्टाचार चारों ओर बढ़ रहा है । कंट्रोल के दफ्तर, जिनके द्वारा आप लोगों में चीजों का समान वितरण करना चाहते हैं, वह भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं । व्यापारियों का एक स्वर से यह कहना है कि आज कन्ट्रोल के दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं । हमारे मंत्री शायद यह समझते हों कि उन्होंने आदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये लेकिन जनता को इस बात से संतोष नहीं होता कि आपने आदेश दे दिया या नहीं । वह समझती है कि भ्रष्टाचार स्थान-स्थान पर, कचहरियों में, पुलिस में, कन्ट्रोल के दफ्तरों में बराबर बढ़ता चला जा रहा है, इसलिये आज कांग्रेस सरकार ने अपनी इस असफलता को स्वीकार किया है और यह इस बात का प्रमाण है कि हमने पिछले दिनों में इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया ।

यह भी घोषणा की गयी है अभिभाषण में कि हम निगरानी समिति बना रहे हैं, सतर्कता समिति बना रहे हैं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस बढ़े हुये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केवल सतर्कता समिति बनाकर सन्तोष कर लेती है तो किसी प्रकार से भ्रष्टाचार उन्मूलन नहीं होगा । पिछले दिनों में भी ऐंटी करप्शन कमेटीज कायम की गई थीं और उनसे जो वातावरण बना है उससे निराशा ही फैली है । जब कोई बीमारी बढ़ जाय और सरकार

के काबू के बाहर हो जाय तो शब्दों का आडम्बर खड़ा करके किसी कमेटी को बना देना उस बीमारी का उपचार नहीं है। केन्द्रीय मंत्री माननीय नन्दा जी ने यह घोषणा की है कि हम दो साल के अन्दर भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। यहां भी सरकार वह घोषणा करेगी। लेकिन मुझे बड़ा सन्देह है कि कांग्रेस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा। हां, यह हो सकता है, भ्रष्टाचार तभी समाप्त होगा जब कांग्रेस सरकार समाप्त हो जाय। या तो सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी या फिर, भ्रष्टाचार सरकार को समाप्त करेगा।

मैं अपनी तरफ से यह एक सुझाव रखता हूं कि आज यह जो भ्रष्टाचार है उसमें सारे विरोधी दलों को और दूसरे जितने राजनीतिक दल हैं या और जो सांस्कृतिक दल काम कर रहे हैं उन सबकी दिलचस्पी है और सबका यह उद्देश्य है कि प्रान्त से भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय और एक शुद्ध प्रशासन इस प्रदेश में कार्य करे, इसलिये सबकी तरफ से इस ओर सहयोग देने की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस सरकार ने इन समितियों में अपने दल के ही लोगों या अपने पिछलग्गुओं को रखकर ऐसी समिति बनायी जिसमें भ्रष्टाचार के उन्मूलन के स्थान पर और परदा डाला जाय और उसको हश-अप किया जाय तो एक बड़ी निराशा होगी, इसलिये आवश्यकता है कि हर दल के लोगों को इसमें कार्य करने का अवसर दिया जाय और इस प्रकार एक मिली-जुली जो हमारी ताकत है उससे हम बीमारी को समाप्त करने का प्रयत्न करें। यह एक सुझाव मैं रख रहा हूं।

इसके साथ ही हमें यह भी अपने ध्यान में रखना होगा कि अगर हम अपने प्रदेश के सामने प्रदेश की जनता के सामने कोई ध्येय नहीं रख सकते, कोई लक्ष्य नहीं रख सकते तो आदर्शशून्य जनता आज किसी तरह वह त्याग और बलिदान का जीवन व्यतीत नहीं कर सकती जिसकी हमें उससे अपेक्षा है। अपने अभिभाषण में हमने समाजवाद को ध्येय मानकर घोषणा की है। समाजवाद एक आर्थिक विधि है, एक आर्थिक योजना है, एक आर्थिक व्यवस्था हैं। वह किसी समाज का ध्येय नहीं बन सकता उसमें सर्वांगीण जीवन की उन्नति नहीं हो सकती और इसलिए आज यह आवश्यकता है कि समाजवाद जिन परिस्थितियों में बना उसको हम पहचानें। कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जब सारी पूंजी, सारे आर्थिक साधन इकट्ठा हो गये पूंजीवाद के कारण तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप यह समाजवाद बना। तो जो एक दोषपूर्ण स्थिति के प्रतिक्रिया स्वरूप यह समाजवाद बना वह दोषरहित नहीं हो सकता और इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि जहां तक समाजवाद का ढिंढोरा हम पीटते हैं और समाजवाद को बगैर सोचे समझे एक ध्येय बनाकर उसके पीछे आज दौड़ रहे हैं, तो रूस का उदाहरण हमारे सम्मुख है। आज रूस विज्ञान के नाम पर बहुत आगे बढ़ चुका है और उसके पास साधन भी अधिक है। लेकिन समाचार-पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि कृषि के क्षेत्र में उसे असफलता मिली है और उसे अमेरिका से गेहूं लाकर अपने देश के नागरिकों का पेट भरना पड़ा है। इसलिये अगर इस समाजवादी ढांचे में रूस में भी हम कृषि में कोई विशेष उन्नति न कर सके और वह अपने यहां के लोगों को जबकि वहां की आबादी कम है और भूमि अधिक है, वहां भी सारे लोगों के खाने-पीने का प्रबंध न कर सके तो हम अपने यहां अपनी सारी व्यवस्था को भूलकर, अपने साधनों को भूलकर अगर उसकी नकल करेंगे तो हमें निराशा होगी। इसलिये आज यह आवश्यकता है कि इसके स्थान पर हम एक व्यावहारिक नीति निर्धारित करें और देश की आवश्यकता को समझ कर यथार्थवादी नीति के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को समझें।

आज स्थान-स्थान पर हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर जो चीनी आक्रमण हुआ है जिसके सम्बन्ध में विचार किया गया है उस सम्बन्ध में बहुत जोश था। हम जानते हैं कि चीनी आक्रमण के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई और देश में जो वास्तविक उत्साह पैदा हुआ उससे हमको प्रोत्साहन मिला और उसका हमको गर्व है। चीनी समझते थे कि इस देश में अनेक सम्प्रदाय हैं, अनेक धर्म है, अनेक भेदभाव हैं इसलिये देश की जो वास्तविक शक्ति है उससे उसको सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन हमने चीन को दिखा दिया कि हमारे यहां प्रान्त अनेक हैं लेकिन देश एक है।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

हमारे यहां धर्म अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है। हमारी आंखें अनेक हैं लेकिन दृष्टि एक है हमारे पैर अनेक हैं लेकिन गति एक है। इसलिये इस वास्तविक एकता को देखने के बाद चीन ने हमारी शक्ति को पहचाना लेकिन यह जो एकता उत्पन्न हुई, जो उत्साह पैदा हुआ उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शासन ने उसको पहचाना नहीं और उसका जो कर्त्तव्य था उसको उसने नहीं जाना। आज भी उस ओर से उदासीनता है। आज भी देश में आपसी गुट काम कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि आपसी दांव-पेंच चल रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में एक आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, जब हमारे सामने भीषण समस्याएं हैं और हमारे देश का शासन एक संकटकालीन स्थिति में है तब हम देखते हैं कि उस गुटबाजी के कारण यहां पर ऐसे अड़ंगे पैदा किये जा रहे हैं जिसमें शासन का कार्य चलना कठिन हो रहा है। इसलिये आज संकटकालीन स्थिति को पहचानें।

हमारे सामने दूसरी ही कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है तो ऐसे समय में लोगों की मांग है कि आज उत्तर प्रदेश को उन्नति के उच्च शिखर पर ले जाया जाय। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना कर्त्तव्य समझें। आपसी भेदभाव भुलाकर आर्थिक प्रगति में सहयोग देकर जो हमारी गलत नीति है उसको परिवर्तित करें जिससे देश और प्रदेश उन्नति करे, जिससे हम वह स्थान प्राप्त कर सकें जिसके लिये हमने कल्पना की थी। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और यह आशा करता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से संबंधित शास्ति के बारे में सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि जो शास्ति आज होने को थी वह १९ तारीख को दो बजे के लिये स्थगित कर दी गयी है क्योंकि उन्होंने टाइम ले लिया है। उन्होंने दरख्वास्त दी थी जिस पर अध्यक्ष महोदय ने उनको समय दे दिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) —

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। यह इस प्रकार का पहला मामला है विश्व के इतिहास में। जो रिप्रिमान्ड के मामले होते हैं वे बड़े ऐतिहासिक और मूल प्रश्न माने जाते हैं। इंग्लैंड में अगर देखा जाय तो वहां १७वीं शताब्दी में जो रिप्रिमान्ड के मामले हुये हैं उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब कोई मामला रिप्रिमान्ड के लिये हाउस में सुना दिया जाता है तो उसमें कारण बतलाये जाते हैं और अगर वह निश्चित समय पर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ यह भी बतलाया जाता है क्योंकि उस समय सदन का हर सदस्य हाई कोर्ट के जज की स्थिति में सदन में बैठता है और उन सारे सदस्यों के सामने, जिनकी स्थिति जज की होती है, वे मुलजिमान पेश किये जाते हैं। हमारी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से इसको स्थगित करना पड़ा?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने उन लोगों को दरख्वास्त पर टाइम दे दिया है इसलिये माननीय अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय ---

वह दरख्वास्त इस सदन में पढ़ी जाय और उसमें दिये रीजन्स बतलाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने आपको यह इत्तला दे दी। अब यह शास्ति १९ तारीख को होगी उस समय आप यह मामला पेश कर सकते हैं।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) ---

उन लोगों ने अपनी दरख्वास्त में क्या लिखा है? वजह क्या दी है?

श्री उपाध्यक्ष---

उनकी दरख्वास्त पर अध्यक्ष महोदय ने अपने कक्ष में आदेश दिया है। मैं केवल उसका एनाउन्समेंट कर रहा हूं।

श्री सोहनलाल धुसिया ---

तो क्या मैं प्रिज्यूम करूं कि यह उनकी अपील थी जिस पर उन्होंने इसे पोस्टपोन कर दिया है?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने इसे पोस्टपोन कर के १९ तारीख के लिये रख दिया है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) ---

यह बात तो हाउस को बतलानी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने जो स्थिति थी, बतला दी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---

अब राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किये हुये माने गये---

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
१	डाक्टर जेड० ए० अहमद श्री झारखंडे राय, श्री एस० एस० यूसुफ, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री भीखालाल, श्री ऊदल, श्री सुरजनराम, श्री रघुबीरराम, श्री विजयपालसिंह, श्री शराफत हुसेन रिजवी,	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--- हमें खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों की चर्चा अपने अभिभाषण में नहीं की है कि--- (१) राज्य में समाजवादी व्यवस्था लागू करने के लिये राज्य सरकार क्या मौलिक एवं प्रारम्भिक कदम उठाने जा रही है, उसका संकेतमात्र नहीं है। (२) राज्य में आम जनता का जीवन उनके रोजमर्रा के स्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के मूल्य में होने वाले निरन्तर वृद्धि से जो २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक बढ़ गई है अत्यन्त दुखमय हो गया है। इस बढ़ती हुई कीमत को कम से कम २५ प्रतिशत घटाने की चर्चा नहीं है।

क्रम-संख्या प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री छांगूरराम, श्री झिलमिटराम, श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री रघुनाथराम।	(३) बढ़ती हुई कीमतों के अनुपात में राज्य के मजदूरों और सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाने की चर्चा नहीं है। मजदूरों को बोनस दिलाने तथा पांच वर्ष से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाने की चर्चा नहीं है।
	(४) कानपुर में सम्पूर्णानन्द एवार्ड अभी तक लागू नहीं किया गया उसको लागू करने की चर्चा नहीं है।
	(५) किसानों के पैदावार की उन्हें उचित कीमत मिल सके और किसानों को मिलने वाले मूल्य तथा बाजार भाव में १० प्रतिशत सेर अधिक का अन्तर न हो उसकी चर्चा नहीं है और गल्ले का राज्य व्यापार जिसे सिद्धान्ततः सरकार ने स्वीकार कर लिया है उसको लागू करने की चर्चा नहीं है।
	(६) किसानों को सिंचाई दर में तीन आना रुपया की जो छूट मिली थी और सरकार ने उसे वापस ले लिया उस छूट को पुनः देने की चर्चा नहीं है।
	(७) राज्य में हदबन्दी कानून जो बनाया गया है उसके अनुसार भूमिहीनों किसानों को भूमि नहीं मिली अतः उसमें संशोधन करके भूमिहीनों को भूमि दिलाने की कोई चर्चा नहीं है और न तो अलाभकर जोत वालों का लगान माफ करने की चर्चा है।
	(८) राज्य के शहरी नागरिकों पर भवन भूमि कर लगाकर सरकार ने करों से पीड़ित जनता की कमर तोड़ दिया है उसे शहरी जनता में गहरा असन्तोष है, उसे वापस लेने की चर्चा नहीं है।
	(९) राज्य के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग किया है उस सम्बन्ध में कदम उठाने की कोई चर्चा नहीं है।
	(१०) राज्य के प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और राष्ट्रीय संकटकाल में नौकरशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है जो अपने देश के जनवादी स्वरूप के लिये खतरा बन गया है, इसमें मौलिक सुधार के लिये कोई चर्चा नहीं है।
१—श्री किशोरीलाल अग्रवाल	महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
	"किन्तु खेद है कि (१) बेरोजगारी को दूर करने हेतु समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और उसकी पूर्ति हेतु लघु

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		तथा कुटीर उद्योगों का समुचित विस्तार और विकास नहीं किया गया। (२) अन्य प्रदेशों के समान इस प्रदेश में भी औद्योगीकरण करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध नहीं किया गया फलस्वरूप अधिकाधिक उद्योगों को इस प्रदेश में सुलभ नहीं किया जा सका। (३) १०० रुपये मासिक से कम आय वाले व्यक्तियों के बालकों तथा स्त्रियों की शिक्षा निःशुल्क करने के लिये समुचित कदम नहीं उठाये गये। (४) मकानों की समस्या की ओर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया। (५) खाद्यान्नों के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये समुचित प्रयास नहीं किये गये।"
३—श्री श्यामलाल		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "(१) अफसोस है कि चतुर्थ श्रेणी के सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों के विषय में महामान्य राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है। (२) अफसोस है कि मिलावट (Adulteration) पर महामान्य राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी नहीं बोला जबकि इसकी वजह से जनता को बड़ी परेशानियों का सामाना करना पड़ रहा है।"
४—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मेवालाल जायसवाल।		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "खेद है कि निम्नलिखित बातों का जिक्र नहीं किया गया है— (१) किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा गन्ना जो कैश क्राप है उसके दुरुपयोग एवं मिल मालिकों को अनुचित फायदा पहुंचाने का उल्लेख नहीं किया गया। (२) कृषकों को सिंचाई का कच्चे गूल तथा महंगी बिजली के कारण मूल्य अधिक देना पड़ रहा है, उसको दूर करने का जिक्र नहीं किया गया। (३) इस महंगाई में कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार तथा उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा तथा दवा-दारू और उनके मवेशियों को मुफ्त इलाज के इन्तजाम का जिक्र नहीं किया। (४) पिछड़े वर्ग को जब आर्थिक आधार माना गया है, पिछले वर्ग के होनहार गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने की किसी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
५	श्री नरसिंह नारायण पांडेय, श्री शिब्बनलाल सक्सेना, श्री दुर्योधनप्रसाद तथा श्री कमलासिंह यादव।	(५) पूर्वी जिलों में गन्ना उत्पादन तथा गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद जिलों में गन्ना मिल खोलने तथा गन्ने के अच्छे उन्नतिशील बीज के प्रयोग के इन्तजाम का जिक्र नहीं किया।" प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "परन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की : (१) राज्य में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। (२) राज्य में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने हेतु कोई समुचित योजना का जिक्र नहीं किया गया। (३) राज्य में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने तथा (Stab lisation Board) की स्थापना के सम्बन्ध में जिक्र नहीं किया गया। (४) ७ अक्तूबर, १९६३ ई० को गोरखपुर जिले के सहजनवां जूट मिल के मजदूरों के मामले का जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट से हुआ उसके सम्बन्ध में अभी तक प्रशासन ने आचरण नहीं किया। (५) बढ़ती हुई महंगाई के सूचनांक के अनुसार राजपत्रित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी नहीं की की गयी (६) न्यायापालिका तथा कार्यपालिका का अलगाव पूर्णरूपेण नहीं किया गया और जहां किया गया उसे भी कमिश्नरों के अन्तर्गत रक्खा गया। (७) किसानों के ६ १/२ एकड़ के अलाभकर जोत की मालगुजारी माफ नहीं की गयी। (८) राज्य में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को रोकने तथा दन्डित करने के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाने का जिक्र नहीं किया। (९) राज्य में अनिवार्य तथा ७वें दर्जे तक निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में जिक्र नहीं किया गया। (१०) राज्य में नियोजित औद्योगीकरण के सम्बन्ध में किसी योजना का जिक्र नहीं किया गया। (११) राज्य में लाल फीता-शाही ने जो जड़ मजबूत बनाकर प्रशासन के ढांचे को बिगाड़ दिया है उसके उन्मूलन के सम्बन्ध में जिक्र नहीं किया। (१२) पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन को देखते हुये जो गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा आदि के जिले नेपाली सरहद से लगे हैं उनके सड़कों के सुधार सम्बन्धी योजना के बारे में जिक्र नहीं किया गया।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(१३) राप्ती, घाघरा, गन्डक आदि नदियों के बाढ़ तथा कटाव को रोकने के सम्बन्ध में "नदी घाटी योजना" बनाने के सम्बन्ध में जिक्र नहीं किया तथा "नेपाल बांध" के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि वह कब तक तैयार हो जायगा।"
६	श्री रामसुन्दर पाण्डेय	धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय : "किन्तु सदन को खेद है कि : (१) प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये तत्काल कदम उठाने के लिये सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया। (२) घाघरा, गंगा आदि नदियों के भीषण कटाव को रोकने एवं कटे हुये ग्रामों के हजारों परिवारों को फिर से बसाने तथा रोजी देने के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिया है। (३) गुड़ ऐसे घरेलू उद्योग धन्धों को नष्ट करने वाली सरकारी नीति की भर्त्सना माननीय राज्यपाल द्वारा नहीं की गयी। (४) प्रदेश में कई करोड़ व्यक्तियों का जो बेकार हैं उन्हें काम दिलाने तथा न दिला पाने तक "बेकारी भत्ता" तत्काल देने का सुझाव उनके द्वारा नहीं दिया गया। (५) प्रदेश की जनता की आमदनी का अनुपात १/१० तत्काल किया जाय। इस प्रकार का कोई आदेश एवं सुझाव माननीय राज्यपाल द्वारा नहीं दिया गया। (६) अपर प्राइमरी स्कूलों की कक्षा ३, ४ और ५ वीं में अंग्रेजी लेकर पढ़ने वाले छात्रों से फीस वसूल न करने की मनाही सरकार को नहीं की गयी। (७) प्राथमिक स्कूलों की इमारतें प्रदेश की स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा धनाभाव के कारण खड़हर हैं उन्हें धन देकर अतिशीघ्र निर्माण कराया जाय इस प्रकार का आदेश सरकार को नहीं दिया गया। (८) प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों एवं दवाओं के बढ़ती अभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया, जिसके कारण हजारों व्यक्ति प्रतिवर्ष मर रहे हैं। (९) किसानों द्वारा उत्पन्न सामान एवं गल्ले की कीमत कारखानों द्वारा पैदा होने वाले सामानों की कीमतों में संतुलित करने का आदेश प्रादेशिक सरकार को नहीं दिया गया जिसके कारण करोड़ों व्यक्ति निराश हैं।"

क्रम-संख्या प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
७—श्री कल्पनाथसिंह, श्री मुमताज मोहम्मद खां, श्री कैलाशसिंह, श्री अवधेशप्रतापराजा तथा श्री रियासत हुसेन।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में निम्नलिखित बातों पर संकेत नहीं किया : (१) प्रदेश के गुड़ और खांडसारी उद्योग पर लगाये गये प्रतिबन्धों और सरकारी गृह उद्योग विरोध नीति का उल्लेख नहीं किया और न तो कोई सुझाव ही दिया। (२) राज्य में कृषि उत्पादन एवं किसानों के हितों लगी हुई बिजली की दरों में कमी करने की ओर कोई संकेत नहीं किया। (३) राज्य में बाढ़, कटाव एवं जल निकासी योजनाओं को लागू करने का कोई निश्चित सुझाव नहीं दिया। (४) अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में उनकी तरक्की के लिए कोई सुझाव नहीं दिया। (५) बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की ओर कोई संकेत नहीं किया। (६) गुड़ सत्याग्रह में गिरफ्तार व्यक्तियों एवं सत्याग्रहियों पर हुये गैर कानूनी एवं अभद्र व्यवहार की कोई चर्चा नहीं की। (७) गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में ट्यूबवेल न लगाने की सरकारी नीति की आलोचना नहीं की और न तो अपने भाषण में उस क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने की चर्चा ही की। (८) पूर्वी जिलों में योजना आयोग द्वारा नियुक्त संयुक्त टीम की सिफारिशों को पूर्वी जिलों के अन्य जिलों जैसे गोरखपुर, बस्ती, बलिया आदि जिलों में लागू करने की तथा वहां की गरीबी मिटाने की ओर स्पष्ट संकेत नहीं किया। (९) बरहलगंज, दोहरीघाट, घाघरा पुल को बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया। (१०) गोरखपुर को बड़ी लाइन से मिलाने एवं बांसगांव तहसील में रेल लाइन लाने तथा अधिक घनी आबादी वाले इस इलाके में बेकारी दूर करने की किसी निश्चित सुझाव का उल्लेख नहीं किया। (११) नदियों से कटे हुये बेघरबार लोगों को सहायता देकर बसाने और उन्हें रोजी देने की ओर कोई संकेत नहीं किया। (१२) भूमहीनों को भूमि देने या खेत मजदूरों की दशा सुधारने में उनकी मजदूरी तय करने या रोजगार देने की ओर कोई संकेत नहीं किया।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(१३) अलाभकर जोतों से (६।) एकड़ लगान हटाने की ओर कोई संकेत नहीं किया ।
		(१४) रामजानकी रोड जो एक ऐतिहासिक रोड है उसको बनाने की ओर कोई संकेत नहीं किया ।
		(१५) शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त कुव्यवस्था, तीसरे दर्जे से विद्यार्थियों पर लगी फीस एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त गड़बड़ी, हुड़दंग, जातिवाद, भाई भतीजा-वाद एवं गुंडई जिससे जनमानस विकृत एवं क्षुब्ध होता है उसकी ओर कोई संकेत नहीं किया ।
		(१६) चुनावों में सरकारी व्यक्तियों के शासक दल द्वारा प्रयोग किये जाने पर चिन्ता नहीं व्यक्त की ।
		(१७) गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है उसमें न तो राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई बढ़ाने की ओर संकेत किया न केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये उसे "बी" क्लास रखने के लिए कोई सिफारिश करने की ओर संकेत किया ।
		(१८) प्रदेश में एक अलग बाढ़ एवं कटाव निरोधक आयोग स्थापित करने के लिए भी कोई संकेत नहीं किया ।
		(१९) शहरों में मकानों के बढ़ते हुए किराये और किरायेदारों के बेतहासा बेदखली को रोकने के लिए ही कोई संकेत नहीं किया ।
		(२०) प्रदेश के पिछड़े हुए पूर्वी जिलों के लिए अलग एक विकास आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं किया ।
		(२१) चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने का कोई उल्लेख नहीं किया ।
		(२२) सर्वसाधारण के लिए पढ़ाई, दवाई, अस्पतालों में लापरवाही, भ्रष्टाचार तथा मकान की व्यवस्था करने की ओर सुझाव नहीं दिया ।
		(२३) सार्वजनिक निर्माण, सहकारिता, सिंचाई, आबकारी, परिवहन आदि विभागों में व्याप्त गड़बड़ियों को दूर करने की ओर कोई संकेत नहीं किया ।
		(२४) पुलिस को जन सेवक बनाने के लिए ठोस कार्य-क्रम नहीं बनाया गया और इसी प्रकार नियोजन विभाग की अफसरशाही की निन्दा नहीं की ।
		(२५) प्रदेश में मौजूदा कड़ी सर्दी और पाले के कारण जो फसल को क्षति हुई उसका उल्लेख किया किन्तु ऐसे उपाय नहीं बताये गये जिनसे कि किसानों को क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति कर सकें ।
		(२६) प्रदेश के गृह उद्योग धन्धों के नाम पर दिये जाने वाले ऋणों में भ्रष्टाचार और उसके दुरुपयोग रोकने तथा

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जरूरतमन्दों को कर्ज सुलभ करने की ओर कोई संकेत नहीं किया ।
		(२७) महामहिम राज्यपाल ने राज्य के पश्चिमी अंचल के नागरिकों को सस्ता न्याय मिलने के तहत हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी अंचल में स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं किया ।
		(२८) महामहिम राज्यपाल ने तालीम के मयार को बुलन्द करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की ओर संकेत नहीं किया जैसे जिला बुलन्दशहर में लखावटी ऐग्रीकल्चरल कालेज को विश्वविद्यालय बनाना, और गोरखपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना की ओर संकेत नहीं किया ।
		(२९) सिंचाई के जो प्राप्त साधन नहरें और राजकीय नलकूप हैं उनमें समय से पानी न आना, गूलों का न होना, मशीनों का खराब रहना, खराब मशीनों का लगाया जाना, अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार से जो प्रदेश के किसानों का अहित हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है ।
		(३०) प्रदेश में कैन्सर की बढ़ती हुई घटनाओं की रोक-थाम के लिए तम्बाकू-नोशी पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई चर्चा नहीं की ।
		(३१) प्रदेश में गांजे और अफीम के तस्कर व्यापार को रोकने तथा शराब और ताड़ी पर प्रतिबन्ध लगाने की ओर कोई संकेत नहीं किया ।
		(३२) प्रदेश में बढ़ती हुई तपेदिक बीमारी की रोक-थाम के लिए किसी विशेष योजना की ओर इशारा नहीं किया ।
		(३३) पुलिस की ज्यादतियों और कानून सिकनी को रोकने, बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमें चलाने, अधिक भ्रष्टाचार और अपराधियों को रिश्वत लेकर छोड़ने की रोक-थाम की ओर कोई संकेत नहीं किया ।
		(३४) बुलन्दशहर जिले में सड़कों की कमी दूर करने और बढ़ोत्तरी की ओर कोई जिक्र नहीं किया गया ।
		(३५) पी० डब्ल्यू० डी०, सिंचाई, हाइड्रोएलेक्ट्रिक विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा की तरफ कोई संकेत नहीं किया गया ।
		(३६) प्रदेश में सीमेंट के बेहद कमी की तरफ और जनता को सुलभ तरीके से सीमेंट मिल सके इस ओर कोई संकेत नहीं किया ।"

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
८	श्री रामकिशोर त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है:

"उत्तर प्रदेश में शीत लहर से फसल को भारी क्षति हुई है और कुछ व्यक्तियों की जानें भी गई हैं। खासतौर से हैदरगढ़ तहसील, बाराबंकी जिला में अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शीत लहर से हुई क्षति से संबंधित भूमि का लगान माफ करने की व्यवस्था की जायगी।

शारदा कैनाल बाराबंकी की नहरों की खुदाई समय से न कराने और टेल तक पानी न पहुंचाने तथा इस डिवीजन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये उचित कदम उठाये जायेंगे और लखनऊ डिवीजन में शारदा कैनाल की हैदरगढ़ शाखा को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है उससे जो हजारों बीघा भूमि असिंचित रह गई है उसका सर्वेक्षण कराया जायेगा, खासतौर से पलिया, सुबेहा, रेहुरा, जमीन, हुसैनाबाद, इस्लामपुर, सहरी ग्रामों तथा किरसियाखानपुर, बाराल्ही जल शाखाओं से सम्बन्धित ग्रामों को पानी न मिलने से फसल का नुकसान हुआ है उन्हें छूट दिलाने की व्यवस्था की जायगी।

बाराबंकी जिले में हैदरगढ़-सुबेहा, हैदरगढ़-महराजगंज, हैदरगढ़-शिवगढ़ छन्दरौली से गूढ़ा श्रमदान मार्ग, जैदपुर से देवीगंज सुबेहा मार्गों की हालत खराब है इन्हें पक्का बनाने की ओर कदम उठाया जायेगा। अब तक बाराबंकी जिला 'जन शक्ति योजना' में शामिल नहीं किया गया है इस जिले को भी सामरिक महत्व को ध्यान में रख कर सड़कों के निर्माण हेतु 'जन शक्ति योजना' में शामिल किया जायगा।

प्रदेश में महंगाई को रोकने, शकर वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे। कीमतों में वृद्धि हो जाने से शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यों में लगे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है, उनके महंगाई-भत्ते में ३० रुपये मासिक की वृद्धि की जायेगी।

प्रदेश में शिक्षकों की आर्थिक दशा खराब है उन्हें उनकी सेवाओं के अनुरूप वेतन नहीं मिलता। उनके परिश्रम एवं शिक्षण कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनक्रम में वृद्धि की जायेगी।

प्रदेश में विभिन्न आयुर्वेदिक कालेजों में ३ माह से भी अधिक दिनों से चल रही शांतिपूर्ण हड़ताल से छात्रों के शिक्षण-कार्य में काफी क्षति हुई है। इस हड़ताल को समाप्त करने की ओर जो कदम अब तक उठाये गये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं। इस हड़ताल को समाप्त कराने हेतु ठोस कदम उठाये जायेंगे और उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिये

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		एक समिति का गठन किया जायगा जो कि उनकी मांगों का अध्ययन करेगी और न्यायोचित मांगों को पूरा किया जायगा।"
९९	श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रामकिशोर वर्मा	मूल धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं:—

"किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि महामान्य राज्यपाल महोदय के उक्त अभिभाषण में निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया :

(१) यह कि चीनी-आक्रमण से उत्पन्न जिस संकट-काल को अब तक बढ़ाये रखा गया है उसका अनुचित लाभ केवल भ्रष्टाचार नौकरशाही, भ्रष्ट-पूंजीशाही व भ्रष्ट नेताशाही ने उठाया है। उक्त चीनी प्रभावशाली तत्वों के गठबन्धन का ही परिणाम है कि आज आम जनता में देश-भक्ति, राष्ट्रीय चेतना व शासन के प्रति श्रृद्धा के वे भाव घटते जा रहे हैं। शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार सरकारी नौकरियां देते समय जातीय पक्षपात व योग्यता व ईमानदारी व श्रम की नितान्त उपेक्षा तथा मुनाफाखोरी और चोरबाजारी की निरन्तर वृद्धि ने राष्ट्र की कमर तोड़ दी है एवं इस भारत के हृदय-स्वरूप स्थित प्रदेश को सर्वाधिक पिछड़ा हुआ व हर दृष्टि से अनुन्नत प्रदेश ही रखने दिया है। बहुसंख्यक पिछड़ी हुई, किन्तु सर्वाधिक परिश्रम किसान व दस्तकार जातियों के साथ आज तक नितान्त उपेक्षा की गई है और उनके योग्य व ईमानदार युवक शासन तथा उत्पादन व आय के महत्वपूर्ण स्थानों में उचित पद नहीं पा रहे हैं। सरकार की अच्छी योजनायें भी केवल कागज तक ही सीमित रह जाती हैं।

(२) यह कि जिला फतेहपुर जैसे अनेक जिले हैं जिन्हें हर दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ होने पर भी वे सुविधायें नहीं दी गयी जो पिछड़े हुये क्षेत्रों को दी जा रही हैं।

(३) यह कि इस संकट काल में देश भक्त, जनतांत्रिक व समाजवादी ताकतों का दमन हुआ है और सामन्ती व पूंजीवादी ताकतें उभार पर आई हैं।

(४) यह कि जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते हुये भावों को इस संकट काल में भी रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार असमर्थ रही है और उससे अल्पवेतन भोगी व अल्प आय के कर्मचारी तक कराह रहे हैं तथा कोई राहत नहीं पा रहे हैं।

(५) यह कि कर-भार, श्रमजीवी बहुसंख्यक जनता पर ही पड़ा है, पूंजीवादी मुनाफाखोरों पर नहीं।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(६) यह कि हर क्षेत्र में शासन व राजनीति में बेइमानी व कामचोरी व लुटेरी मनोवृत्तियों व हरकतों ने उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप पुरस्कार पाया है और ईमानदारी व मेहनत व जनसेवा ने उपेक्षा पाई हैं ।
		(७) यह कि ग्रामीण क्षेत्रों को जहां का तहां ही पिछड़ा हुआ रखा गया है । वहां पक्की सड़कों व शिक्षा व स्वास्थ्य के साधन नहीं जुटाये गये ।
		(८) यह कि जिला परिषदों व ब्लांकों के चुनाव में अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को अपनाया गया है ।"
१०—	श्री लखपतराम शर्मा	प्रस्ताव कि अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :
		"खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों को जो जनहित में आवश्यक थी सही रूप में जिक्र नहीं किया ।
		(१) महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात पर अधिक महत्व नहीं दिया है कि प्रदेश में भोजन व गल्ला, शक्कर इत्यादि-इत्यादि की समस्यायें कितनी जटिल बनती जा रही हैं व महंगाई इस हद आये दिन बढ़ रही है कि जनता का जीवित रहना मुशकिल होता जा रहा है ।
		(२) इस बात पर महत्व नहीं दिया गया और न चिन्ता प्रकट की गई कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जब कि बेकारी की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है और आत्म-हत्याओं की संख्या तथा अनैतिकता व अन्य अपराधों की संख्या में बराबर वृद्धि हो रही है व भुखमरी चारों तरफ फैल रही है ।
		(३) प्रदेश के स्वर्णकारों के हितों व उनके अधिकारों व उनकी वर्तमान दशा पर सही रूप में प्रकाश नहीं डाला गया है । यदि केन्द्रीय सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण कानून बनाकर स्वर्णकारों को हानि पहुंचायी थी, तो केन्द्रीय सरकार से प्रदेश की सरकार को यह भी आदेश आया था कि स्वर्णकारों को रोजगार दिलाने व उनकी हर प्रकार की सहायता के लिये हर प्रकार का सफल कदम उठाना चाहिये परन्तु सरकार ने ५ प्रतिशत भी स्वर्णकारों को धंधों में नहीं लगाया और स्वर्णकारों के सब बच्चों को स्कूलों में वजीफे व अन्य सुविधायें आज भी नहीं दी जा रही हैं । आज प्रदेश के स्वर्णकारों की दशा इतनी गम्भीर हो चुकी है कि लाखों व्यक्ति भूखे व नंगे हैं । और आत्महत्यायें तक कर रहे हैं इस प्रकार स्वर्णकारों की बरबादी व विपत्ति में उलझाने की पूरी-पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है जो एक लज्जा का व घोर निन्दा का विषय है ।
		(४) बुन्देलखंड जैसे पिछड़े प्रदेश में जब कि स्वयं सत्ताधारी दल ने अनेक बार उनके पिछड़ेपन व बेरोजगारी

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		को अनेक बार स्वीकार किया है फिर भी वहां के लोगों के लिये पेट भर भोजन व बेकारी दूर की जा सके पर सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया जब कि बुन्देलखंड देश व प्रदेश का एक ऐतिहासिक भाग है ।
		(५) बुन्देलखंड में बने माताटीला बांध पर बिजली योजना वर्षों में भी सरकार पूरी नहीं कर पायी सरकार के इस निकम्मेपन से जनता को अपनी उन्नति के मार्ग में जिस प्रकार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से अब भी दूर है ।
		(६) सरकार भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिये असफल चली आ रही है । संविधान की धारा ४७ के अनुसार शिक्षा १० वर्षों के भीतर निःशुल्क लागू हो जानी थी । और इससे १०वीं कक्षा तक के विद्यार्थी लाभ उठाते लेकिन शिक्षा आज भी महंगी होती चली जा रही है, व दूसरी ओर अध्यापक वर्ग को भी कम वेतन मिलने के कारण उसकी दशा शोचनीय व चिन्तनीय होती जा रही है ।
		(७) न्याय आम जनता के लिये सस्ता होने की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया गया और न्याय इतना महंगा हो चुका है कि गरीबों पर बड़े से बड़े जुर्मों के बाद भी वह न्याय से वंचित होते चले जा रहे हैं ।
		(८) स्वास्थ्य भी प्रदेश के लोगों का आये दिन बुरी तरह से गिरता जा रहा है सरकार इलाज को सस्ता करने में बुरी तरह असफल होती चली जा रही है यहां तक कि प्रदेश के लगभग २०० अस्पतालों में डाक्टरों तक का प्रबन्ध सरकार नहीं कर पायी । अस्पतालों में जो औषधियां हैं उनका तो भगवान ही मालिक है । जब कि एक ओर चीन का खतरा हमारे देश पर अभी भी अपनी जगह पर है उस दशा में भी जब कि राष्ट्रीय संकट का नारा कदम-कदम पर दिया जा रहा है । उसकी भी चर्चा महामहिम राज्यपाल के भाषण में, न होना चिन्ता का विषय है जब कि यह सत्य किसी से भी छपा नहीं है ।
		(९) लम्बे-लम्बे भाषणों व वक्तव्यों में यह बराबर बताया जाता है कि गृह मंत्री श्री नन्दा ने मालिकों तथा मजदूरों के साथ मिल कर यह निश्चय कर दिया है कि नित्य प्रति-दिन की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुये मजदूरों को महंगाई के भत्तों की कीमतों के साथ जोड़ दिया जाये । परन्तु झांसी बिजली कम्पनी में मजदूरों को अक्तूबर, १९६३ तक महंगाई का भत्ता बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से जोड़ कर दिया जाता था, वह उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार की नीति होते हुए रद्द कर दिया । वह घटा कर एक मुस्त ३५ रुपया मासिक निर्धारित कर दिया गया है ।

जब कि प्राइवेट बिजली कम्पनियां दिसम्बर, सन् १९४८ से सरकारी आदेशानुसार चीजों की कीमतों के हिसाब से ही मंहगाई भत्ता दे रही थीं, वे दे रही हैं।

(१०) उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय विभाग को कार्यकारणी से पृथक करने में असफल रही है।

(११) सरकार लूट, डाके और हत्याओं की संख्या में होने वाली वृद्धि को रोकने में असफल रही है।"

११—कुंवर श्रीपालसिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"किन्तु खेद है कि महामहिम ने अपने अभिभाषण में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को १९६५ तक राज्य भाषा के रूप में अपना लिये जाने तथा पाकिस्तानी जासूसों एवं राष्ट्रद्रोही पंचमागियों द्वारा प्रदेश की सुरक्षा को उत्पन्न हुई नीति के विषय में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला।"

१२—श्री चन्द्रबलीसिंह

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उपस्थित धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु सदन को खेद है कि आन्तरिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिये जिस प्रकार से कृषि नीति, उद्योग नीति, कर नीति, शिक्षा नीति, बेकारी दूर करनी नीति, दैवी आपदाओं, बाढ़, ओला, पाला, पछुआ हवा, सूखा से बचाव की नीति, बढ़ती हुई मंहगाई, चोरी, डाका, कतल, बलवा, भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी, चराई-कटाई, सरकारी कर्मचारियों में अरक्षा की भावना को रोकने की जो नीतियां अमल में लानी चाहिये थीं उसे अमल में ला सकने में यह सरकार पूर्णतः नाकामयाब रही है।"

१३—श्री खेमचन्द्र,
श्री श्यामलाल तथा
श्री भगवानदास यादवेन्दु
(उपस्थित किया हुआ माना गया)

प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखत वाक्य जोड़ दिया जाय :

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में, बढ़ते हुए टैक्सों को रोकने, बढ़ती हुई कीमतों को सन्तुलित करने, लघु उद्योग की सही उन्नति करने, भ्रष्टाचार को रोकने अनुसूचित जातियों के साथ जन-दुर्व्यवहार एवं प्रशासकीय उपेक्षा को दूर करने, गन्ना किसानों की दिक्कतों को हल करने, अवांछनीय गुड़ निर्यात के नियन्त्रण को हटाने एवं सुरक्षा अधिनियम के असंगत प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कौन से प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, का समुचित जिक्र नहीं किया गया है।"

१४—श्री उग्रसेन,
श्री शिवनाथसिंह तथा
श्री गयाप्रसाद।

प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय:

"किन्तु सदन को खेद है कि मानीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातें नहीं कहीं :

(१) बढ़ती हुई मंहगाई को समाप्त करने के लिये सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति मान ली जाय।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(२) अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग अविलम्ब समाप्त किया जाय ।
		(३) आमदनी की सीमा १ तथा १० के अन्दर बांधी जाय।
		(४) १० बीघे तक अलाभकर खेतों की मालगुजारी समाप्त की जाय ।
		(५) गन्ने का दाम २।। रुपया मन हो तथा चीनी बाजार में ४० रुपया मन से अधिक न बिके।
		(६) गुड़, खांडसारी पर प्रतिबन्ध अविलम्ब समाप्त किया जाय ।
		(७) चीनी, कपड़ा, लोहा, जूट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो।
		(८) बाढ़ कटाव निरोधक योजनाओं को लागू किया जाय तथा बाढ़ की क्षति का मुआवजा मिले।
		(९) प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के वेतन में ३० रुपये महंगाई भत्ते की वृद्धि की जाय तथा द्वितीय वेतन आयोग बैठाया जाय ।
		(१०) पूंजी परस्त श्रम नीति का त्याग किया जाय ।
		(११) वर्तमान शीतलहरी, पाले, ओले से नष्ट फसलों की क्षति का मुआवजा मिले।
		(१२) भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अधिकारियों, मंत्रियों के हैसियत की जांच एक न्याय कमीशन करे ।
		(१३) खेतिहर मजदूरों के जीवन -निर्वाह तक मजदूरी मिले, इसका प्रबन्ध किया जाय ।
		(१४) कपड़े के मिल मजदूरों के हित में कानपुर में सम्पूर्णानन्द एवार्ड लागू नहीं किया गया ।
		(१५) पिछड़ा वर्ग कमीशन रपट लागू की जाय ।"
१५	श्री उमाशंकर (आजमगढ़)	महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के प्रति अभार प्रकट करने वाले प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित संशोधन जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य के विकास कार्य करने वाले राज पत्रित अधिकारियों तथा सामान्य-प्रशासन में फैली हुई अनैतिकता तथा घूसखोरी के निवारणार्थ कोई ठोस सुझाव नहीं दिया ।"
१६	श्री लखीसिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "खेद है कि महामहिम राज्यपाल जी ने यह नहीं कहा है भुखमरी, बेकारी, सिंचाई के साधन के बिना लूट, कत्ल,

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		डकैती, राहजनी को पुलिस खतम करने में निकम्मी रही है। इससे अराजकता बढ़ने का भय है। अतः गरीब जनता तथा भूखे किसानों से जबरिया चकबन्दी खर्चा वसूली बन्द व बकाया मालगुजारी का माफ करने के आदेश सरकार भेजने की कृपा करे और सरकारी नौकरियों में समानता की जाय।"
१७	श्री रक्षपालसिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में: (१) निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों की वेतन-वृद्धि, स्थायित्व व महंगाई भत्ता वृद्धि के सम्बन्ध में कोई भी संकेत नहीं किया है। (२) सरकार द्वारा मान्य, पिछड़ी हुई जातियां जो वास्तव में पिछड़ी, पीड़ित, गरीब व निरक्षर नौकरी विहीन हैं, उनके आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने तथा नौकरियों में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई है। (३) अत्यन्त पिछड़े जिलों में से जिला फतेहपुर में विकास हेतु न तो किसी औद्योगिक कार्य की घोषणा की है न असिंचित क्षेत्र में जल्दी ही पानी पहुंचाने और न ही जिले के खागा तहसील में बिजली पहुंचाने की कोई घोषणा की है।"
१८	श्री मुन्नूसिंह, श्री प्रेमसिंह, श्री काशीनाथबहादुर—पाल, श्री चिरंजीलाल जाटव तथा श्री अब्दुल हसीब खां।	किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों की ओर संकेत नहीं किया : (१) बढ़ते हुये भ्रष्टाचार और देश में व्यापक अनैतिकता के रोकथाम के लिये कदम उठाना। (२) बढ़ती हुई कीमतों को कृषि वस्तु के मूल्य अनुपात में लाने के लिये ठोस कदम उठाना। (३) खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई सक्रिय रूप से कार्य-क्रम का जिक्र नहीं किया विशेषतौर से: (क) भूमि अधिकतम सीमा निर्धारण में जो दो श्रेणियां अर्थात् भूमि सुधार ऐक्ट में १२ एकड़ और अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण ऐक्ट में ४० एकड़ का प्रतिबन्ध है, उसको दूर करके एक सीमा निर्धारण बनाने का विचार प्रकट नहीं किया। इसके कारण किसानों में बहुत बड़ा भ्रम है और अनिश्चितता के कारण कृषि व्यवसाय की तरफ से लोगों का ध्यान हटता जा रहा है। (ख) बाग लगाने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु यह घोषणा नहीं किया कि उस पर अधिकतम सीमा ऐक्ट लागू नहीं होगा।

१९ श्री नाथूराम शिक्षक प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय :

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं के निराकरण तथा हरिजनों एवं विमुक्त जातियों के समुचित उत्थान की रूपरेखा की घोषणा नहीं की।"

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पेश्तर इसके कि मैं मूल विषय पर आऊं,मुझे इस बात का दुःख है कि कल माननीय उग्रसेन जी तथा उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का बाइकाट किया गया और वह सदन से निकल कर चले गये। यह एक ब्रीच आफ प्रिवेलेज है। वह इस कान्स्टीट्यूशन की शपथ लेकर सदन में बैठे हुए हैं और इसी कांस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हैं अपने कामों से। मैं आपका ध्यान कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल २१० की तरफ ...

श्री हरिनाथ तिवारी एडोवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अगर ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तो उसी समय इसको मूव करते, इस समय बहस करने से क्या लाभ है ?

श्री बृजभूषणशरण—

मैं कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन नहीं ला रहा हूं, बल्कि उनके काम को कंडेम कर रहा हूं। आर्टिकल २१० में स्पष्टतया लिखा हुआ है—

"Notwithstanding any thing in part XVII. but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a state shall be transacted in the official language or language of the state or in Hindi or in English.

आर्टिकल ३४८ यह है कि स्टेट अगर अपनी भाषा हिन्दी या कोई और भाषा तय करती है तो जो अधिनियम बनेगा या रूल्स-रेगुलेशंस बनेंगे वह उसी भाषा में बनेंगे या उनका इंगलिश में तर्जुमा होगा। तो गवर्नर के अभिभाषण से आर्टिकिल ३४८ का कोई सम्बन्ध नहीं था। आर्टिकिल २१० के मुताबिक वह अंग्रेजी में अभिभाषण दे सकते थे और अंग्रेजी में स्पीच देते हुए उनका अनादर करना और उठकर चले जाना, मैं समझता हूं कि यह कांस्टीट्यूशन को वायलेट किया गया है और ब्रीच आफ प्रिविलेज है।

इसके बाद मैं एक दूसरा कांस्टीट्यूशन प्वाइंट रेज करना चाहता हूं। अभी माननीय शारदाभक्तसिंह ने गवर्नर ऐड्रेस के ऊपर भाषण दिया है। आप इस पर एक निर्णय दें कि एक पद्धति बना रखी है कि अभिभाषण में संशोधन दे दिये जाते हैं कि "किन्तु हमें खेद है कि माननीय राज्यपाल ने यह नहीं लिखा, वह नहीं लिखा" ....

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

यह तो रूल्स आफ प्रोसीजर में साफ दिया हुआ है ....

श्री बृजभूषणशरण—

हमने भाषण बहुत गौर से सुना और शान्त से सुना, आप भी दूसरों की बात सुनने की आदत डालें।

श्री उपाध्यक्ष—

बहस का आप को मौका मिलेगा, आप उस समय उत्तर दे दीजियेगा :

श्री बृजभूषणशरण—

जिन रूल्स आफ प्रोसीजर का माननीय दोस्त ने जिक्र किया है वह वायड है, उनके बनाने का आपको अधिकार नहीं था ।

श्री रक्षपालसिंह—

यह चीज उसी समय उठानी चाहिय थी जब वह भाषण दे रहे थे,

श्री उपाध्यक्ष—

भाषण का उल्लेख करते हुए वह उठा सकते हैं । यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । वह अपने भाषण में, जो बातें सदन के अन्दर हुई हैं, उन पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं ।

श्री बृजभूषण शरण—

श्रीमन्, कोई भी रूल्स आफ प्रोसीजर हम ऐसा नहीं बना सकते जो संविधान के खिलाफ हो । मान्यवर, मैं संविधान की धारा १७६ को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । जिस आर्टिकिल के मातहत यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है । उसमें यह है—

176. "(1) At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons.

(2) Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House of the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address."

तो संविधान के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि गवर्नर दोनों सदनों को बुलाकर एड्रेस करे और यह बतलायें कि यह सेशन क्यों बुलाया गया है । जो इस आर्टिकिल का प्राविजन है उसमें यह भी दिया है कि गवर्नर के एड्रेस में जो बातें दी गयी हैं उन्हीं पर डिस्कशन के लिये टाइम एलाट होगा । तो यहां पर जो इस तरह से कई बातें कह दी जाती हैं कि हमें खेद है इसमें यह नहीं है, वह नहीं है, यह सब कहना संविधान के खिलाफ है । हमने अगर कोई रूल संविधान के खिलाफ बना दिया है तो वह वायड है । आप को रूल्स बनाने का अधिकार आर्टिकिल २०८ में है जिसमें यह लिखा है—

"208. (1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business."

तो मेरा निवेदन यह है कि आप संविधान के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकते । संविधान में बजट के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है । उस समय चर्चा में आप इस तरह की बातों को ला सकते हैं मगर गवर्नर के एड्रेस पर बहस में उन बातों की चर्चा नहीं हो सकती जिन बातों का जिक्र उनके एड्रेस में नहीं है । संविधान में यह इसीलिये लिखा है कि गवर्नर की जो गरिमा है, उसका जो उच्च स्थान है, उसको किसी प्रकार चैलेन्ज न किया जा सके । इसलिये मेरा नम्रता के साथ निवेदन है कि जितने भी संशोधन आये हैं वे सब अलट्रावायर्स हैं, संविधान के खिलाफ हैं और उन पर डिस्कशन नहीं होना चाहिये ।

हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि एड्रेस में हिन्दी का कोई जिक्र नहीं है कि कब तक वह पूर्णतया इस प्रदेश में लागू कर दी जायेगी । श्रीमन् मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक लैंगुएज ऐक्ट हम पास कर चुके हैं और हम अपनी पालिसी को भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम अपना काम हिन्दी में करेंगे । इसलिये भी इसका

[श्री बृजभूषण शरण]

अभिभाषण में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं थी अलबत्ता यह बात है कि तमाम काम हिन्दी में हो रहा है। गवर्नमेन्ट उसको धीरे धीरे लागू कर रही है। इसके लिये इन्टालरेंस की आवश्यकता नहीं है और इस विषय को लेकर इस प्रकार हरकत करना हिन्दी के काज को नुक्सान पहुंचाना है। श्रीमती सुशीलारोहतगी ने ठीक ही कहा है कि अगर हमारे प्रदेश का कोई साउथ में गवर्नर बन कर जाय और उससे कहा जाय कि तामिल में भाषण दीजिये तो वह कैसे सम्भव हो सकता है। इस वक्त इमरजेन्सी का टाइम है, दुश्मन द्वार पर खड़ा है, इस प्रकार की बातें करना कि जिससे आपस में खाई पैदा हो, मैं समझता हूं नामुनासिब है।

मान्यवर, माननीय शारदाभक्तसिंह जी ने जिक्र किया है कि राज्यपाल महोदय ने बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, सरकार को उसकी चिन्ता है और उसके लिये सरकार क्या कर रही है इस ओर भी उन्होंने संकेत किया है। माननीया सुशीला रोहतगी और बेचनराम जी ने उसका जिक्र अपने अपने भाषणों में किया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि खाद्यान्न जरूरत की चीज है और उन की कीमतें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन उसके लिये सरकार समुचित प्रबन्ध कर रही है। माननीय खाद्य मंत्री ने बतलाया कि सरकार उसके लिये पूरा-पूरा प्रबंध कर रही है और राशनिंग की ज्यादा दूकानें खोली जा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय खाद्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उनका वितरण इसलिये अच्छा नहीं हो पा रहा है कि इन्फोर्समेंट स्टाफ की बहुत कमी है। १९५०--५१ में जो स्टाफ सिविल सप्लाई में था उससे बहुत कम है। इस वक्त स्टाफ बढ़ाने में तो खर्चा ज्यादा होगा। उसके बजाय हर जिले में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर को एन्फोर्समेंट के लिये एक जीप इन्टीरियर में जाने के लिये दे दीजिये जिससे वहां जो ब्लैक मार्केटिंग होता है उसको चेक कर सकें।

शारदाभक्तसिंह जी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि पे कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिये जो पे मिलती है वही प्रदेशीय सरकार की सेवाओं के लिये दी जाय। लेकिन केन्द्रीय सरकार के साधन ज्यादा हैं इसलिये यह मानते हुए भी कि वही काम हमारी सेवाओं को भी करना पड़ता है, हम अधिक नहीं दे सकते। किसी राजा के रसोइये को १५० मिलते हैं तो गरीब आदमी के रसोइये को २५ रुपया ही मिलता है। यह रिसोर्सेज के गैप के कारण है। उन्होंने यह भी कहा कि लगान आधा कर दिया जाय जिससे उपज बढ़ाने में किसानों को इंकरेजमेंट मिलेगा, इर्रीगेशन रेट कम कर दिया जाय और टैक्सेज माफ कर दिये जांय। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने यह नहीं बताया कि इससे रुपये की जो क्षति होगी वह कैसे पूरी की जायेगी। उसके बारे में उन्होंने कोई सालिड सजेशन नहीं दिया।

मान्यवर, यह कहा गया कि गवर्नर के अभिभाषण में इस बात को पब्लिकली माना गया है कि स्टेट में करप्शन बढ़ रहा है। इस का कुछ संकेत तो अवश्य है, लेकिन यह कहीं नहीं है कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बल्कि यह है कि एक विजिलेंस कमेटी मुकर्रर की जायगी। जितना करप्शन कहा गया है उतना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

१० मिनट कहा गया था और इन्हें २० मिनट हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

३, ४ मिनट इस झगड़े में लग गये। इतना ही टाइम मैंने दिया है।

श्री बृजभूषणशरण---

मैं यह कहता हूं कि अगर विजिलेंस कमीशन की जरूरत है तो इन मिनिस्टरों के लिये है। पब्लिक सर्विसेज में करप्शन नहीं है। उनमें इनऐफ़ीशेंसी है। मिनिस्टर इतनी ढीलढाल

से काम करते हैं और इतना इनडिसीशन है इनमें कि इससे सर्विसेज डिमारेलाइज होती हैं। हमारे मिनिस्टर एक फाइल को, ३, ३ महीने तक अपने मेज पर डाले रहते हैं। जहां किसी ऊटपटांग आदमी ने उन्हें खत लिखा तो उन्होंने फ़ाइल मंगवा कर डाल ली ताकि सरकारी अफ़सर कोई फैसला न कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं बहन माननीया सुशीला रोहतगी जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने शरण साहब और बहन माननीया सुशीलाजी के विचार सुने। माननीय शारदाभक्तसिंह जी के भी विचार सुने। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने २ बार पढ़ा, लेकिन मुझे कोई नयी बात मालूम नहीं हुई। सरकारी पक्ष यह कहेगा कि विरोध पक्ष के लोग रोजाना ही पिटी-पिटाई बात कहते हैं, वही कीमतों के बढ़ने और भ्रष्टाचार की बातें। मैं भी सरकारी पक्ष से कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल जिस शासन के हेड हैं उस पार्टी ने भुवनेश्वर में जो प्रजातांत्रिक समाजवाद की परिभाषा की है, माननीय राज्यपाल के भाषण में उसकी कुछ तो झलक होनी चाहिये थी। क्या माननीय राज्यपाल ने कल-कारखानों के राष्ट्रीयकरण की बात कही? क्या उन्होंने यह कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण सही तरह से अमल में लाया जाय? नहीं कहा। सरकारी पार्टी का आचरण देख देख कर ही विरोधी पक्ष हमला करता है। मुझे बड़ा खेद है कि पुरानी पिटी पिटाई वही बातें सरकारी पार्टी की ओर से कही गई हैं, वैसे ही तर्क हमें भी पेश करने होंगे; जो नयी बात भुवनेश्वर में कही गयी थी उसका कोई लक्ष्य या नमूना राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है।

शरण जी ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने वाकआउट करके माननीय राज्यपाल के गौरव में, या उनकी शान के, खिलाफ कार्य किया। वह एक वकील हैं और पार्लियामेंटरी पद्धति का थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है। पार्लियामेंटरी पद्धति में विरोध प्रकट करने का और दूसरा साधारण सा तरीका हो नहीं सकता। बहन सुशीला जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई आदमी दक्षिण भारत में जाकर राज्यपाल बने तो दक्षिण के लोग क्या कहेंगे। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हमने राज्यपाल से कहा था कि अगर वह हिन्दी में नहीं बोल सकते हैं तो अपनी भाषा उड़िया में या संस्कृत में जो वह जानते हैं, बोलें। अगर दक्षिण की या हिन्दुस्तान की किसी भाषा में हमारा कोई गवर्नर दक्षिण में जा कर बोलेगा तो हम पूरी छूट देंगे। लेकिन इस सरकार को तो अंग्रेजों से प्यार है। पारसाल राज्यपाल महोदय उग्रसेन जी के अनुरोध को मान गये थे और हिन्दी में अभिभाषण को पढ़वाया था, तो इस साल फिर नयी बात सदन में उठा दी। ऊपर से राष्ट्रपति से डंडा पड़ा और बात उलट गयी। आज इस सरकार का सारा काम काज विदेशी भाषा अंग्रेजी में इसलिये चलता है कि इस देश और प्रदेश में १६ साल होने पर भी सामन्तवादी पैर जमाये हैं। मैं कहता हूं कि बहन जी, अगर आप दक्षिण भारत में राज्यपाल बनें तो आप हिन्दुस्तान की कोई भी भाषा बोलें कोई हम ही भारतीय नहीं हैं, आप भी भारतीय हैं। हमारी बहन लक्ष्मी मेनन जी अभी रूस में गई थीं, तो उन्होंने कहा था कि उनका सर लज्जा से झुक गया जब उन्हें लताड़ पड़ी कि क्या आप अंग्रेजी को अभी जिन्दा रखेंगी। विदेश से आकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जिस बात को गांधी जी बार-बार कहा करते थे, वह अभी भी इस सरकार के समझ में नहीं आई है। तो हम कैसे समझावें? लेकिन मैं सोचता हूं कि शरण साहेब तो समझ ही गये होंगे। माननीय राज्यपाल के गौरव में या गरिमा में ठेस पहुंचाने की वह पार्टी बिलकुल नहीं सोच सकती जो प्रजातांत्रिक समाजवाद में विश्वास करती हैं। मुझे तो यह भी पता चला है कि हिन्दी के साथ और भी ६, ७ भाषायें, हिन्दुस्तान की वह जानते हैं। हमारा वाक आउट तो प्रजातांत्रिक पद्धति में विरोध का संकेत मात्र है। वरन् वाक आउट से भी ज्यादा और दूसरी पार्लियामेंटरी पद्धतियां हैं, वह हमने ठीक नहीं समझीं वरना करके दिखला देते। चूंकि हिन्दी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

रोजबरोज मंहगाई की बात होती है। सुबह माननीय खाद्य मंत्री का प्रश्नोत्तर पढ़ा तो मालूम हुआ कि ६०,००० टन गल्ला उनके पास आता है। मैंने सवाल उठाया तो था कि आपके पास, आप कहते हैं कि कि भंडार भरा है, लेकिन दूकानें केवल ५,००० ही हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, बेकारी, भुखमरी और ग़रीबी का साम्राज्य दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। उनके गोदाम उनके लिये या मध्यम वर्ग से ऊंचे लोगों के लिये मुबारक हों। आज देहात के एक-एक आदमी को दूकान लेने में २, २, ३, ३ महीने घूमना पड़ता है। बी० डी० ओ० और तहसीलदार लिख देते हैं तो डी० एस० ओ० रिजेक्ट कर देता है। सौ सौ और २, २ सौ रुपये में एक दूकान मिलती है। इस प्रकार बेनियम गाड़ी इस सरकार की चल रही है। इस सरकार को अपनी दामनीति निर्धारित करनी चाहिये परन्तु हमारा दुर्भाग्य मालूम पड़ता है कि चूंकि सोशलिस्ट पार्टी कहती है इसलिये सरकार नहीं मानती है।

मैं आप को फिर समझा दूं कि आप समाजवाद की बात तो करते हैं, लेकिन इस सरकार की दाम नीति रोज रोज बढ़ती उतरती रहती है। साधारण व्यवहार में रोज आने वाली चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गये हैं कि गरीबों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मैं आप को समाजवादी पार्टी की दाम, नीति और सिद्धान्त की बात बतला देना चाहता हूं। आज देहातों की हालत बहुत खराब है। वहां लोगों के खाने के लिये ज्वार नहीं है, जानवरों के लिये चारा नहीं है,ओढ़ने के लिये कपड़े नहीं हैं।

मैं अपने जिला मथुरा की बात बतलाता हूं कि वहां बड़ी गरीबी है। बाढ़ और गर्की से ही लोगों की तबाही है, इसके साथ ही लगान व बकाये की वसूलयाबी का डंडा भी चल रहा है जिससे वहां की जनता बहुत पीड़ित है। पटवारियान ने सही तरीके से नुक्सान की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, इससे भी गरीब जनता काफी परेशान है। इसके बावजूद भी आज हालत यह है कि सरकार की कोई निश्चित दाम नीति नहीं है। सरकार को अपनी कोई निश्चित दाम नीति बना देनी चाहिये। भुवनेश्वर में आपने समाजवादी समाज बनाने की बात मंजूर की है तो फिर हिचक क्यों रहे हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे सीधे समाजवाद की बात क्यों नहीं करते? सोशलिस्ट पार्टी जो इसका पैतृक नाम है, उसके सिद्धान्त को पकड़ कर तो देखें। दाम निश्चित करने का समाजवादी सिद्धान्त यह है कि जो चीज जितने रुपये मन बाजार में पैदा होते वक्त बिके और जिस वक्त इसको खरीदना पड़े, एक आना सेर से ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिये। जैसे अगर कोई काश्तकार अपनी कोई फसल १६ रुपये मन बेचता है तो खरीदते वक्त उसकी कीमत साढ़े १८ रुपये मन से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। इसी तरह से कल कारखाने की बनी हुई चीजें हैं, खेती बारी की चीजें हैं, उनको लागत खर्च के डेढ़गुना से ज्यादा कभी बाजार में नहीं बिकना चाहिये। यदि आप की यह एक निश्चित दाम नीति बन जाय तो न नेगी जी को रोज रोज रोना पड़े, न नन्दा साहब को कहना पड़े और न तरह तरह की बातें हों। आज ऐसी निश्चित दाम नीति बनाइये जिसमें किसी का नफा नुकसान न हो। परन्तु महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मुझे इस तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिली। अगर इस तरह की बात अभिभाषण में आयी होती तो मैं उनको धन्यवाद देने की बात करता।

शारदाभक्त सिंह जी ने आधा लगान करने की बात कही। मैं आपसे साफ-साफ कह दूं कि उन अलाभकर जोतों के लगान को माफ करने की बात है जिससे काश्तकारों का गुजारा सही तरीके से नहीं हो पाता। सरकार को इससे लगभग ८–९ करोड़ रुपया लगान के रूप में मिलता है। सरकार को इसे माफ कर देना चाहिये, क्योंकि इससे कोई विशेष नुकसान नहीं है। गरीबों को गुजारा करना कितना मुश्किल है, अगर इस तरह की कोई बात इस अभिभाषण में आयी होती तो मैं धन्यवाद देता, यदि पुलिस के जोर जुल्म के सम्बन्ध में कोई चर्चा आयी होती कि किस तरह से दूर किया जाय तो मैं धन्यवाद देता।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उत्तरी सीमा पर पी० ए० सी० लगाने की बात का जिक्र किया लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कभी किसी के साथ मुकाबिला करने की बात सामने आयी जब किसी से मुकाबिला हो तब आपके पी० ए० सी० की हिम्मत मालूम पड़े और आपके सुरक्षात्मक प्रबंध की सच्चाई मालूम पड़े। हमने देखा कि जब चीन ने हमला किया था तो हमारी फौजें किस तरह से रोज तीस-तीस मील पीछे भाग रही थीं। यदि दोबारा फिर कहीं उधर से हमला हो जाय तब यह मालूम पड़े कि आपकी पी० ए० सी० में कितनी वीरता है। यह केवल आपकी कागजी बात है, वास्तव में इस सरकार का कहीं भी कोई ठीक इंतजाम नहीं है। जब मैं मथुरा जा रहा था तो मेरी बातचीत एक मिलिटरी आफिसर से हुई। उसने उत्तरी सीमा का ऐसा दर्दनाक चित्र दिया कि उसे मैं यहां क्या कहूं---चूंकि यह केन्द्रीय सरकार का विषय है इसलिये मैं उसे यहां उठाना नहीं चाहता। अगर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई सुरक्षात्मक प्रबन्ध की बात आयी होती, नागरिक अधिकारों की बात आयी होती, पुलिस जुल्म की बात सही तरीके से रखी गयी होती तब हम आपकी बात मानते अब मैं आपको क्या कहूं ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

५ मिनट और दिये जायं श्रीमन्, चकबंदी ....

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

२ मिनट ही दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा २ मिनट में समाप्त करें ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

अन्त में मैं कहूंगा कि सारे प्रदेश में चकबंदी हो रही है और उस में क्या हो रहा है और सारे प्रदेश में सरकारी पक्ष के सदस्यों के क्षेत्र में और विरोधी पक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों में क्या हो रहा है, बहुत ही दुर्दशा हो रही है। छाता मथुरा जिले के लोग हवालातों में भरे पड़े हैं। कीमतें ठीक नहीं लगाई जा रही हैं, किसान मर रहे हैं और सारे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इन बातों का वर्णन इस अभिभाषण में होता जिन का कि मैंने जिक्र किया है तो हमारी कोई हठवादिता नहीं है कि हम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद न देते, हम भी धन्यवाद देते। लेकिन आज जो चारों तरफ निराशा का वातावरण व्याप्त है और जो बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी, चोरबाजारी, घूसखोरी और हर तरह की चीजें दिन दहाड़े दुगुनी और चौगुनी बढ़ती जा रही हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमारी अन्तरात्मा किस तरह से इस अभिभाषण पर राज्यपाल को धन्यवाद दे। धन्यवाद तो वही दे सकते हैं कि जिनको सन ६७ के चुनाव में जीतकर आना है और मंत्रिमंडल को चलाना है। हम तो केवल निजी शक्ति पर भरोसा करते हैं, हम इस तरह के धन्यवाद की बात नहीं करते। अगर इसमें इन बातों का जिक्र होता तो हम अवश्य ही सक्रिय धन्यवाद उनको देते। अब शायद हमारी बात से सदन की और माननीय शरण साहब की समझ में आ गया होगा कि हम क्यों धन्यवाद देने में मजबूर हैं और धन्यवाद नहीं दे सकते और इन शब्दों के साथ मैं अब समाप्त करता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीया सदस्या ने इधर से पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को ध्यान से सुना, लेकिन वह चूंकि विदेशी भाषा अंग्रेजी में था और जो विदेशी भाषा न तो इस देश की है और न इस राज्य की है उसमें हम उसको समझने से भी वंचित रहे। पहले अखबारों में निकला कि अभिभाषण हिन्दी में होगा, लेकिन यहां आये तो वह फिर अंग्रेजी में ही हुआ, उस विदेशी भाषा में ही हुआ जिस के खिलाफ पूज्य बापू और हमारे तमाम नेता लड़े और जिस हिन्दी का बापू ने सदा समर्थन किया और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिये भरसक प्रयत्न किया। परन्तु हमारा सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य कहिये कि हम एक ओर तो अपने देश और प्रदेश की राष्ट्रभाषा हिन्दी कहते हैं, लेकिन अब भी हमारे इधर के मंत्री या विरोधी दल के लीडर अपने वोट देते हैं तो वह अंग्रेजी में ही देते हैं और पता नहीं क्या बात उन के लीडर स्वयं अंग्रेजी में नोट लिखते हैं और यहां सदन में वह हिन्दी हिन्दी करते हैं। इस तरह से जो हिन्दी के स्वयं अनुयायी हैं वे स्वयं अंग्रेजी का बराबर प्रयोग करते हैं।

हमारे प्रदेश में आज खाद्य नियंत्रण, भावों की और किसानों की पैदावार बढ़ाने की तमाम बातें चल रही हैं, चीनी का प्रश्न है, गन्ने और गुड़ का प्रश्न है। गुड़ पर नियंत्रण लगाया गया है, लेकिन परमिट देकर वह बाहर ले जाया जा रहा है और किसान को ज्यादा कीमत न मिलकर वह बीच के व्यापारी को मिल रही है, व्यापारियों ने पैसा कमाया है, ब्लेक से गुड़ बराबर बाहर जा रहा है।

हरिजनों की समस्या है जिस के लिये इस देश के नेताओं ने काफी काम किया है और छुआछूत को मिटाने का काफी प्रयत्न किया है। यहां जो जन्म लेता है वह आदमी है, कोई अछूत नहीं है, उनके लिये स्थान भी सुरक्षित कर दिये गये। लेकिन आज एक भी स्थान किसी विभाग में पूर्ति नहीं हुआ। कहा जाता है कि यह हरिजनों के लिये किया जा रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, यह हम जानते हैं। क्यों जगहें पूरी नहीं हुईं? उसका विशेष कारण है, उन पर लांछन लगाते थे कि शिक्षित नहीं हैं। लेकिन जब सरकार १,२ करोड़ रुपया उनकी शिक्षा पर खर्च कर रही है, आज काफी हरिजन बढ़ लिख गये हैं तब यह नहीं कहा जा सकता कि वह अशिक्षित हैं। लेकिन कहा जाता है कि प्रतियोगिता में फेल हो जाते हैं। इसका नतीजा यह है कि उनमें भी असंतोष है। दो महानुभाव उधर से बोले शायद उनको यही पता नहीं कि जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया वही उधर चले गये, जिनकी अधिक मदद सरकार ने की उन्होंने ही अनुचित लाभ उठाया और आज वही लोग सरकार की बुराई करते हैं।

अभी माननीय सदस्य ने पी० ए० सी० के बारे में कहा। मैं पूछना चाहता हूं क्या आप देश की रक्षा का प्रबंध नहीं करेंगे? अगर सरकार ने ऐसा किया है तो बुरा क्या किया? आपको तो धन्यवाद देना चाहिये था। जहां तक ताकत अजमाने का सवाल है, वह तो समय जब आयेगा तो बतायेगा।

आज सारे संसार में हमारे नेताओं की ख्याति है। हां, हिन्दी की बात आप कहते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। जो चीज अनुचित है उसको कहिये। जितने हमारे कांग्रेस के पहले लीडर थे वही आज समाजवादी हैं माननीय लोहिया, माननीय जयप्रकाश, माननीय अशोक मेहता, यह सब कांग्रेस में ही तो रहे, आज कांग्रेस उसी समाजवाद को ले रही है। आपका समाजवाद कहां से आ गया? अब तो एक ही समाजवाद रहेगा कि आप उधर से इधर चले आइये। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के मुकाबिले में अपने को समाजवादी पार्टी कहती हैं, जरा सुन कर ताज्जुब होता है, अगर समाजवाद है तो सहज कांग्रेस का समाजवाद है। इसलिये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जहां भुवनेश्वर की आप बातें करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह तो असंगत ही हैं। यदि आप सही तरीके से समाजवाद को जानना चाहते हैं तो कांग्रेसियों से समझने की कोशिश करें। आप देखते हैं कि डाक्टर राममनोहर लोहिया और श्री जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को कांग्रेस ने ही दिया और आज आप जिन्होंने समाजवाद की प्रेरणा उन्हें दी, उनका विरोध करते हैं। आप लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसका प्रभाव इधर भी पड़ रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक समाजवाद की बात है केवल कांग्रेस का समाजवाद है। आप लोगों का समाजवाद, समाजवाद नहीं है। अगर इस बात को जनसंघ के लोग, कम्यूनिस्ट लोग कहें तो मैं मानने के लिये तैयार हूं। तो इसलिये मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के समाजवाद को मानकर कांग्रेस में ही शामिल हो जाइये।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हरिजन समस्या को आजतक सरकार नहीं समझ सकी है और वह समस्या आजतक उसी तरह से विद्यमान है जैसे पहले थी। नतीजा यह है कि उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। २-३ साल में न मालूम कितने लड़के सरकारी नौकरियों से निकाल दिये गये हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार उनके सम्बन्ध में ध्यान देगी। साथ ही साथ सरकार हरिजनों के लड़कों की शिक्षा का प्रबंध करे। हरिजनों को व्यापार दिलाया जाय। उन्हें छोटे-छोटे उद्योग चाहिये। उन्हें जमीन नहीं चाहिये। जमीनें दे दे कर आप उनमें झगड़ा कराते हैं। उनके मसले तभी हल हो सकते हैं जब कि उन्हें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज दी जायं।

आज बाढ़ से किसानों की तबाही होती है, लेकिन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। मजदूरों के लिये भी सम्बोधन में कोई जिक्र नहीं है। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और जो पीड़ायें हैं उनके ऊपर भी जरा ध्यान दें।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सिलसिले में अपनी राय व्यक्त करने के पूर्व मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दी में भाषण करने का उपक्रम किया, लेकिन इसके साथ में यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि जिस श्रद्धा और निश्चय के साथ उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया है उसी लगन के साथ अगले वर्ष जब वे हमारे सामने आयें तो हिन्दी में ही भाषण करें। इस वर्ष का भाषण परम्परा का रूप न लेकर केवल अपवाद रह जाय, यही हमारी अभिलाषा है।

माननीय बी० बी० शरण जी ने संशोधन के सिलसिले में कुछ अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक नियमों का प्रश्न है उसे गलत कहना या नियम के अनुसार नहीं है, कहना इस समय तो उचित नहीं होगा। वह वकील हैं और नियमों को समझते हैं। अतः वह उचित परामर्श सरकार को दें जिससे नियमों में उचित संशोधन हो जाय और ऐसी स्थिति पैदा न हो।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नत्थी 'ख' के देखने से मालूम होता है कि ये सारे संशोधन माननीय सुशीला रोहतगी के प्रस्ताव पर हैं। मैं नहीं जानता कि कहां तक यह संवैधानिक है कि प्रस्ताव पेश नहीं हुआ और उस पर संशोधन आ गया और सारे संशोधन छप कर वितरित भी हो गये। मैं इसको वैधानिकता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा अपना खयाल है कि प्रस्ताव पेश पहले होना चाहिये था। उसके बाद उस पर संशोधन आते।

अब मैं कुछ उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिधर महामहिम राज्यपाल ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उस उपक्रम में जो तस्वीर हमारे सामने उन्होंने पेश की है वह कुछ धुंधली सी रही, स्पष्ट नहीं रही। यह प्रदेश आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार अपनी प्रजा से बर्ताव करेगा, किस प्रकार अपना शासन चलायेगा या उन्नति करेगा, बेकारी तथा गरीबी को दूर करेगा इसका स्पष्ट रूप हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

[श्री केशरीप्रसाद पान्डेय]

ऐसा मालूम होता है कि सचिवालय की तरफ से एक तस्वीर उनके सामने पेश कर दी गयी और कांस्टीट्यूशनलहेड होने के नाते उन्होंने उसे हमारे सामने पेशकर दिया। यह दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपनी नौकरशाही के भरोसे अपनी नीतियों का भी निर्माण करते हैं जिन नीतियों में हम अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं कि हमारे भाई जो उधर बैठे हैं उन्होंने भुवनेश्वर में लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रस्ताव पास किया और मेरा विश्वास है कि उस पर वह दृढ़ता से चलने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें सोचना होगा कि वह अपने पर कितना भरोसा कर सकते हैं और कितना नौकरशाही पर उन्हें अपने ऊपर निश्चित रूप से नीति निर्माण में भरोसा करना चाहते हैं और नीति का निर्माण स्वयं उनको करना चाहिये। केवल उसका एक्जिक्यूशन नौकरशाही के जरिये से कराना चाहिये। यह अन्तर उनको करना होगा। अगर यह नहीं किया गया तो नौकरशाही की बढ़ती हुई ताकत जिस तरह मंत्रिमंडल पर हावी हो रही है वह आपको समाजवाद की ओर न ले जाकर किसी और तरफ ले जायगी जो इस प्रदेश व देश के लिये घातक सिद्ध होगी।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार की ओर भी हमारा ध्यान खींचा है और ऐसा करके उन्होंने उचित ही किया। उन्होंने एक निगरानी आयोग की नियुक्ति की, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यह भ्रष्टाचार उन्मूलन का नया तरीका है। जैसा कि शरण साहब ने इशारा किया है कि निगरानी आयोग की नजर नौकरशाही पर ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के सदस्यों पर ही होना चाहिये। यह तर्कसंगत प्रतीत होता है। आज भी इस प्रदेश के मंत्रिमंडल के कतिपय सदस्यों की तरफ लोगों की आंखें उठी हुई हैं और अखबारों तथा देश की जनता में एक विशेष प्रकार की भावना प्रस्फुटित हो रही है कि मंत्रिमंडल पाक साफ नहीं है। जब मंत्रिमंडल तथा मंत्रियों पर आक्षेप होता है तो नौकरशाही को मौका मिल जाता है और वह मनमाने ढंग से काम करने लग जाती है और आपकी एक कमजोरी पर अपनी १०० कमजोरियों का फायदा स्वयं उठाने लगती हैं। जहां निगरानी आयोग नौकरशाही पर निगरानी करने के लिये नियुक्त किया जा रहा है वहां निश्चित रूप से राजनीतिक पुरुषों पर चाहे मंत्री हों, माननीय सदस्य हों अथवा जिन्दगी के किसी दौर में हों उन पर भी अंकुश रखने के लिये आयोग की नियुक्ति होनी चाहिये।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल ने पुलिस का कुछ गुण गान किया है। बहुत अच्छा किया। पुलिस का कर्तव्य है कि वह बदमाशी, डकैती, चोरी को खत्म करे। लेकिन मैं उनका और माननीय गृह मंत्री का ध्यान क्राइम सिचुएशन इन इंडिया, १९६२, जिसको यूनियन सरकार ने प्रकाशित किया है, की ओर खींचना चाहता हूं। उस प्रकाशन में निश्चित रूप से यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम की वृद्धि सब से ज्यादा है—६७.७ परसेंट है। वह और भी बढ़ती जा रही है। कानपुर नगर जहां से माननीया सुशीला जी तशरीफ लाती हैं, उसका नम्बर देश में प्रथम जहां पर जरायम ८३.१ प्रतिशत है। ऐसी दशा में यह कह देना कि पुलिस बहुत सतर्क है, काम बहुत अच्छे ढंग चल से रहा है, बहुत अच्छा नहीं होगा। नजर इधर भी रखनी पड़ेगी कि डकैतों की सफाई तो हो किन्तु कहीं ऐसा न हो कि बेगुनाहों का भी सफाया हो जाय। हमारी पुलिस की शिथिलता और अकर्मण्यता के कारण बेगुनाह न मारे जायं। मैं आपका ध्यान बांदा जिले के गाजीपुर गांव की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर सत्यवीरसिंह को दिनदहाड़े मारा गया, पीटा गया, बेइज्जत किया गया और इसके विरोध में जब वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया तो उनसे बदला चुकाया गया और वह इस तरह चुकाया गया कि वहां के लोगों को जिन्दगी भर याद रहेगा। उन्हें पकड़ कर जेल भेजा गया, पीटा गया और नाना प्रकार से आतंकित किया गया। कल ही पांच आदमियों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया। यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

अभी इस सदन के माननीय सदस्य श्री बांकेलाल जी की गिरफ्तारी के बारे में आपने सूचना दी थी। मुझे आश्चर्य है कि २९ तारीख के अपरान्ह में जब वे गिरफ्तार किये गये और ३० तारीख के अपरान्ह में जेल भेजे गये तो इस बीच में वे कहां रखे गये? वे इस सदन के आदरणीय सदस्य हैं। उनके साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिये था। बजाय इसके आपके पुलिस कर्मचारियों ने उनको हवालात में रखा और किस तरह से रखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जेल में उनको तीन, चार दिन तक "सी" क्लास में रखा गया। हम तो सत्याग्रही है और सत्याग्रही के नाते हम कभी भी यह नहीं कहेंगे कि हमको अच्छा क्लास दीजिये। क्योंकि हमने आत्मपीड़न का रास्ता अपनाया है। लेकिन फिर भी इस सदन का सदस्य होने के नाते हो सकता है कि आज हम हैं तो कल दूसरे माननीय सदस्य इसके शिकार हों और इसी प्रकार का बर्ताव उनके साथ भी हो, अतः हमारी मंत्रिमंडल और गृह मंत्री जी इस बात को गम्भीरता से सोचें कि कहीं ऐसा न हो जाय कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे और कोई बेगुनाह मारा जाय।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उन टैक्सेज की तरफ ले जाना चाहता हूं जिन की ओर राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है। उनका नाम नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से वह टैक्सेज आने वाले हैं। ये टैक्सेज होंगे कमरतोड़ खासकर इस स्थिति में जब शीत लहरी के कारण सारा प्रदेश त्राहि त्राहि कर रहा है और अनाज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश में दो, तीन दिनों के अन्दर गेहूं के भाव ५५ रुपये से ले कर ५९.५० रुपये प्रति क्विन्टल हो गये हैं। चावल का भाव ९३.७७ से बढ़कर ९६.४५ हो गया, दाल का भाव ६९.६६ से लेकर ८०.२५ हो गया और मूंग का भाव ८०.३८ हो गया है। आलू की फसल नष्ट हो गई है। इसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और अब तक साढ़े सात रुपये से लेकर ११.५० तक बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो टैक्सेज लगाने की बात हम सोच रहे हैं वह कहां तक उपयुक्त और ठीक होगी, यह सोचने की बात है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स की चोरी जबर्दस्त तरीके से हो रही है और सरकार यदि इसको बना ले तो शायद टैक्सेज लगाने की आवश्यकता न पड़े। मैं केवल इसके लिये एक ही उदाहरण देना चाहता हूं फीरोजाबाद का। वहां पर चूड़ियों के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं और करीब ७ करोड़ की चूड़ियां बाहर जाती हैं जिन पर ७ प्रतिशत सेल्स टैक्स लगता है, जो हिसाब से ४९ लाख होता है। लेकिन सेल्स टैक्स के रूप में केवल १०--१५ लाख रुपया ही प्राप्त होता है। इतनी बड़ी चोरी हमारे प्रदेश में सेल्स टैक्स की हो रही है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनके ऊपर अंकुश रखना होगा यदि हम अंकुश रख सकेंगे और सेल्स टैक्स की चोरी बचा सकेंगे तो मेरा खयाल है कि आपको टैक्स लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में ३०-३५ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से मिल सकता है और हम प्रदेश के लोगों को टैक्सेज से बचा सकते हैं।

दूसरी चीज यह है, आपने प्रदेश में रोडवेज का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट ट्रेड किया है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रदेश में बड़े बड़े रास्ते अब भी पड़े हुये हैं, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं हो सका है। इसलिये नहीं हो सका है कि उनमें बड़े बड़े मोटर मालिक शामिल हैं। हरदोई का रास्ता है, बनारस से मिर्जापुर के रास्ते स्वच्छंद रूप से पूंजीपतियों के लिये खुले पड़े हुये हैं। अगर इन रास्तों का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो निश्चय ही हमारी आमदनी बढ़ जायगी और हमें टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। हम लोगों की तरफ माघ मेला चला करता है मुझे यह कहते हुये अफसोस है कि रोडवेज की गाड़ियां पड़ी रहीं और प्राइवेट मोटर ओनर्स को ५००---५०० रुपये लेकर परमिट दिये गये। यह बड़े शर्म की बात है और यदि ऐसी स्थिति में सरकार काम करेगी तो समाजवाद की शक्ल धुंधली ही नहीं बल्कि भ्रष्ट हो जायगी। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सेल्स टैक्स की चोरी को रोके और परिवहन विभाग की दूषित प्रणाली को बदले, प्रदेश को ऊंचा उठाने में जितना सहयोग दे सके, दे और जनता का विश्वास प्राप्त करे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में श्रीमती सुशीला रोहतगी जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। समर्थन मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यह एक परिपाटी है कि समर्थन करना चाहिये। मैं बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस सदन का मुझे ७ साल का अनुभव है, इससे पूर्व हमेशा ऐसे भाषण होते रहे हैं लेकिन ऐसी बात देखने में नहीं आई जो इसमें देखने को मिली। यह बड़े साहस और बल की बात है कि राज्यपाल महोदय ने, जो कमजोरियां सरकार की प्रतीत हुई, उनका भी जिक्र किया। कृषि उत्पादन के संबंध में तृतीय पंच वर्षीय योजना में जो हम पिछड़ गये हैं, उसको भी स्पष्टतापूर्वक कहा है, भ्रष्टाचार की तरफ भी उन्होंने पर्याप्त संकेत किया है। इसकी रोकथाम के लिये उचित कदम उठाने का जो मार्ग सामने आया है उसका अनुसरण हमारी सरकार भी करने जा रही है। इसके अतिरिक्त समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए, प्रदेश की जनता के कल्याण के संबंध में जो जो कदम उठाने चाहिए, उनकी अपने अभिभाषण में उन्होंने संक्षेप में चर्चा की है। वह वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, इस अभिभाषण पर हमें उनको अवश्य धन्यवाद देना चाहिए।

अभिभाषण के समय समाजवादी दल ने जो यहां से वाकआउट किया वह वास्तव में दुख का विषय था। इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह इधर का हो या उधर का ऐसा नहीं है जिसका हिन्दी से प्रेम न हो। हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है। उसका सब सम्मान करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के शासन का सारा कार्य और भाषण हिन्दी में होने चाहिए। किन्तु जब हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि किसी दल के चोटी के नेता यह कहते हैं कि अंग्रेजी में भाषण करना अनकांस्टीट्यूशनल है, तो लज्जा से सर झुक जाता है। जो प्रणाली हमारे संविधान के अनुसार चल रही है, उसको कांस्टीट्यूशनल कहते हैं, उसके अन्दर स्पष्ट दिया हुआ है कि अंग्रेजी में भाषण होंगे या हिन्दी में। जब तक अंग्रेजी में भाषण देने की छूट है और जब तक उसमें संशोधन नहीं करते, तब तक अंग्रेजी में भाषण का देना अन-कांस्टीट्यूशनल किस प्रकार हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के सामने कोई कठिनाई है और वह उस कठिनाई को सामने रखते हुए, अपनी विवशता को प्रकट करता है और फिर भी प्रयास करता है उसे किसी प्रकार पूरा करने का, तो उसको समझना चाहिए। महामान्य राज्यपाल ने आते ही अपना सम्बोधन हिन्दी में प्रारम्भ किया और अन्तिम संपुट भी हिन्दी में दिया, बीच में अगर उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अंग्रेजी में कहा, तो उससे इतना क्षुब्ध नहीं होना चाहिए कि वाकआउट कर दें इस सदन से। ऐसा करके हम कोई ऊंची परम्परा नहीं कायम करते जब कि विधान सभा की प्रक्रिया उस समय लागू नहीं रहती। जिस समय महामहिम राज्यपाल अपना भाषण देते हैं वह प्रक्रिया नियमावली से अनुशासित हो कर नहीं देते हैं। विशेष कर उस प्रदेश के लिए जिस पर दायित्व है हिन्दी का। और यदि हिन्दी चालू होती है तो उसका श्रेय इस प्रदेश को होना चाहिए, क्योंकि यह हिन्दी के लिए अग्रगामी प्रदेश है। अतएव जो किया गया यह शोभा की बात नहीं है। मैं निर्भीकतापूर्वक और नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह बड़ी शर्म की बात है कि आज तक १५ वर्ष के अन्दर जो हिन्दी के प्रति दक्षिण में प्रेम था वह खत्म होता जा रहा है। इसका दायित्व है समाजवादी दल पर जिसने हिन्दी को पक्षपाती भाषा बनाने का कदम उठाया?

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय सदस्य लिखापढ़ी करके वह साबित कर दें। जो प्रस्ताव के समर्थन में बात करनी चाहिए वह करते नहीं। यह अनर्गल बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की बात करना ठीक नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैं आपके आदेश को स्वीकार करते हुए निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो पक्षपाती कदम उठाया है उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है.....

श्री रघुनाथसिंह—

अब आप वक्तव्य लिख दीजिए मैं जवाब दूंगा और.....

(व्यवधान)

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कह दिया। (श्री रघुनाथसिंह के कुछ कहते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

डाक्टर साहब, देखिए यह बहस की बात नहीं है (व्यवधान) मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कृपा करके बैठिए।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और जो हमारे देश भर के अन्दर व्याप्त है उस भाषा को इतना संकीर्ण बनाने की कोशिश करना कि हम केवल हिन्दी में ही यहां पर सुनना चाहते हैं और किसी भाषा में सुनने के लिए तैयार नहीं हैं.....

श्री रघुनाथसिंह—

यह भी बिलकुल गलत है। यह हमने कभी नहीं कहा था कि केवल हिन्दी में ही बोल सकते हैं, यह बिलकुल गलत कह रहे हैं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैं सब आपका पर्दाफाश कर रहा हूं आप बैठ तो जायं।

श्री रघुनाथसिंह—

पर्दाफाश करने के लिए अभी आपको भाषा विज्ञान सीखना पड़ेगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

भाषा विज्ञान आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते है (व्यवधान) मैं, मान्यवर, यह कह रहा था कि हिन्दी के पक्ष में यदि कोई कदम उठाना है उसको हिंसासनारूढ़ करने के लिए तो हमें धैर्य और सहिष्णुता के साथ हमारे देश के अन्दर जो विभिन्न प्रान्तों के अन्दर विभिन्न प्रकार की भाषायें बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं के साथ हमें सहिष्णुता और सौहार्द का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तभी उनके अन्दर यह भावना बन सकती है।

श्री रघुनाथसिंह—

यही हम कह रहे हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

आज जो हिन्दी का पक्षपात करते हैं और वाकआउट करते हैं मैं हाथ जोड़ कर उनसे कहना चाहता हूं कि उनको लज्जित होना चाहिए, वह अपने को देखें, महामहिम राज्यपाल के यहां जब बातें हो रही थीं तो उनके नेता उग्रसेन जी को इतना साहस नहीं हुआ कि उनसे हिन्दी में बात करते और वे उग्रसेन जी से उड़िया में सम्भाषण करते, इंटरप्रीटर एक दूसरे को समझाता रहता। (शोर)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

राज्यपाल महोदय से निवेदन किया गया था (शोर) इन्होंने पेपर पढ़ा ही नहीं.... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से गरमी लाने से कोई फायदा नहीं हैं (शोर) आप जो चाहते है अपने भाषण में कहते हैं और जो करना चाहते हैं वह करते हैं, तो उनको भी, वह जैसे अपना विचार रखना चाहें रखने दीजिये। आपको शान्तिपूर्वक सुनना चाहिए। आप शांतिपूर्वक सुनिये। (व्यवधान)

श्री रघुनाथसिंह—

मान्यवर, मैं वहां पर था। यह बिलकुल झूठ बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए, इस तरह की ऊटपटांग बात आप करते हैं यह बहुत गलत बात है।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं वहां मौजूद था। यह बिलकुल गलत कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

डाक्टर साहब, आप बैठ जाइए।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने ऊटपटांग शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह मेरे खयाल से पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, आप बैठ जाइए। यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से डाक्टर रघुनाथसिंह को यह चैलेंज देना चाहता हूं कि वह कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि समाचार पत्रों में जो छपा है कि उग्रसेन जी से राज्यपाल महोदय की जो बातें हुईं वह अंग्रेजी भाषा में हुई हैं या नहीं हुई है, इसको स्पष्ट करें (व्यवधान) अगर हुई हैं अंग्रेजी में तो उनको लज्जित होना चाहिए कि यहां पर अंग्रेजी का विरोध करते हैं और वहां अंग्रेजी भाषा में बात करने में गौरव समझते हैं....

श्री रघुनाथसिंह—

१७ साल से अंग्रेजी की गुलामी करने में लज्जा नहीं आ रही है और....

श्री जे० पी० मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बसन्तलाल जी अपने भाषण के बीच में माननीय उग्रसेन जी का नाम ले रहे हैं। उसका जवाब डाक्टर रघुनाथसिंह जी बराबर दे रहे हैं तो क्या डाक्टर रघुनाथसिंह जी उग्रसेन जी की सीट का ब्रीफहोल्ड किये बैठे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह उनका नाम लेकर चैलेन्ज कर रहे थे।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं वहां पर मौजूद था इसलिये कह रहा हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय जो काट लिया गया है वह मुझे आगे बढ़ा दिया जाय। मैं यह कह रहा था कि हृदय के अन्दर हिन्दी का प्रेम न होते हुये राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर, जो कि अपने भाषण में, एक साल की नीति को अपना कर लक्ष्य प्रस्तुत किये जाते हैं, उनको बतला रहे थे, उस समय अपने प्रदेश की जनता को और अन्य प्रदेशों की जनता के सामने, विदेशों के सामने यह दिखाना कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा का ऐसा स्तर है कि वे राज्यपाल महोदय के भाषण को सुनना भी पसन्द नहीं करते और उस विवाद को लेकर इस तरह से किया जाय तो यह कोई उचित नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि केशरीप्रसाद पांडेय जी ने यहां की वैधानिकता की बात कही कि यहां की वैधानिकता को देखकर उनको आश्चर्य होता है। कल यहां पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उसके ऊपर धन्यवाद का प्रस्ताव आया भी नहीं कि पहले ही संशोधन छप गये। मान्यवर, जो कुछ मुझे अनुभव है मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि हमेशा ऐसी परम्परा रही है और ऐसा होता आया है कि जब तक हम सम्मानित सदन के अन्दर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक संशोधन जान्ते से नहीं समझे जाते चाहे वे एजेन्डे में छपे या नहीं। उनके छपने से कोई जान्ते की बात नहीं हो जाती जब तक कि वह किसी सम्मानित सदस्य के द्वारा यहां पर वैधानिक रूप से कही न जाय। इसमें छपने से केवल यह आशय है कि वह माननीय सदस्यों को सुविधा का द्योतक है और नोटिस मात्र है जिस पर ऐसी भयंकर शंका नहीं होनी चाहिए थी।

हमारे मित्र राधेश्याम जी ने एक आपत्ति इस पर प्रस्तुत की और कहा कि हम धन्यवाद जरूर देते, लेकिन जो शक्तिशाली पी० ए० सी० सीमा पर लगाई गई वह समय आने पर भाग खड़ी हुई और जब आगे समय आयेगा तो फिर वह भाग खड़ी होगी। क्या इस तरह की बात कहने से लोगों के अन्दर उत्साह की भावना जागृत होगी और लोगों के उत्साह को ऊपर उठाया जायगा? मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रजातन्त्र प्रणाली के अन्दर विरोधी दल का भी दायित्व बहुत बड़ा होता है और उस विरोधी दल के दायित्व को निभाना उनका परम कर्त्तव्य होता है। समाजवादी दल जो कि एक उग्र दल है और जिसके लिये जरा सी बात सहन करना भी कठिन है, उसके लिये दायित्व और भी बढ़ जाता है। फौज की शक्ति राज्य के अन्दर प्रधान शक्ति होती है। वैसे जनता के मनोबल की बात तो सब करते हैं और पिछले दिनों मनोबल की बात एक तकियाकलाम हो गई थी, लेकिन आज मनोबल को प्रतिपादित करना या उसको पालन करने में जरा भी इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है जो उचित नहीं कहा जा सकता। सेना के बल को तोड़ना और सेना के मनोबल को नीचे गिराना जघन्य पाप है और इससे जघन्य पाप दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सेना जो आज काम कर रही है वह अपने घर, परिवार और बच्चों को छोड़ कर शीतलहर में पहाड़ों के ऊपर अपने कर्त्तव्य का पालन कर रही है। पहाड़ों के ऊपर यदि वे अपने प्राणों को निरर्थक जाने से बचा लेते हैं तो यह कौन सी गलत बात है? सदन के अन्दर इस तरह के शब्द उनके लिये प्रयोग करना उत्तर प्रदेश के लिये कोई शान बढ़ाने वाली बात नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश की शान नहीं बढ़ेगी। और यह कहा जाता है कि नहीं, सेना कमजोर है, सेना भाग खड़ी होती है, वह पिछड़ जाती है। यह कह कर सेना का मनोबल ऊंचा नहीं किया जा रहा है। अभी संकटकालीन स्थिति समाप्त नहीं हुई है....

एक सदस्य—

और यह बात गलत भी है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

यह गलत है या सही, यह तो वे ही सोचेंगे। कहा यह गया कि इस अभिभाषण में भुवनेश्वर के प्रस्तावों को ध्यान में रखा नहीं गया और प्रजातांत्रिक समाजवाद का कोई जिक्र नहीं किया गया। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यह संक्षेप में अभिभाषण है। मैं माननीय समाजवादी साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे भुवनेश्वर के कार्यों से, वहां के प्रस्तावों और नीतियों से सहमत हैं? यदि आपको उनसे प्रसन्नता और आनन्द होता है तो आप निर्भीकतापूर्वक इधर आ कर बैठिये। उधर बैठने से आपको कोई लाभ नहीं होगा और अगर उससे आपको द्वेष है तो उसका उदाहरण आपको देना उचित नहीं। भुवनेश्वर एक राजनीतिक पार्टी के सम्मेलन का स्थान था। वहां जो प्रस्ताव पास हुए, जो नीतियां बनीं उन से अनुशासित होकर हमारी सरकार कार्य करती है और ये नीतियां बड़ी विस्तृत हैं। उनको न तो अभिभाषण में प्रकाशित किया जा सकता है और न वे आनी ही चाहिए। उन्होंने तो अपने अभिभाषण में प्रारम्भ में ही कह दिया है कि हमारा उद्देश्य समाजवादी सरकार की स्थापना करना तथा अंतिम उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। मैं समझता हूं कि भुवनेश्वर की नीति का इतना प्रबल प्रभाव पड़ा है माननीय सदस्यों पर कि उनके मस्तिष्क का संतुलन हो नहीं पा रहा है। इस प्रकार आलोचना करते समय किसी बात को निरर्थक कह देना उचित नहीं है।

माननीय नेता विरोधी दल ने अपने प्रस्ताव में उन पिटी पिटाई बातों को रखा है जिनको पढ़ते हुए आदमी को असमंजस होता है। उसमें कहा गया है कि स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले भूमि तथा भवन कर को वापस नहीं किया गया है तथा बढ़ती हुई महंगाई से अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के रक्षार्थ एक स्थायी वेतन बोर्ड का निर्माण करने, न्यूनतम वेतन १२५ रुपये प्रतिमास निर्धारित करने, अन्तरिम भत्ते की व्यवस्था करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह मान्यवर, वे बातें हैं जिन पर विवाद में सदन का कुछ ही दिन हुए काफी समय लिया जा चुका है और उन पर बहुमत से निर्णय हो चुका है। भूमि तथा भवन कर विधेयक यहां पास किया गया था इसलिये उसे वापस लेने की कोई बात पैदा नहीं होती। गैर जिम्मेदारी से चाहे कोई भी बात कह दे, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में ऐसी अनुत्तरदायित्वपूर्ण बातों को कतई नहीं कह सकते।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कोई नीति वक्तव्य नहीं है। मुझे आशा थी कि भुवनेश्वर कांग्रेस के बाद जो लक्ष्य वहां घोषित किये गये हैं उनका संकेत इस अभिभाषण में मिलेगा। कथनी और करनी में कुछ मेल इस भाषण में मुझे दिखायी नहीं पड़ा। भुवनेश्वर-भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिये थी इस अभिभाषण में। देश के सब से बड़े प्रदेश में उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये कुछ कदम उठाये जायंगे उस दिशा में, इसकी झलक इस राज्यपाल के भाषण में देखने को नहीं मिलती। इसमें केवल पुरानी परिपाटी का पालन किया गया है और इससे कभी-कभी ऐसा लगता है कि राज्यपाल का पद बिलकुल निरर्थक है और इसलिये देश के संविधान और यहां के राजनीतिक जीवन से इसे समाप्त कर देना चाहिये और करोड़ों रुपये की बचत करनी चाहिये। १२ साल से राज्यपाल के भाषण सुनने का अवसर मुझे मिला है। लोक-कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य था, समाजवादी प्रकार के समाज का लक्ष्य था, समाजवादी समाज के राज्य का लक्ष्य था और अब समाजवादी राज्य की स्थापना का लक्ष्य है, लेकिन असल वही है जो १२ वर्ष पहले था। मान्यवर, राज्यपाल ने बहुत बातों का जिक्र किया है। एक जगह समाजवादी राज्य की स्थापना की बात भी कही है। मेरा अपना खयाल है कि सरकार की पूरी कार्यवाहियों को देखते हुए और इस भाषण में जो संकेत है उसको ध्यान में रख करके समाजवाद की प्रगति तो है नहीं, साधारण प्रगति की ओर भी कोई प्रगतिशील कदम नहीं दिखाई पड़ रहा है। समाजवाद

के लक्ष्य का मलतब क्या है ? उत्पादन के साधनों का समाजीकरण। उत्पादन के मुख्य साधन किन्हीं हाथों में होने के कारण समाज और समाज के बहुजन का शोषण होता है, उसकी समाप्ति तीव्र गति से हो, उस ओर कोई संकेत कतई नहीं है। हम कैसे मानें कि भुवनेश्वर कांग्रेस के बाद यह भाषण किसी समाजवादी दिशा की ओर संकेत करता है ?

मान्यवर, सुरक्षा की चर्चा भी की गयी है। वह विषय एक गोपनीय सा है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे प्रदेश के सीमान्तांचल में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, अपनी जानकारी से कह देना चाहता हूं---उचित भी है---कि वह बहुत ही कम है और बहुत ही असंतोषजनक है और उसकी गति बहुत धीमी है। यह इमरजेंसी की चाल कतई नहीं है।

मान्यवर, गत-वर्षों का पूरा इतिहास असफलताओं का इतिहास है। सफलताएं और असफलताएं तीन कसौटी पर कसी जा सकती हैं कि कृषि उत्पादन में क्या विकास हुआ है, उद्योग विकास कितना हुआ है और जन-जीवन की बेहतरी में क्या हुआ है ? ये हैं तीन कसौटियां। कृषि में जो विकास हुआ है वह तो राज्यपाल महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि तीसरी योजना के दो वर्ष में कृषि की उपज घट गयी। यह १२ वर्ष के विकास का फल है जबकि पिछले कई वर्षों दावा किया गया था कि कृषि में हम आत्म-निर्भर हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि में विकास हो नहीं सकता है जब तक क्रान्तिकारी भूमि-सुधार के कदम उठाये नहीं जायंगे। चकबन्दी का कानून सफल सिद्ध नहीं हुआ है। चरणसिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने दावा किया था कि ५ वर्ष में सारे प्रदेश में चकबन्दी पूरी कर दी जायगी, लेकिन १० वर्ष लगभग हो रहे हैं, वह कब पूरा होगा काम, इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई पड़ता है।

मान्यवर, हदबन्दी कानून बनाया गया है जो कि कम्पलीट फ्राड और पूरा धोखा है। १५ लाख एकड़ जमीन निकलने की आशा की जाती थी, चन्द्रभानु जी गुप्त ने कहा था। उसके बाद डेढ़ लाख एकड़ की बात आयी फिर पता नहीं कितने एकड़ मिलेगी---एक बीघा, एक बित्ता, एक मिलीमीटर भूमि भी मिलेगी या नहीं यह भी पता नहीं। सरकार आंकड़े इकट्ठा नहीं कर सकी कि हदबन्दी कानून से क्या हमको मिलेगा। जब तक क्रांतिकारी भूमि-सुधार नहीं होंगे, लैंड टु दि टिलर, खेत जोतने वालों को यदि भूमि नहीं दी जायगी जो धरती की छाती फाड़ कर अनाज पैदा करते हैं तब तक कृषि उत्पादन में बढ़ती नहीं हो सकती यह राष्ट्रीय आन्दोलन का किसान-युद्ध घोष था। इस बात को नोट कर लेना चाहिये कि इस धोखाधड़ी और वाग्जाल से काम नहीं चलने वाला है। जब तक उग्र भूमि सुधार कृषि-उत्पादन नहीं होंगे तो पक्के माल के लिए कच्चा माल कहां से मिलेगा ?

१२ साल से सुनता आ रहा हूं, राज्यपालों के भाषण में और वित्तमंत्रियों के भाषण में ले देकर वही रोना गाना। दो उद्योग हमारे प्रदेश में हैं केवल, एक चुर्क सीमेंट फैक्टरी और एक अनुवीक्षणिक यंत्रशाला यहां लखनऊ में कायम है। इतने वर्षों में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की। पता नहीं अगर प्रगति की यही रफ्तार रही तो यह प्रदेश कहां जायेगा ? इस तरह से यह रेडिकल बुर्जुआ रिफार्म्स की ओर भी नहीं जायेगा।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आन्तरिक शान्ति के लिये बड़ा संतोष व्यक्त किया। कुछ महीने पूर्व एक कामरोको प्रस्ताव पर जब यहां पुलिस पर बहस हुई थी तो यह बताया गया था कि किस प्रकार से राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं का जीवन असुरक्षित है, कितने कत्ल, चोरियां और डकैतियां बढ़ रही हैं। किस तरह डकैतियों को चोरियों में लिखा जाता है और चोरियां दर्ज नहीं होती हैं क्या वे सब शान्ति के ही लक्षण हैं।

जन जीवन की ओर ध्यान दें, महंगाई की तरफ देखिये। आज महंगायी इतनी बढ़ती जा रही है कि वह सुरक्षा का मुंह हो गयी है। आप इस महंगायी को रोकिये, वरना वह सरकार खा जायेगी, इस राज्य को खा जायेगी। महंगायी माननीय जगमोहन सिंह जी के टालू मिक्सचर बयान से कम होने वाली नहीं है। आप इसको रोकिये वरना मजदूरों और कम तनख्वाह नौकरी पेशा वालों का महंगायी भत्ता २५ फीसदी बढ़ाइये, इसके अलावा और कोई

[श्री झारखण्डेराय]

तीसरा विकल्प नहीं है। आप नौकरीपेशा लोगों और मजदूरों का २५ फीसदी महंगायी भत्ता बढ़ाइये, आप इस महंगायी को रोकने में असमर्थ हैं। आपके कर्मों का फल आज यह है कि मंहगायी जितनी आप रोकते हैं उतनी बढ़ती जा रही है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने इस बात की बड़ी तारीफ की कि औद्योगिक शान्ति रही है और उसके लिये उन्होंने मजदूरों को धन्यवाद दिया है। लेकिन उन मुनाफा खोरों और मौत के सौदागरों ने जो इस संकट काल में अपना घर भरा है उनके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके बारे में जिक्र तक नहीं है। वित्त मंत्री जी ने अभी अपने पिछले भाषणों में कहा था कि यह कर चोर हैं। उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया टैक्स का नहीं दिया और उसके बाद भी वे देशभक्ति का गान गाते हैं। किसी पार्टी को चन्दा दे देने से, कोई मन्दिर आदि बनवा देने से ही उनको अपने पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। आज जो कन्सेन्ट्रेशन आफ वेल्थ बढ़ रहा है उस पर आपको गम्भीरता के साथ विचार करना होगा। आज गरीब की गरीबी बढ़ रही है, उधर कुछ आदमियों के हाथों में दौलत बढ़ रही है। आप आज आधे दर्जन आदमियों के हाथों में १४ अरब की पूंजी है। यह तो जाहिरा में है, चोरी से कितनी है, इसको भगवान् जानें, अगर वह है तो। तो ६ आदमियों के हाथों में १४ अरब की पूंजी बड़ी लज्जा की बात है। आप देश में समाजवाद नहीं बल्कि पूंजीवाद स्थापित कर रहे हैं। इस पर सदन को ध्यान देना है और विचार करना है।

श्रीमन्, प्रदेश के पूर्वी अंचल में आज क्या हो रहा है। समाजवाद की बड़ी बातें कही जाती हैं। आज भी सरकार का साहस नहीं है कि वह इन निकम्मी चीनी मिलों का ही राष्ट्रीयकरण कर दे। पूर्वी जिलों में, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। कितने दिनों से इन जिलों में मांग है कि उनके यहां चीनी मिलें खोली जायं ताकि जो सिंचाई के साधन वहां प्रस्तुत किये गये हैं और उनकी वजह से ईख की खेती बढ़ी है, उसकी खपत हो सके और उनको अपनी उपज के अच्छे दाम मिल सकें।

मान्यवर, अब आती है सहकारी खेती। केवल कागज पर काम है। मैं सरकार के हाथ जोड़ता हूं कि वह खेती के नाम पर इस सहकारी खेती का प्रपंचपूर्ण नाम न ले वरना वह हिन्दुस्तान के प्रतिक्रियावादियों को सहकारी खेती की आलोचना करने का मौका देती है। उसके बारे में मैं केवल एक मिसाल देना चाहता हूं।

देवरिया जिले में एक सहकारी कृषि समिति बनी है। उसका नाम है डेहरी सहकारी कृषि समिति। उसमें ९६ बीघा खेत है, वह ११६ टुकड़ों में बटे हुए हैं। पिछले पांच सालों से वहां के लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार से और जिलाधीश से कि उन अलग-अलग खेतों की चकबन्दी कर दी जायं, जिले में जब चकबन्दी हो, होती रहे परन्तु यहां जरूर हो जाय ताकि सहूलियत से खेती हो सके। लेकिन वह नहीं हो पा रहा है। क्या इस प्रकार से सहकारी खेती हो सकती है? आपका जो तरीका है उससे तो केवल बदनाम ही किया जायगा। इस लिये बदनाम करने वालों को मौका न दीजिये।

अभिभाषण में नये करों की ओर भी संकेत किया गया है। मैं इस माननीय सदन और सरकार से कहता हूं कि अगर वह नये कर लगायेंगे बिना पूरी बकाया वसूल किये मौत के सौदागरों से, बिजली कम्पनियों, चीनी मिलों और सूती मिलों को बिना राष्ट्रीयकरण किये, सरकार जो बेकार खर्चा करती है बिना उसको समाप्त किये, तो सरकार चाहे किसी भी प्रकार से टैक्स लायेगी, जनता उसको वहन करने में असमर्थ होगी, उनको बरदाश्त न कर पायेगी और हम उस प्रकार के टैक्स लगाने का प्रबल विरोध करेंगे।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सिलसिले में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। जो कुछ भी योजनायें हों जो भी उनके संबंध में कहा गया हो या न कहा गया हो, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की इस समय जो स्थिति है वह उस प्रकार की है कि किसी घर में आग लगी हो, उसमें नयी योजनायें और भरी जा रही हों। उस आग में नयी नयी योजनायें भस्म करने से तो यह अच्छा है कि उनको वापस ही ले लिया जाय। आज जो स्थिति है और जिस प्रकार का शासन चल रहा है, उसमें जिस किसी के पास जो शक्ति है उससे अधिक शक्ति घूस में है। एक गांव के साधारण कार्यकर्त्ता से लेकर राजधानी के बड़े से बड़े कार्यकर्त्ता तक कोई भी काम बिना उसके नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर भी किसी कार्य को उतनी शीघ्रता से नहीं करा सकता है जितनी शीघ्रता से घूस से हो जाता है। कितनी भी अच्छी योजनायें हों, चाहे समाजवाद हो रहा हो या पूंजीवाद लागू किया जा रहा हो, जो भी घूस के गंदे नाले में गिरेगा वही बरबाद हो जायगा। इसलिये सरकार का सारा ध्यान इस ओर केन्द्रित होना चाहिये कि शासन को कैसे शुद्ध किया जायगा। केवल शासन को शुद्ध करने के लिये अगर आज सारे प्रोग्राम्स बन्द कर दिये जायं, तो भी जनता को या और लोगों को कोई दुख न होगा। आपकी कोई भी स्कीम जो यहां से बन ठन कर, साफ सुथरी बन कर निकलती है, किस तरफ से वहां जाकर गन्दी हो जाती है, वाकई में जब उसका कार्यान्वयन होना होता है तो कितने गन्दे रूप में वह वहां पहुंचती है इसको आप देखें तो वहां जाने पर ही मालूम होगा कि वास्तविकता क्या है।

आज यहां से जो छोटी-मोटी योजनाओं के लिये लाखों रुपये ब्लाकों में भेजे जाते हैं, आप जानते हैं उनका क्या होता है? ब्लाक्स तो पम्पिंग सेट्स के लिये रुपये लेते हैं और उनसे कानपुर और लखनऊ में रिक्शे खरीद कर चलाये जाते हैं। इस तरह से पम्पिंग सेट्स खरीदने के लिये जो डेवलपमेंट के लिये चीजें वहां भेजी जाती हैं, उनका इस्तेमाल उन कामों के लिये नहीं होता है। हजारों-लाखों कुओं की बात है कि वे खोदे गये, बनवाये गये व सुधारे गये। उनके नाम से पैसे भी निकले और पैसा लेने वाले ने कुछ ले लिया, पैसा देने वाले ने कुछ ले लिया, दिलाने वाले ने कुछ ले लिया और कुछ उस आदमी ने ले लिया जिसने मंजूर कराया था। होते-होते सिवा इसके कि जितनी रकम मंजूर थी उसका कुछ हिस्सा उस आदमी को भी मिल गया जिसके नाम से कुआं मंजूर था। जहां तक कुयें का सवाल है वहां कुछ नहीं हुआ। यह स्थिति है वहां की।

पुलिस और न्याय विभाग के बारे में घूस की कोई विशेष बात मैं नहीं कहना चाहता हूं बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि पुलिस और न्याय विभाग वाले एक तरह से धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिये कि इनसे भी बहुत ज्यादा घूस लेने वाला एक विभाग और निकल आया है और उसके मुकाबले में ये बौने से हैं। लिहाजा पुलिस और न्याय विभाग का घूस तो ऐसा है जो व्यक्तिगत आदमी से सम्बन्ध रखता है। अगर पुलिस एक पार्टी की सहायता करती है तो उससे घूस ले लेती है जिससे दूसरी पार्टी या दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाता है या दूसरी पार्टी की सहायता करना चाहती है तो उससे घूस ले लेती है जिससे पहली पार्टी या किसी खास आदमी का नुकसान हो जाता है।

आप जरा सोचें कि हमारा जो पी० डब्ल्यू० डी० है, इस विभाग के अन्दर आप देखें कि बहुत ज्यादा घूस है। हम लोग जितने यहां सदस्य हैं, अपने मकान बनवाते हैं या छोटे छोटे निर्माण के कार्य करते हैं तो उसके लिये कोई इंजीनियर या एक्सपर्ट नहीं रखते और न कोई नक्शा ही बनवाते हैं। इससे यह होता है कि हमारा मकान कुछ टेढ़ा-मेढ़ा भले ही हो जाय मगर उसकी छत कहीं से चूती नहीं है क्योंकि हम बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के भी १ और ३ के प्रपोर्शन में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपत मिश्र]

सीमेंट और बालू लगाते हैं जिससे न तो दीवार गिरती है और न छत ही चूती है। लेकिन इस विभाग में इतने सारे एक्सपर्ट्स के रहते हुए भी और डिजाइन आदि तैयार करने के बाद भी कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं स्कूल गिर रहे हैं, कहीं छतें गिर रही हैं। इसका कारण केवल यही है कि इस विभाग द्वारा जो निर्माण कार्य हो रहा है वहां के इनके रेट बिलकुल बंधे हुए हैं, जो भी ठेकेदार होता है वह एक बंधी हुई रकम चुपचाप दे देता है। अगर गलती से किसी नये आदमी ने ठेकेदारी शुरू कर दी बिना इस बात में विश्वास किये हुए कि लेने देने की बात आवश्यक है, आप विश्वास रखें कि वह एक ही ठेके में खत्म हो जायगा और उसकी सारी पूंजी डूब जायगी। यही तो पी० डब्ल्यू० डी० का कारोबार है।

जहां तक प्लानिंग की बात है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर प्लानिंग के अनुसार कार्य हुआ होता तो आज हमारे प्रदेश का नक्शा ही बिलकुल बदला होता, लेकिन आप देखें कि एक और गिरोह निकल आया है इस प्लानिंग का लाभ लेने के लिये और उस गिरोह के खिलाफ हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी नहीं बोल सकता है। उसके खिलाफ बोलने में लोग घबड़ाते हैं और उससे डरते हैं। हर गांव में दो चार चतुर और होशियार कहे जाने वाले लोग हो गये हैं जो वोटर्स को भी कंट्रोल करते हैं, आफिसरों को भी कंट्रोल करते हैं और वे वहां के साधारण कार्यकर्त्ताओं में जो तेज और चले चलाये लोग होते हैं वे ही हैं जो प्लानिंग से आर्थिक लाभ उठाते हैं। वही प्रमुख बनते हैं, वही एम० एल० ए० बनते हैं, वही सभासद् बनते हैं और वही अफसर बनते हैं। हर गांव में ऐसे दस दस, बीस बीस लोगों का गोल है, आम जनता तो खाने पीने के प्रबन्ध में ही मर जाती है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है बाकी इसी गोल के लोगों को अनुदान मिलते हैं। अगर आप हर ब्लाक पर देखें तो मालूम होगा कि जहां सौ-डेढ़ सौ गांव सभायें हैं उन सब में मुश्किल से ४०-५० आदमी ऐसे होंगे जो हर तरह के अनुदान की मांग करने में आगे होंगे, वही हर प्रकार के अनुदान लिये रहेंगे, वही खेती और सिंचाई के लिये भी लेंगे, वहीं जुलाहे के काम के लिये भी ले लेंगे, चमड़े के काम के लिये भी वहीं ले लेंगे। एक ही गोल के यह लोग हैं हर चीज का अनुदान वह लेते हैं क्योंकि उनका एक सिलसिला लगा हुआ है।

अब जहां तक सप्लाई और सहकारिता की बात है उसके संबंध में भी कुछ कह दूं। मैं आप को चीनी के कोटे के बारे में जरा बता दूं। चीनी का एक बोरा बेचने पर २० आने का मुनाफा सरकार के हिसाब से एक व्यापारी को होता है। बीस आना या डेढ़ रुपया ज्यादा से ज्यादा एक व्यापारी का मुनाफा और बीस आने का उस चीनी का खाली बोरा बच जाता है। इस तरह से एक बोरे पर उस को ढाई रुपए का मुनाफा होता है। देहातों में ज्यादातर एक व्यापारी को ५ बोरे का कोटा दिया जाता है, किसी को ६ बोरा किसी को ५ बोरा दिया जाता है तो फी बोरा अगर मुनाफा ३ रुपए भी मान लें तो ५ बोरों पर उसको जायज मुनाफा १५ रुपया होता है। इस कोटे को लेने और नक्शा देने के लिये वह ३ बार सदर आता जाता है और इस तरह से वह अपने १५ रुपया तो किराये में ही खर्च कर देता है। तो १५ रुपया मुनाफा और १५ रुपए का ही खर्च। तो क्या आप समझते हैं कि वह यह सब दौड़ धूप और नक्शा दरखावास्त क्या जन सेवा के लिये करता है या वह अपने किसी लाभ के लिये यह व्यापार करता है? आज आप देखें तो प्रमुख, एम० एल० ए०, एम० पी० के घर वाले भी कोटेदार हैं और क्या वह इसलिये हैं कि १५ का मुनाफा होगा और १५ रुपया खर्च होगा? इस तरह से ब्लैक नहीं होगा तो क्या होगा? जब आप ने इस तरह का सिलसिला बनाया है, इतना कोटा किया है और इस तरह का कंट्रोल किया है तो फिर धांधली वह करते हैं, ब्लैक करते हैं। यही हालत सीमेंट की है, सारा ब्लैक का सीमेंट गवर्नमेंट के ठेकेदारों से मिलता है जो सीमेंट बचाकर चोरबाजारी में बेचते हैं। उनसे एक दो बोरा नहीं मिलता पूरा ट्रक लोड आप को मिल जायगा। आप हमला कर दें आप को पता हो जायगा। वह ट्रक पर लादकर माल को

एक दो फर्लांग निकाल देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम जानो। यह हालत है, मेरा कहना है कि आप चाहे समाजवादी समाज बनायें या पूंजीवादी समाज बनायें, लेकिन जब तक आप मेहरबानी करके इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे और इस तरह की घूसखोरी और अनुदानों की लूट को बन्द नहीं करेंगे तब तक आप की सारी योजनाएं अधूरी ही रह जायेंगी। और कोई किसी तरह की सफलता नहीं मिल सकेगी। आप की प्राइमरी ड्यूटी और सबसे पहला काम इस वक्त यही होना चाहिये कि किसी तरह भी यह प्रचलित खराबियां और घूस बन्द हो, चाहे ऐसा करने में कुछ दिनों के लिये हमारी सारी योजनायें या प्रोग्राम स्थगित हो जायं तो कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के बोलने के बाद मैं माननीय सुशीला जी से निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत ही सुन्दर और खूबसूरत बात होगी कि वह इस तरफ आकर अपोजीशन की बेंचेज को सम्भालें चूंकि उधर जो सुचेता जी मुख्य मंत्री हैं इसलिये वह इधर आकर आपोजीशन की लीडर बनें। आज इस चीज की जरूरत है और मांग है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में डाकुओं की समस्या में सुधार की बात कही, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि बुन्देलखंड में वह बिना बताये जायं तो उनको ही डाकू उठाकर ले जायेंगे। हो सकता है कि चम्बल में डाकुओं की समस्या हल होने का उन्हें ज्यादा अनुभव हो, लेकिन बुन्देलखंड में जो हालत है वह मैंने आपसे कही। मिसाल के तौर पर बताऊं कि १७ जनवरी को कानपुर और झांसी रोड जो चालू है करीब ७ बजे डाकुओं ने एक बस को लट लिया, एक आदमी को मार दिया, थाने में लोग पहुंचे तो थानेदार ने उन्हें डांटा कि तुमने उनका मुकाबला क्यों नहीं किया। उस बस के अन्दर ३, ४ सिपाही बैठे थे जिन्होंने अपने ओवर कोट उनको देकर अपनी जान बचायी। अमरीक लाल ठेकेदार को एक स्टेशन से डाकू उठा कर ले गये और ४०,००० रु० देकर उनको छुड़ाया गया। डाक बंगले से एक ओवरसियर को उठाकर ले गये, साढ़े १२ हजार नगद देकर उस ओवरसीयर को छुड़ाया गया। अब अगर इस तरह से राज कर्मचारी लूटे जायंगे तो आप सोच सकते हैं कि कैसे राज्य का काम चल सकता है। सफा गांव में एक आदमी ने ५ हत्यायें दो महीने में कर दीं, पुलिस गार्ड मौजूद है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। जब यह हालत है और आप यह अनुभव करते हैं कि डाकू समस्या हल हो गयी तो इस देश का दुर्भाग्य है।

माननीय राज्यपाल ने कंट्रोल की दूकानों का जिक्र किया। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी के पास मोटर परमिट, ठेला परमिट, शुगर परमिट है तो वह कांग्रेसियों के रिश्तेदारों के नाम ही है। मैंने अभी देहातों का दौरा किया और उसके बाद कलेक्टर को लिखा कि ६ महीने से देहातों के अन्दर चीनी नहीं गयी। कारण मालूम हुआ कि उन देहातों के परमिट ज्यादातर शहर के लोगों को जो कांग्रेसी हैं दिये गये हैं, इसलिये तहसीलदार के सामने दिक्कत थी, वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर कुछ करे तो कल को उसका तबादला। जिन कांग्रेसियों को परमिट दिये जा रहे हैं उनमें से अधिकांश खुल कर ब्लैक करते हैं।

माननीय राज्यपाल ने पुलिस व्यवस्था के बारे में संतोष व्यक्त किया। पर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी ईमानदार है तो इस जमाने में आप ईमानदार उसको नहीं रहने देंगे। अगर बेईमान है तो उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि मुलजिम पकड़ने के साथ आप कोतवाली उसको छुड़ाने जाते हैं। मैं एक सबत रख रहा हूं अभी थोड़े दिन पहले झांसी के ५ मुकदमे गबन के वापस अदालत से लिये गये और माननीय अली जहीर साहब ने इसको स्वीकार भी किया कि कुल ५ मुकदमें वापस लिये गये उनमें एक गर सरकारी व ४ सरकारी कर्मचारी थे, शेष ५ कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, एक मंडल कांग्रेस कमेटी के थे, दूसरे विधान सभा के सदस्य थे जिन पर विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये। इसमें गबन, जालसाजी और कागजों में फर्जी इन्दराज करना, इस तरह के मुकदमे वापस लिये

[श्री लखपतराम शर्मा]

गये। मैं अदालत जजी की बात बता रहा हूं। उनके आर्डर हैं २६-११-६३ के कि: "वकील सरकार से पूछने पर उन्होंने बताया कि मुकदमें में काफी सबूत है। मुल्जिमान को सजा हो सकती है" लेकिन सरकार जनहित में वापस लेना चाहती है। आपके वकील डी० जी० सी० जिम्मेदार, व्यक्ति हैं। मुल्जिमान को सजा मिल सकती है लेकिन सरकार जनहित में मुकदमा वापस लेना चाहती है। ए० डी० एम० द्वारा जबकि मुकदमा सेशन अदालत में कमिट हो चुका है। इस पर प्राइमाफेसी केस बन चुका है ऐसी हालत में मुकदमा वापस लेने का सवाल नहीं उठाना चाहिये, लेकिन बिना किसी कारण के गलत ढंग से मुकदमा वापस लिया जा रहा है। इस का कारण दिया गया कि वह एडवोकेट जनरल ने सलाह दी है कि वापसी पर वह बहस करेंगे। वह यह सिद्ध करेंगे कि मुकदमा जनहित में वापस लिया जा रहा है। एडवोकेट जनरल ने बहस की थी कि चूंकि गबन के बाद रुपया जो गबन किया गया था उसे जमा कर दिया गया है इसलिये उनको माफ कर दिया जाय। अभियुक्त की बदनीयत नहीं थी। आपका पूरा रुपया जो था उसको जमा कर दिया गया। इसलिये इसमें कोई बदनीयत नहीं थी। इसके बाद भी आपको शर्म नहीं हुई। उस जज का ट्रांसफर हुआ। उसके बाद वहां दूसरे जज पहुंचे। तो मुल्जिमान ने दरख्वास्त दी आपके यहां से एडवोकेट जनरल की बहस के बाद मुकदमें में लखनऊ के डी०जी० सी० को भेजा गया। इसलिये भेजा गया चूंकि जनहित में था। वकील सरकार भी ऐसा कोई कारण नहीं बता सके कि जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मुकदमें की वापसी जनहित में की जा रही हैं। यह मुकदमें प्रशासकीय कारणों से ही वापस लिए जा रहे हैं। जज द्वारा प्रार्थना-पत्र वापसी का अस्वीकृत कर दिया गया था।

आपकी सरकार इतनी न्याय पसन्द है कि झांसी के अन्दर एक मैजिस्ट्रेट का एक केस चला। वह मौके पर पकड़ा गया, चार्ज शीट दी गई। सस्पेंड हुआ और उसका मुकदमा ए० डी० एम० कोर्ट से वापस लिया इस सरकार ने। जब यह हालत है तो आप सोचिये कि किस हद तक इंसाफ र गा हमारे प्रदेश में और देश में। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया राज्यपाल के अभिभाषण में जिस बात की चर्चा है कि उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

१० मिनट हो चुके हैं। २ मिनट और हैं।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं आपका ध्यान मंहगाई के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। कल लखनऊ में सरकारी कर्मचारियों का १ १/२ मील लम्बा जलूस सरकार से इस बात की मांग कर रहा था कि मौजूदा हालात में जो मंहगाई भत्ता उन्हें दिया जा रहा है उसे बढ़ा दिया जाय। यह हो सकता है कि राज्यपाल महोदय को मंहगाई भत्ते का पता न चले और वह उसकी जरूरत महसूस न करें लेकिन आप शहर और देहात में जाइये। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी शासन में आपको सुनने को मिलेगा कि हमारे बुजुर्ग जो मर गये वे ज्यादा सुखी थे। आज हालत यह है कि एक पिता अपने बच्चे को मरते हुये देख सकता है, लेकिन मंहगाई के कारण अस्पताल जा कर इंजेक्शन नहीं ले सकता।

यहां लखनऊ में आप मिठाई की दूकान पर जाइये। आप देखेंगे कि मिठाई खाकर ज्योंही कोई पत्ता फेंकता है कुत्ता और ईसान दोनों उस पत्ते पर झपटते हैं और उस झूठन पर जुट जाते हैं। यही कोशिश होती है कि कौन पहले जिन्दा रह सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

*श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में माननीय सुशीला रोहतगी जी का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में जो सुन्दर चित्र इस प्रदेश का चित्रित किया है उसके लिये वह प्रसंशा के पात्र हैं। इस में कोई शक नहीं कि गत वर्ष के अन्दर जो स्थिति प्रदेश के बार्डर पर पैदा हो गयी और प्रदेश ने जिस दृढ़ता के साथ उसका सामना किया है वह स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी। पी० ए०सी० फौज, पुलिस का प्रबंध करके जो शान्ति स्थापित की गयी है, वह एक बड़ी सफलता है।

उद्योगों के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई ई वह भी स्पष्ट है। बहुत सी योजनायें सरकार ने चलाईं और सब सफल हुईं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस सम्बोधन में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार, सहकारिता की असफलता व दूसरे विभागों की असफलतायें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कुछ प्रयास के बाद भी आज भी भोजन के प्रश्न पर आत्मनिर्भर नहीं हो सके। समझ में नहीं आता है कि क्या कमी है। इसमें शक नहीं कि पूरी तरह से प्रयास होता है, हमारी मशीनरी पूरी ताकत से जोर लगाती है किसानों का सहयोग प्राप्त होता है, साधन उपलब्ध किये जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते ? मैं यह सुझाव दूंगा कि ज्यादा अच्छा हो कि उत्पादन सम्बन्धी जो विभाग हैं उनका समन्वय कर दिया जाय और उनके मातहत एक योजना चले ताकि हम अधिक अन्न उत्पादन योजना को सफल बना सकें।

दूसरा निवेदन यह है कि सहकारिता की बात बड़े जोर से कही गयी है। उस के प्रसार पर बड़ा बल दिया गया है। जहां तक सहकारिता आन्दोलन का प्रश्न है गांव गांव, गली गली उसका प्रचार किया गया, लेकिन उसका वास्तविक रूप यह है कि रुपया तो हमने देहात में पहुंचा दिया, लेकिन हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सके। हमने धन इसलिये दिया था कि अधिक अन्न तथा अधिक पशु उत्पन्न हो सके और दूसरे उत्पादन के कार्य हो सकें, लेकिन हुआ क्या ? इन सोसाइटियों को जो रुपया बांटा जाता है वह ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाता है जिनका उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है। सोसायटी में रुपया मांगा गया। १०,१२ हजार की रकम बैंक में पहुंचा दी गयी। झट से सुपरवाइजर, एकाउन्टेन्ट सी० ओ० की तसदीक हुई और रुपया बंटने का सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन यह किसी एजेन्सी ने वेरीफाइ नहीं किया कि वह रुपया जिस काम के लिये दिया गया उसी काम में लगाया और कामों में लगा।

दूसरी कमी यह है कि आज सुपरवाइजर एक ऐसा तत्व वहां पर बन गया है कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है।

श्री भीखालाल (ज़िला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही है और सरकार की तरफ से इतनी गैर जिम्मेदारी दिखायी पड़ रही है कि कोई मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी यहां पर मौजूद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मिनिस्टर साहब पीछे बैठे हुये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं यह कह रहा था कि सुपरवाइजर वहां पर किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। ब्लाक में वह पी० डी० ओ० के मातहत हैं, डिस्ट्रिक्ट लेविल पर वह असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के मातहत हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

और प्राविन्शल लेविल पर एक कमेटी बनी हुई है, उसके मातहत है। यह एक ज्वलन्त सत्य है कि जितने भ्रष्टाचार के केसेज वहां होते हैं उनकी तह में सुपरवाइजर होता है। अगर आप देखें तो उसकी आमदनी किसी बड़े अधिकारी से कम नहीं है। लेकिन उसे कौन पनिश कर सकता है? उसको असिसटेंट रजिस्ट्रार भी ससपेंड नहीं कर सकता। उसको एक कमेटी डील करती है। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोई आरोप लगाया गया, मामला कमेटी के सामने गया और अन्त में वह बहाल हो जाता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जहां हम कोआपरेशन पर इतना बल दे रहे हैं वहां इस बात को भी देखें कि उसका नियंत्रण ठीक ठीक हो। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यह कानून बनने जा रहा है उसमें सुपरवाइजर की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। और जो यह नारा लगाया जाता है कि सहकारिता आन्दोलन से सरकारी कर्मचारियों का नियंत्रण हट जाय। अगर यह नीति अपनायी गयी तो जो कुछ सहकारिता से थोड़ा बहुत फायदा होता है वह भी समाप्त हो जायगा।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जैसा अभी झांसी के एक सदस्य ने कहा, आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न वास्तव में बड़ा गम्भीर हो गया है। आप इसे हंसी में लें, यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज ग्रामों और शहरों की आन्तरिक सुरक्षा उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी होनी चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रान्त की मशीनरी को टाइट करें और आन्तरिक सुरक्षा के बारे में जब तक प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मस्तिष्क में यह विश्वास नहीं कराते हैं कि तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन सुरक्षित है तब तक शासन प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता है। तो जो एक ढिलाई आ गयी है प्रशासन में उसको थोड़ा कड़ा करने की जरूरत है।

महामहिम राज्यपाल ने भ्रष्टाचार का एक उपाय बताया है और एक विजिलेन्स कमेटी की स्थापना की बात कही है। उस कमेटी की कुछ रूपरेखा अखबारों में भी आ चुकी है। लेकिन इस तरह की कमेटियां तो हम बहुत बना चुके हैं। हमने एक ऐंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया और डी० वाई० एस० पीज० को जिले में उसका हेड बनाया, लेकिन उसका क्रियात्मक रूप क्या रहा? उसका क्रियात्मक रूप यह था कि जो शिकायत पहुंचती थी ऐंटी करप्शन के पास वह तीन, चार महीने से पहले फैसल हो कर नहीं आती थी और आमतौर से जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती थी उसको डिफेन्ड किया जाता था। क्या यह बात पुलिस मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर जानते नहीं हैं कि क्या हो रहा है? तो अगर भ्रष्टाचार निवारण करना है तो सरकार को बहुत कड़ाई से कदम उठाना पड़ेगा। उसमें यह नहीं देखना चाहिये कि भ्रष्टाचार करने वाला कितना बड़ा आदमी है या कितना छोटा आदमी है। अ,ब,स,कोई भी हो, हमें कड़ाई के साथ दंड देना होगा बिना व्यक्ति या पार्टी का खयाल किये हुये। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ केसेज आये, उनकी इंक्वायरी हुई और चले, लेकिन आगे जाकर सब समाप्त हो गये। अगर हमारा कमीशन ऐसा काम करता है जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो सके तो निस्संदेह वह प्रशंसा का पात्र होगा, लेकिन यदि इसका भी वही रूप रहा तो इससे क्या फायदा होगा?

घूसखोरी का दूसरा रूप और है। क्या जिलाधीश और न्याय मंत्री जी नहीं जानते हैं कि दीवानी और कलेक्टरी कचहरियों में कितना भ्रष्टाचार है? वहां का कोई क्लर्क बिना रुपया लिये बात नहीं करता है। अगर जिलाधीश, सुपरिन्टेन्डेन्ट और इंजीनियर आदि बड़े-बड़े आफिसर्स कड़े पड़ जायं और इन लोगों को टाइट करने लगें तो मामला सुलझ सकता है। मैं उनकी नेकनीयती में संदेह नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनके हृदय में भावना के होते हुये भी वह इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं। मामला बहुत ढीला हो गया है। रोज इंजीनियरों के किस्से सुनने को मिलते हैं। कानपुर में नहर विभाग से, हमें सूचना मिली है कि कोई आदमी जितना चाहे उतना सीमेंट ले सकता है। वे केवल एक शर्त लगाते हैं कि सीमेंट के बोरों के बदले में पुराने बोरे दे दिये जायं। ५० बोरे पुराने दे दो तो ५०

बोरे सीमेंट के उठा ले जाओ। हम जानते हैं कि जिसको सीमेंट की जरूरत होती है वह कानपुर जाकर ७ रुपये के बजाय १० रुपये में सीमेंट ले आता है। हमारे यहां अछलदा, विधूना आदि सब जगह सीमेंट कानपुर से जाता है। यह ऐसी चीज है जिसके प्रति पता नहीं सरकार क्यों इतनी उदासीन है? आप कड़ाई से काम लें। यदि आप भ्रष्टाचार मिटा सकें तो यह सब प्रगतियों से बढ़कर होगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस रोग को रोकने के लिये बराबर प्रयास किया जाय।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के भाषण में ७२ प्रतिशत किसान जो प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके लिये कुछ नहीं कहा गया है। प्रत्येक वर्ष प्रदेश में बाढ़ आती है और किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय हो जाती है उनकी फसल नष्ट हो जाती है, उनका कारोबार हो जाता है और पैदावार की कमी के कारण वह जीविकोपार्जन तक नहीं कर पाते हैं, न बच्चों का पालन पोषण कर पाते हैं और न लगान ही दे पाते हैं। इस समय फसल के ऊपर तुषारापात हुआ है और अरहर, चना, मटर आदि की फसल नष्ट हो गई है लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में इसका कोई संकेत नहीं किया गया है कि कितनी छूट उनके लगान में की जायगी, कितनी सहायता दी जायगी और क्या उनको गुजर के लिये दिया जायगा। आपको आश्चर्य होगा कि यह सरकार केवल १०–१२ प्रतिशत लोगों का ही पालन पोषण करती है। पूंजीपतियों को घाटा हो जाय तो उनको सबसीडी दी जायगी। इन १६ वर्षों में अगर किसानों के लगान की माफी का प्रश्न उठाया गया तो सरकार ने हमेशा आनाकानी की और कोई कदम नहीं उठाया गया। भारतीय जनसंघ ने मांग की थी कि लगान आधा किया जाय। आज तक किसानों को सुविधा देने के लिये सरकार ने कौन-सा कदम उठाया? किसानों का लगान बढ़ता जा रहा है, उनकी दशा करों के कारण और दैवी आपत्तियों के कारण महान खराब होती जा रही है। इसलिये सरकार का कर्त्तव्य है कि जब इस प्रकार का भीषण तुषारापात हो गया है, चना, मटर, अरहर और सरसों बिलकुल नष्ट हो गयी है, तो राज्यपाल को अपने भाषण में इस बात का संकेत करना चाहिये था कि प्रदेशीय सरकार किसान के लगान को अब माफ करेगी। हमारी यह मांग भी है कि इस संकट काल में किसान का लगान आधा कर दिया जाय और रबी की फसल तक उनका लगान माफ कर दिया जाय। एक तरफ प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार किसान की फसल नष्ट हो गयी है उसी तरह कड़ाई से दूसरी तरफ किसान से लगान वसूल किया जा रहा है। अगर उसके लगान को मुल्तवी किया गया होता तो मैं समझता कि प्रदेश की सरकार जागरूक है। राजस्व मंत्री ने आज कहा कि उन्होंने जिलाधीशों को आदेश दे दिया है कि वे पर्यवेक्षण करें और पता लगायें कि कितना कितना नुकसान हुआ है। यहां से जिलाधीश को आदेश जाता है। जिलाधीश तहसीलदार को आदेश देगा, तहसीलदार कानूनगो को आदेश देगा और कानूनगो पटवारी को आदेश देगा पटवारी जैसा कि अभी भ्रष्टाचार की चर्चा हुई वहां सौदेबाजी करता है।

आज प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसके मुख्य तीन कारण हैं। एक तो यह है कि शासन के अन्दर बड़ा अहंकार पैदा हो गया है। भ्रातृभाव, स्नेहभाव, वह सारे भाव समाप्त हो गये हैं। जिलाधीश अपने बंगले के अन्दर बैठ कर दीन दुखियों की दशा को देखने के लिये तैयार नहीं। जब भ्रातृभाव और स्नेह भाव समाप्त हो जायगा और अहंकार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि अपने को, अपने नीचे को देखो। अगर अन्तःकरण को देखेंगे तो दीन दुखियों की कठिनाइयों को देख कर हमारे हृदय के अन्दर दया उत्पन्न होगी। तो निश्चित रूप से सुधार होगा। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो चरणों की सेवा करेंगे। इसके मतलब यह हुए कि दीन दुखियों की सेवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

करेंगे। जब तक यह सेवा का भाव समाज में विलीन नहीं होता रहेगा तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। २८ फीसदी लोगों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, और ७२ फीसदी किसान भूखों मर रहा है, इनको बचाने के लिये नीचे की तरफ देखना होगा।

सिंचाई मंत्री बैठे हुये हैं। यही सेक्रेटरियट का उदाहरण देना चाहता हूं। आपने जो सर्विस रूल्स बनाये हैं उनका भी पालन नहीं कर सके। मैंने एक प्रश्न उठाया था लेकिन मैं सैप्लीमेंटरी नहीं कर सका। मैं बताना चाहता हूं कि १९५४ में नोटर्स, ड्राफ्टर्स और रेकार्ड कीपर्स की आपने भरती की। उनके सिलसिले में आपने उनकी सीनियारिटी के प्रश्न को इस तरह से रखा कि एक आदमी डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेंगे और एक जो पुराने स्टाफ से प्रोमोटेड होगा उसको लेंगे और इस सम्बन्ध में विधान सभा में १४ नवम्बर, १९६१ को एक प्रश्न रखा गया था जिसमें माननीय राममूर्ति जी जो इस समय सिंचाई मंत्री थे उन्होंने उत्तर में कहा था, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं—

"श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, १९४९ से जूनियर नोटर और ड्राफ्टर्स की भर्ती हुई और यह सिद्धांत माना गया था कि एक डाइरेक्ट आदमी को १ साल में जब सीनियर बनाया जाय तो एक उसके बाद जो पहले का काम करता चला आ रहा है उसको बना दें। इसी आधार पर १९५७ में एक सीनियारिटी लिस्ट बना दी गई। बाद में कुछ लोगों को एतराज हुआ। चीफ इंजीनियर के यहां एक मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने यह तय किया कि जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको सीनियर माना जाना चाहिये बमुकाबिले उनके जो नये आते हैं। लिहाजा उसके हिसाब से फिर लिस्ट बदल दी गई। जो लोग एफेक्टेड हुये उन्होंने अपनी एक पेटीशन चीफ इंजीनियर को दी। चीफ इंजीनियर के यहां फिर सबकी एक मीटिंग हुई जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी और यह तय किया कि यही मुनासिब होगा कि एक आदमी नयी सर्विस में से लिया जाया करे और एक पुरानी सर्विस में से लिया जाय, जब सीनियारिटी तय की जाय।"

यह सिद्धांत आपने मान लिया और सन् ५७ में १२ सितम्बर को एक लिस्ट तैयार हुई ४५ आदमियों की जिसमें इसी सिद्धांत का पालन किया गया कि एक आदमी जो प्रोमोटेड आया था उसका नाम और एक आदमी जो कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से आया था एग्जामिनेशन देकर उसका नाम, इस तरह से एक लिस्ट तैयार की और यह श्री एस० के० अग्रवाल ने तैयार की। लेकिन हुआ क्या कि अब आपके जो विभाग के इंजीनियर साहब हैं उन्होंने पूरी लिस्ट बदल दी और जितने पुराने स्टाफ के लोग थे उन्हीं को प्रोमोट कर दिया और जो डाइरेक्ट एग्जामिनेशन देकर आये थे उनकी सीनियारिटी को समाप्त कर दिया। तो आपके प्रशासन के अन्दर अभी तक कोई नीति ही तय नहीं हो पायी। ४९ से प्रश्न चला आ रहा है और अभी तक यह तय नहीं किया कि डाइरेक्ट जो आयेगा उसको सीनियारिटी देंगे या जो प्रोमोटेड होंगे उनको सीनियारिटी देंगे। यह इस बात का द्योतक है कि शासन में ऐसे अधिकारी भरे हुये हैं और जो अपनी योग्यता के आधार पर आ सकते हैं उनकी भी उपेक्षा की जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें और जिन लोगों का मामला खटाई में पड़ा हुआ है उसको ठीक करने की कृपा करें।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में जहां पर सारी बातों का उल्लेख किया गया है वहां पर भूमिहीन किसानों के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। हमारे प्रदेश के अन्दर एक सीलिंग का ऐक्ट पास हुआ था। गांवों के अन्दर सीलिंग के बाद जो जमीन बची थी उस जमीन की व्यवस्था गांव के प्रधान के द्वारा तहसीलदार महोदय को करनी थी। लेकिन देखने में यह आया कि सीलिंग के बाद जो जमीन बची उस जमीन को वहां के प्रधान और तहसीलदार मिलकर ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास भूमि है और जिनको कोई आवश्यकता नहीं है। देखने में तो यहां तक आया है कि गुटबन्दी में पड़कर भूमिहीन हरिजनों को भी जमीन नहीं दी गई। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक गांव है जीतामऊ वहां ३० बीघे जमीन खाली है, जमीन तहसीलदार और प्रधान

ने मिलकर ऐसे लोगों को देने की कोशिश की जो वहीं के रहने वाले थे और न हरिजन थे न भूमिहीन थे। मैंने एतराज दाखिल किया और खैर, उसके बाद वह ठीक हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि भूमिहीनों को एक एक साल का पट्टा दिया जाता है और एक साल के बाद फिर अधिकारियों को अधिकार हो जाता है कि उसका इंतजाम फिर से करें। एक साल में न तो कोई उस भूमि को तोड़ सकता है और न उसकी उपज बढ़ा सकता है। इसलिये इसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा और पट्टे को कम से कम दस साल के लिये देने की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार भूमिहीन किसानों के लिये भी एक व्यवस्था जो होनी चाहिये थी वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। इन शब्दों के साथ में माननीय शारदाभक्तसिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्बोधन पर बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रीमती सुशीला रोहतगी जी ने राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रदेश में समाजवादी राज्य की स्थापना करने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने प्रशासन के अन्दर जो समाजवादी राज्य की स्थापना के लिये बाधक है, उनकी तरफ हम ध्यान रखें। आज यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो हमारे विभाग है उनमें साधारण सी बात के लिये भी फाइल अटकी रहती है। उसमें ६ महीने तक वहां पर पड़ी रह जाती है। समाज के अन्दर जो ऐसे लोग हैं चाहे वे सदन में हों, चाहे सरकार में हों और चाहे दफ्तर में हों, उनके सब के सहयोग की आवश्यकता है। उनका सहयोग पाने में सुधार करने के लिये हमें निश्चय ही कड़ा कदम उठाना होगा। मामूली काम के लिये बहुत समय लगाकर फाइल आज भेजी जाती है। जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था कि कहीं पर यदि आग लगी तो ६ महीने में हुक्म पहुंचा कि यह आग बुझा दी जाय। आज दफ्तरों की यह दशा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। चाहे तकावी का सवाल हो और चाहे किसी बन्धी के बनाने का सवाल हो उन सब के लिये इस तरह से ही आज फाइल की रफ्तार है।

आज कृषक उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। कौन ऐसा किसान होगा जो सरकार द्वारा दी गई सुविधा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता हो। वह उसको प्राप्त करना चाहता है। आज देश को उत्पादन की अत्यन्त आवश्यकता है और वह हमारी वृद्धि का द्योतक है। इसलिये उनके बीच में जो बाधायें हों उनको जल्द से जल्द हल किया जाय और उनको समय पर सुविधा जरूर मिलनी चाहिये।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जो हमारा सूचना विभाग है वह सही सूचना हमारे प्रदेश को देता है। उसकी एक नजीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह सन् १९६४ की एक डायरी प्रकाशित की गई है सूचना विभाग की ओर से। इसके पेज ६४ पर यह दिया हुआ है कि हमारे प्रदेश में नगर और कस्बों की संख्या २६७ है। आगे यह बताया गया है कि हमारे प्रदेश में नगर महापालिका ५, नगरपालिका १३७, नोटिफाइड एरिया ३८ और टाउन एरिया २७३ हैं। इन सब का हिसाब आता है ४५३। यह इन सब का टोटल आता है लेकिन नगर, कस्बों की संख्या जो दी है वह २६७ है। तो इसमें यह शंका करने का अवसर है कि किस प्रकार से यह लिख दिया गया। यह इतना बड़ा प्रदेश है यहां के लोग भी इसको खरीदते हैं और बाहर वाले भी इसको खरीदते हैं। तो इस बात को जानकर उनको आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से यह संख्या लिख दी गई है और किस प्रकार के लोग इसके संचालक हैं और वे किस प्रकार से जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं। यह इस प्रकार के आंकड़े हैं जो आपस में एक दूसरे आंकड़ों को काट देते हैं। वैसे तो नगर और कस्बों की संख्या २६७ है लेकिन जब उनको अलग अलग दिया जाता है तो उनकी संख्या ४५३ हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अन्दर सभी तरफ जिले हैं। उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्खिन में सभी जिले फैले हुये हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पूरे सम्बोधन में, बुन्देलखंड का कोई जिक्र नहीं किया गया है। न उद्योग के सिलसिले में, न निर्माण कार्य के सिलसिले में, न डकैती समस्या के सिलसिले में और न सिंचाई समस्या के सिलसिले में कोई जिक्र इसमें बुन्देलखंड के बारे में आया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि झांसी जिले में अक्तूबर से लेकर आज तक दो दर्जन व्यक्तियों को वहां पर डकैत उठा ले गये हैं। अभी एक महीना हुआ कि सुन्दरलालसिंह को मंडारा थाने से १०० कदम के फासले पर शाम के ७।। बजे डाकू उठा ले गये। वह गांव सभा के प्रधान हैं। उनके छोड़ने के लिये एक लाख रुपया मांगा जा रहा है। ५० हजार रुपया तय हो चुका है। ललितपुर थाने में कामता चौबे का जवान लड़का बुढ़वार से डाकू उठा ले गये हैं जो आज तक वापस नहीं आया है। वहां पर सिन्दवाहा बाजार में ३, ४ हजार आदमी थे उन सब के सामने ५ साधारण आदमियों को, जो दुकानदार थे और ज्यादा पैसे वाले भी आदमी नहीं हैं, उनको ३ बजे शाम को डाकू उठा ले गये। १०, १२ बन्दूकधारी डाकू वहां आये और उनको उठा कर ले गये। इस तरह की जिस जिले में समस्यायें हों, जहां लोगों का रहना मुश्किल हो, निकलना मुश्किल हो, शाम को ही ताले पड़ जाते हों उस क्षेत्र का जिक्र इसमें न होना हम लोगों का दुर्भाग्य ही है। यदि वहां की समस्या हल न की गयी तो निश्चित है कि वहां से लोग भागते जायंगे और वह इलाका बीहड़ हो जायगा। वहां तात्कालिक आवश्यकता है सड़कों का निर्माण होना ताकि पुलिस की गाड़ियां वहां जल्द से जल्द पहुंच सकें।

लोग डकैती इस लिये डालते हैं कि उनमें परेशानी है, गरीबी है। उनकी गरीबी दूर करने के लिये उद्योग धंधे पनपाये जायें। वहां पत्थर की खदानें हैं और उनमें हजारों मजदूर काम करते हैं। वहां डकैत पनप रहे हैं। सड़कें न होने की वजह से हमारी खदानों का व्यापार ठप हो गया है। रेल के वैगन नहीं मिलते और वह माल बाहर नहीं जाने पाता। इसलिये आवश्यक है कि सड़कों का जाल वहां बिछाया जाय। हमारे अधिकारियों ने इसके लिये योजना बना कर भेजी है और उन्हें शीघ्रतिशीघ्र सरकार को स्वीकार करना चाहिये। सिंचाई की व्यवस्था वहां सरकार ने की है इसके लिये मैं उनका आभारी हूं, लेकिन मैं ललितपुर सब डिवीजन की बात करना चाहता हूं। वहां बड़े बड़े बांधों से काम चलने वाला नहीं है। वहां छोटी छोटी बंधियों और दो, चार लाख रुपये के तालाबों की आवश्यकता है। उनसे ही वहां की समस्या हल हो सकती है। वहां ऐसे गांव भी हैं कि जिनमें एक भी पीने के पानी का कुवां नहीं है। आज ही मैं एक सिंचाई की योजना ले कर गया था तो सुनने को मिला कि ३, ३ परसेंट रिटर्न भी उनसे नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि बुन्देलखंड के इलाके के लिये यह रिटर्न की बात समाप्त हो जानी चाहिये। जहां पीने के लिये पानी न हो, किसान अपना पसीना बहा कर खेती करते हों, वहां यदि रिटर्न की बात सोची जायगी तो वहां की उन्नति नहीं हो सकती। वहां का एरिया बड़ा ऊबड़खाबड़ है और लम्बी नहरों से उसकी समस्या हल नहीं हो सकती। माताटीला बांध से उस क्षेत्र की एक इंच भूमि की भी सिंचाई नहीं हो पाती। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उधर ध्यान देने की और झांसी में एक विश्वविद्यालय खोलने की बड़ी आवश्यकता है।

पिछले मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि चौथी योजना में झांसी में एक मेडिकल कालेज खुलेगा। इसके अतिरिक्त वहां की उन्नति के लिये उद्योग बढ़ाने की भी अतीव आवश्यकता है। झांसी, जालौन, हमीरपुर या बांदा में अभी तक कोई भी उद्योग नहीं खोला गया है और इस अभिभाषण को देख कर हमें निराशा ही होती है। वहां राजकीय स्तर पर कोई धंधा लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये वहां पानी की आवश्यकता है और वहां की सबसे बड़ी समस्या डकैत हैं। यह ठीक है कि चम्बल की घाटी में उनका सफाया हुआ है, लेकिन एक समाप्त होता है,

तीन नये खड़े हो जाते हैं। आज वहां पर लोगों को पता नहीं कि रात को सोकर सुबह को जागते मिलेंगे भी या नहीं। वहां के एक प्रधान का अभी तक पता नहीं चल पाया। एक महीना हो गया, अभी तक वह वापस नहीं आया है। अन्त में मेरा निवेदन है कि आज प्रदेश की रक्षा के लिये, उत्पादन के लिये, सिंचाई की व्यवस्था की जाय, सड़कों को बढ़ाया जाय तथा सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाय।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें भ्रष्टाचार और अराजकता की कही गयी हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। माननीय हुकुमसिंह जी यहां मौजूद हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि एक किताब का माननीय कमलापति जी ने अनुवाद किया है किताब का नाम है चीन और च्यांग। उसमें चीन और च्यांगकाई शेख का वर्णन है। उसको पढ़ने से यह मालूम होता है कि चीन में च्यांगकाई शेख का वही स्थान था जो आज यहां पर पंडित नेहरू का है। मगर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न ने उनको चीन छोड़ कर भागने के लिये मजबूर कर दिया, आज वे अमेरिका की शरण में फारमोसा जाकर रहने लगे हैं। तो जो उत्पीड़न का जिक्र माननीय गोस्वामी जी तथा लखपतराम जी ने किया है अगर वह बढ़ता गया तो च्यांगकाई शेख जैसी स्थिति यहां पर भी हो सकती है। आज आपके बीच कुछ स्वार्थी लोग हैं जो सदैव सरकार का ही गुणगान किया करते हैं, उनको इस देश से कोई मतलब नहीं, अपने स्वार्थ से ही उनको मतलब होता है। समाजवादी पार्टी ने फौज के लिये जो कहा उसको बसन्तलाल जी ने देशद्रोह की संज्ञा दे दी। एक कहानी है कि अगर कहूं तो मां मारी जाय, नहीं तो बाप कुत्ता खा जाय। वह इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति कुछ गोश्त खरीद कर ले आया और अपनी औरत को बनाने के लिये दे दिया। गोश्त कुत्ता उठा ले गया। मां ने कुत्ते को मार डाला, और उसका गोश्त पका दिया। उसका लड़का यह सब देखता रहा। जब बाप खाने बैठा तो वह रोने लगा क्योंकि अगर वह उस बात को कहता तो मां मारी जाती है, और नहीं कहता तो बाप कुत्ते का मांस खा जायेगा। यही हालत हमारे समाजवादियों की हो रही है। अगर यह कहते हैं कि फौज कमजोर है, भ्रष्टाचार है, तो आप देशद्रोही कहेंगे, और न कही जाय तो चीन वाली दुर्गति हो सकती है।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल महोदय को या तो पता नहीं है, या उनको कहने से रोके रखा गया है, पता नहीं क्या बात है जो उन्होंने इस उत्पीड़न का जिक्र तक अपने सम्भाषण में नहीं किया है। उनको इस बारे में कुछ जिक्र अवश्य करना चाहिये था। जहां के एक जिले से बाहर बारह आदमी को चोर उठाकर ले जायं, जहां पर पैसे के लिये आदमी चुराये जायं, उस प्रदेश की क्या बात कही जाय? फिर यह कहा जाय कि इधर देशद्रोही लोग बैठे हैं और उधर देश भक्त बैठे हैं। जो मेरे साथ जेलों में रहे हैं, उनको मैं कैसे कहूं कि वे देशद्रोही हैं। लेकिन अधिक लोग ऐसे हैं।

अभी नेगी साहब आजमगढ़ गये थे। मुझे मालूम था, मेरे पास जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी का पत्र मौजूद हैं। एक ब्लाक प्रमुख हैं, कांग्रेसी हैं, उनका पत्र है, वह मैं आपके पास भेज दूंगा। उन्होंने जिक्र किया है कि दोहरीघाट ब्लाक के सरकारी गल्ला गोदाम से एक एक दिन में दूकानदारों के दो दो निकासी के गल्ले बरामद किये गये जो कि बाहर गये हैं। और सौ सौ की तादाद में लद करके ट्रक—एक दूकानदार का नहीं कइयों का—चावल उजियार घाट से बिहार में गया है। वहां चावल यू० पी० से मंहगा नहीं है, वह सारा चावल चीन गया है नैपाल के रास्ते से और जब नेगी जी से कहा गया तो वही लोग जो दूकानदार थे वह कांव कांव करके झपट पड़े मेरे ऊपर, कि झूठ है। दूसरे दिन मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी को बुलवाया और कहा कि क्या होना चाहिए। झारखण्डे राय जी से पूछिये कि सही बात है या नहीं? जिलाधीश ने कबूल किया कि ये शिकायतें मुझसे की गयी हैं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

झारखण्डे राय जी आपकी बात का अनुमोदन इस सिलसिले में नहीं करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जरूर करेंगे, क्योंकि सही है।

श्री उमाशंकर—

मगर कोई कार्यवाही उस सिलसिले में नहीं की गयी यह देश-द्रोह है या क्या है? मैं बताना चाहता हूं कि ९५ नहीं तो ८० प्रतिशत दूकानें गल्ले की कांग्रेसी लोगों के हाथ में हैं, और कलक्टर कबूल कर रहे हैं कि बात सही है। यही सीमेंट में हो रहा है। आजमगढ़ जिले में महराजगंज कसबे के चौराहे पर जब मैं उतरा तो ६० बोरी सीमेंट फैजाबाद जाने के लिए तैयार था। मैंने कलक्टर को लिख कर दिया ३०-१-६३ को, लेकिन आज भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यही कहते हैं कि पुलिस जांच कर रही है। यह कार्यवाही आपकी है। यह कार्यवाही आपकी किस जगह ले जाने वाली है, इस पर आप गौर कीजिये।

आपका एक अर्धशासकीय पत्र निकला हुआ है, निदेशक पंचायतराज, संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश का है और इसके निकालने वाले हैं गंगासिंह चूड़ामणि। उसमें लिखा है कि आपकी जो स्कीम है जन शक्ति उपयोगी योजना कि गांव के लोगों को कुछ काम मिल जाय, पूरब के लोग बड़े गरीब हैं और उनकी ताकत का उपयोग हो जाय, कुछ निर्माण का काम हो जाय तो यह काम जारी करो। ब्लाक प्रमुख आपका पढ़ा-लिखा है, बार-बार उसने लिखा कि गांव के लोगों से, गांव पंचायत के माध्यम से यह काम लिया जाय और जो आपकी दर १८ रुपया हजार घन फिट थी तो आपके ओवरसियर, ठेकेदार सब लोग जुटे और मजबूर किया कि कुछ मिलता है या नहीं। ब्लाक प्रमुख ने कहा कि नहीं, हम देने वाले नहीं है कुछ। हम जो देंगे मजदूरी में उनको देंगे जो काम करेंगे। पूरा हिसाब हमारा चेक कीजिये। उनको कह दिया कि आपको नहीं मिल सकता है तब ठेकेदारों को बुला कर के २-२ सौ रुपया लेकर इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० ने ठेका दे दिया। श्री जमुना राय प्रमुख ने बार बार लिखा, उनका पत्र मेरे पास मौजूद है। उन्होंने लिखा कि मैं आपका ध्यान विकास आयुक्त, अब कहां तक पढ़ूं? यह जमुनाराय का है। उन्होंने कहा है कि हमने तो उनसे कोशिश की कि यह गांव के लोगों को दे दिया जाय। एक दिन मैं भी पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर के पास आजमगढ़ में गया और उनसे कहा कि हमने सुना है कि बी० डी० ओ० जिसे सैंक्शन करेंगे उनको ही आप ठेका देंगे। उन्होंने कहा कि हां, बी० डी० ओ० ने तो सैंक्शन कर दिया है। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि आम तौर से लगा रखा है कि जो २०० रुपये उनको देता है उसे ४, ५ फर्लांग का ठेका दे दिया जाता है। तो यह भ्रष्टाचार चल रहा है। रामेश्वर प्रसाद, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गये जो शायद फैजाबाद में रहते हैं, और जब उन्होंने कहा कि यह धांधली सरकारी हुकुम के खिलाफ हो रही है, इसे रोको, तो इंजीनियर साहब ने उन्हें अपने आफिस से निकलवा दिया। आप बुरा न मानें, यह सरकार अफसरों की गुलाम है, जनता की नहीं है। जैसा अफसर कहते हैं वैसा यह सरकार करती है।

एस० पी० को घोड़े का भत्ता एक महीने का ७५ रुपये मिलता है और सब इंस्पेक्टर को सिर्फ ४५ रुपये। भला बताइये कौन ज्यादा दौरा करता है? दरोगा ज्यादा दौरा करता है लेकिन उसका अलाउंस कम है।

आपकी कांग्रेस के कार्यकर्त्ता लक्ष्मीकान्त मिश्र आजमगढ़ जिले के बहुत मशहूर और ईमानदार कांग्रेसी हैं। उन्हीं की ईमानदारी से मेरे मुकाबले में कांग्रेसी को कुछ वोट मिल भी जाते हैं वरना एक भी मिलनेवाला नहीं है।

श्री राममूर्ति—

आप बड़े आदमी हैं।

श्री उमाशंकर—

मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं सच कहता हूं कि आज तक अपने जीवन में मैंने ५०० रुपया एक साथ नहीं पाया है। लेकिन जनता में घूमा करता हूं। लक्ष्मीकान्त ने लिखा है थाने के सब इंस्पेक्टर के बारे में। सारा जहान जानता है। सब इंस्पेक्टर ने बांध कर एक आदमी को गोली से मार दिया है। तीन कत्ल हुए हैं जो पुलिस के गवाहों ने ही किये हैं। वह डाकू था, यह बात सही है, लेकिन उस समय तो किसी के यहां डाका नहीं डाल रहा था। पुलिस के गवाहों ने खुल्लमखुल्ला नाजायज बन्दूक लेकर दिन को बलवा किया और सब इंस्पेक्टर ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अभी ४ दिन की बात है कि एक कुर्कअमीन मालगुजारी वसूल कर रहे थे। पुलिस के दलाल लोगों ने दिन-दहाड़े १९८ रुपये उस गायत्रीसिंह कुर्क अमीन से छीन लिये और जब वह रिपोर्ट करने के लिये गये तो सब इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि इसी रिपोर्ट पर मैं तुम्हें जेल खाने भिजवा दूंगा, वरना रिपोर्ट मत करो।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उमाशंकर—

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आज भी वह अपने अन्दर सुधार इस मुल्क के लिये लावें, अपने लिये नहीं।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि असेम्बली में बोलने के लिये यह मेरा दूसरा ही मौका है। मैं सुशीला जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने भी महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ा। मुझे तो यह मालूम दिया कि जितनी बातें उसके सम्बन्ध में कही गयी हैं उन सभी की ओर करीब-करीब संकेत कर दिया गया है। अगर उनका विस्तृत वर्णन किया जाता तो एक बहुत बड़ी पोथी बन जाती। लेकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें यह चीज नहीं है, वह चीज नहीं है। उसको सुनने से ऐसा लगा कि जिस प्रकार से रामचन्द्र जी के रूप को जिसने जिस प्रकार से देखना चाहा वैसा देखा, उसी प्रकार से इस भाषण को भी अपनी अपनी भावना के अनुसार लोगों ने देखा और उसके अनुसार ही उसका इन्टरप्रिटेशन किया। यद्यपि जितनी बातें कहीं गयीं हैं, वे सब उसमें आ गयीं हैं भले ही उसका विरोध और समर्थन कितना ही किया जाय। यद्यपि जहां तक गवर्नमेंट की पालिसी का सवाल है उसके हिसाब से उनका भाषण बहुत ही अच्छा है। यह बात दूसरी थी कि उसमें वे चीजें न हों जिनको हमारे मित्र चाहते थे।

कई लोगों ने हिन्दी को लेकर कहा कि वे हिन्दी में नहीं बोले। गवर्नर साहब की इसमें कठिनाई भी थी और उन्होंने उसके लिये क्षमा भी मांग ली कि वे हिन्दी में न बोल पायेंगे। लेकिन फिर भी इसलिये कि प्रदेश के अखबारों में यह चीज छप जायगी कुछ लोगों ने उसका विरोध किया।

एक बात यह कही गयी है कि प्रदेश में घूसखोरी बहुत चल रही है। मैं भी बनारस जिले की भ्रष्टाचार समिति का अध्यक्ष रहा हूं। मेरा तजुरबा यह है कि जब कोई शिकायत किसी विभाग में भेजी जाती है तो उस अधिकारी को विभाग वाले शील्ड करते हैं। इंक्वायरी में यह लिखकर चला आता है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। सबूत नहीं मिलता तो फिर अदालत में भी कुछ नहीं हो सकता। अगर इसको इसी प्रकार से चलने देना है तब तो फिर उसका इलाज ही नहीं हो सकता और केवल हम लोगों को उनको धन्यवाद ही देना चाहिये जो ऐसा करते हैं।

अभी हमारे एक मित्र ने सहकारी खेती के सम्बन्ध में कहा। भविष्य में भले ही सहकारी खेती का कोई रूप हो और आगे चल कर वह कोई भी रूप ले ले। हमें यह देखना है कि इस समय

[श्री ऋषिनारायण शास्त्री]

उसका क्या रूप है। कोआपरेटिव मूवमेंट के सक्सेसफुल न होने की वजह यह नहीं है कि अच्छे-अच्छे पब्लिक वर्कर नहीं हैं। वे हैं, और उनका उपयोग बहुत ईमानदारी से किया जा सकता है। पचासों वर्ष इस मूवमेंट को चलते हुये हो गये और उसके जो आनरेरी वर्कर्स हैं उनको हमारे अधिकारी जानते हैं कि कौन-कौन से अच्छे वर्कर्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जहां किसी कमेटी की अच्छाई का यह श्रेय लेना होता है कि बड़ा अच्छा काम हुआ है तो उसको डिपार्टमेंट वाले ले लेते हैं। लेकिन जब कोई बुराई होती है तो यह कह दिया जाता है कि हम क्या करें, यहां डाइरेक्टर बिलकुल खराब हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और यह बात भी सही है कि जहां गबन की कोई बात होती है तो अधिकारी उन सारी बातों को जानते रहते हैं फिर भी उस पर कोई ऐक्शन नहीं लेते हैं। पूछने पर कह देते हैं कि क्या करूं, उसमें कमेटी के मेम्बर एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन अभी हमको अपने एक दोस्त द्वारा मालूम हुआ है कि गबन में रुकावट वहां के सरकारी अधिकारी के मौजूद रहने के कारण है। मैं कहता हूं कि इस सब की बुनियाद यह सरकारी अधिकारी जो उनके साथ रहते हैं वे ही हैं और वे भी पार्टी पालिटिक्स जानते हैं। यह सही है कि इनकी वजह से ही कोआपरेटिव मूवमेंट जितना इफेक्टिव होना चाहिये वह नहीं है।

भाषण के सम्बन्ध में आज हमारे सामने बहुत सी चीजें कही जाती हैं, कोई हिन्दी की बात करता है, कोई और बात करता है,मगर यह बात सही है कि विकास के सम्बन्ध में जितनी सब्सीडी या ग्रान्ट मिलती है अगर वाकयी हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता तो हमारे सूबे का नक्शा ही बदला हुआ नजर आता, लेकिन मुसीबत इस बात की है कि कहे कौन ? अगर हम शिकायत करें भी तो उसकी गवाही देने वाला कोई नहीं है। अगर कहना चाहें भी कि यह रुपया खराब न करो तो भी कोई सुनता नहीं है। ऐसे कितने ही केसेज सामने आये हैं, अभी एक ऐसा केस भी सामने है जिसके पेपर्स वगैरह सीज किये पड़े हैं। इस तरह से सीमेंट का वितरण भी भंयकर रूप में चल रहा है।

हम लोगों ने निर्वाचन का जो इन्डायरेक्ट तरीका बना रखा है वह गलत है। इससे तिकड़मी आदमियों के अलावा और कोई नहीं आने वाला है क्योंकि जो लोग वहां ब्लाक के अधिकारियों को प्रसन्न रख पाते हैं वही सभापति हो सकते हैं। वही ब्लाक के प्रमुख हो पाते हैं। यह एक ऐसी सर्किल बन गयी है जिससे छुटकारा पाने के लिये आम जनता को अपने अधिकारों का सही रूप में इस्तेमाल करना होगा। मेरा ख्याल है कि जनता इस तरह से बैडनवानी करने के लिये तैयार न होगी और न वह पक्षपात करेगी। मेरे ख्याल में जो चीज आयी है और जिसकी वजह से मैं आज के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं चाहता जरूर हूं कि जो सरकार की पालिसी यहां कही जाती है उसका अगर सही ढंग से कार्यान्वयन हो तो उससे जनता को जरूर लाभ होगा। हमें खेद इस बात का है कि जो हमारे विरोधी भाई यहां बैठे हुये हैं वे अपने को विरोधी कहते हैं लेकिन हम उनको ऐसा नहीं मानते क्योंकि उनमें हमसे कोई कम देशभक्त नहीं है। लेकिन उनका भी भाषण फार्मल ही है कि यह बात क्यों नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि वे इस काम के लिये अपना कै मिनट टाइम देते हैं। हम तो जो भी कहते हैं, या जो कहते रहे उसके लिये टाइम देते रहे। उसके पीछे हम भी परेशान होते रहे जैसा कि माननीय उमाशंकर जी ने कहा कि हम गरीबों में घूमते हैं, सच बात है वह हमारे साथी थे, हम जानते हैं वह हमारे साथ जेल में रहे हैं, बहुत से आदमी हैं जो जेल में उस वक्त रहे हैं और कांग्रेस के वर्कर रहे हैं, लेकिन आज विरोध का मतलब यह नहीं है कि हर चीज का खड़े होकर विरोध करना भी है और अगर सही बात भी हो तो उस का भी विरोध किया जाय। अगर गलत चीज कही जाती है या की जाती है तो जरूर उसका विरोध करना चाहिये और उसे प्वाइंट आउट करना चाहिये, जो बात सही है उससे कौन इंकार कर सकता है। घूस चलती है, बात ठीक है, उस को हम भी मानते हैं, लेकिन ऐसी बातें भी कह दी गई हैं जो वाकया हैं, और भाषणों में ऐसी बातें भी कही गई, जो न देखने को मिलती हैं कि क्या बात कही जा रही है ? मुझे बहुत लम्बा चौड़ा भाषण करना नहीं है और मैं एक बार फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यबाद दूंगा कि उन्होंने

मुझे आज अवसर दिया । मैं उन्हें यह कहने का मौका नहीं दूंगा कि समय समाप्त हो गया, मैं उस से पहले ही समाप्त कर दूंगा । मेरा मकसद इतना था कि यह प्रस्ताव जो धन्यबाद का रखा गया है, उस का समर्थन मैं कर दूं ।

*श्री लखीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जितने माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले मैंने उन के भाषणों को सुना लेकिन मुझे आज भी अफसोस है कि कल जब माननीय राज्यपाल यहां पधारे थे उस नक्शे को देखकर मुझे बहुत अफसोस था। वह नक्शा मैंने देखा, मैं नहीं जानता मामला क्या था चूंकि मैं बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मिडिल तक मैं पढ़ा हूं उर्दू, हिन्दी के, मैं ज्यादा जानता नहीं, यहां भी मैं नया हूं, यहां विधानसभा में भी अब के ही आया हूं, लेकिन सन् ३६ में जब यहां मिनिस्ट्री बनी तब से मैं प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य था, जिला कांग्रेस कमेटी का भी सदस्य था और मंडल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, उस वक्त भी मुझे यहां आने का अवसर मिलता था जबकि यहां पंतजी की मिनिस्ट्री थी, माननीय किदवई महोदय थे, माननीय लालबहादुर शास्त्री थे। उस वक्त यहां गवर्नर नाम का एक अंग्रेज होता था, अब उसका नाम जरूर बदल गया है, अब वह राज्यपाल हो गया है लेकिन नकल उसकी ज्यों की त्यों मुझे मिली । नक्शा वही है । उधर के माननीय सदस्य चाहें हमें विरोधी कहें, ठग कहें या कुछ भी कहें, कुछ भी बतायें, झूठा बतायें लेकिन हमें राज्यपाल महोदय का विरोध नहीं है वरन् हमें अंग्रेज की नकल का विरोध है ।

एक तरफ तो गरीबों के बच्चे भूखे फड़फड़ा रहे हैं, उनके पास चिथड़े नहीं हैं, सरदी पाले में वह मर रहे हैं और यहां कल मैंने देखा कि यहां सैकड़ों गज लाल मखमल बिछाई गई । माननीय राज्यपाल महोदय मखमल पर निकले, लेकिन गरीब के बच्चे को तो कुर्ता हो खद्दर का । श्रीमन्, मेरी जरा कड़ी भाषा है लेकिन अन्दर मेरे सफाई है आप उससे घबरायें नहीं ।

कल तो खाक हमारे हाथ पड़ा नहीं जब गिटपिट भाषा में भाषण पढ़ा जा रहा था, हम तो लाबी में बैठे रहे, एक फूटा अक्षर मुझे लन्दन वाली भाषा का नहीं आता, पर जब हिन्दी वाला भाषण मुझे मिला तो रात १२ बजे तक पढ़ता रहा और यह भूलचूक में जाने कैसे चिट चिपक गई । इसमें लिखा है-अभी हाल में राज्य में कड़ाके की सरदी पड़ी जिससे खड़ी फसल को विशेषकर अरहर और मटर को क्षति पहुंची है । इससे काफी चिन्ता है, जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वह तुरन्त इस क्षति का अनुमान लगायें । मेरी सरकार क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में काश्तकारों को सहायता देने की हर कोशिश करेगी । अब देखें या तो राज्यपाल महोदय बिल्कुल खेती को जानते नहीं, मैं बताऊं डाक्टर राम मनोहर लोहिया के कथनानुसार हमारे राज्यपाल उन ५० लाख लोगों में से हैं जिनका ८ महीने का छोटा बच्चा ए, बी, सी, डी के खिलौने से चौके में खेलता है क्योंकि जो अपनी मातृभाषा उड़िया में भाषण न दें, और माननीय बसंतलाल जी कह रहे थे, मेरे क्षेत्र के किसान ने कहा था कि २४ घंटे जो आजकल झूंठ बोले वही पक्का कांग्रेसी है तो बसंतलाल जी ने एकदम उल्टी गंगा बहायी । उग्रसेन जी ने कहा कि अंग्रेजी में भाषण न दें, उड़िया में दें । अंग्रेजी को भी हमारे माननीय सदस्य लगभग आधे समझते होंगे और उड़िया को हम सब न समझें लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत की १४ भाषाओं में से एक भाषा में राज्यपाल का स्वतंत्रता में भाषण हो रहा है और बापू जी के सामने हो रहा है । बापू जी ने कहा था जब तक भारत में विदेशी भाषा रहेगी तब तक मैं देश को स्वाधीन नहीं समझता ।

श्रीमन्, इस भाषण का एक एक अक्षर पढ़ा। हमारे राज्यपाल ने पहले राजाओं की तरह सरकार की बड़ी तारीफ की, मेरी सरकार ने यह किया, मेरी सरकार ने यह किया, लेकिन माननीय राज्यपाल जी ने कहीं भी एक हरफ ऐसा नहीं कहा कि बाढ़ के मारे क्षेत्रों में, गरकी के मारे हुए क्षेत्र में, पाले से मारे हुए क्षेत्र में कहीं विद्यार्थियों की फीस माफ की हो । यही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखीसिंह]

नहीं, यहां हैं नहीं, खाद्य मंत्री जी, सवेरे तो थे परन्तु नजर नहीं आते हैं, वे सुबह कहने लगे कि हमारे पास भी राशन की कमी नहीं है । गेहूं मौजूद है, आटा मौजूद है तो फिर यह सरकार बिल्कुल अंधी है और इसमें अक्ल है ही नहीं । जब गेहूं मौजूद है, तो क्या जरूरत है इन दुकानों को बनाने की। एक दुकानदार ने अभी हाल में मुझे बताया था कि उसके ९०० रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी दुकान नहीं मिल पाई है । भ्रष्टाचार की यहां तक हालत है कि एक तहसीलदार तक १००रुपया लेता है प्रार्थना-पत्र तसदीक करने के लिये । यह हालत है हमारे खाद्य विभाग की ।

उपाध्यक्ष महोदय, ४ महीने से आयुर्वेदिक कालिज के लड़कों की हड़ताल हो रही है, सत्याग्रह हो रहा है और माननीय राज्यपाल जी ने एक चर्चा तक नहीं की । आज यदि गांधी जी होते तो मैं कहता हूं कि उधर के लोग चाहे नाराज हो जायें, मुझ जैसा शिष्य यदि ऐसी बात कहता तो बीच सड़क के चौराहे पर कोड़े लगा देते ।

लज्जा की बात है कि १९ तारीख की रात को, जहां के आचार्य जुगुलकिशोर हैं वहां एक कस्बा है, उसमें १९–२० की रात को लाठी और फर्से से एक आदमी की हत्या कर डाली गई जबकि पुलिस का थाना वहां से केवल ५० गज पर ही था । जाहिर है कि वहां की पुलिस सोई हुई थी । ऐसी हालतों के होते हुए मैं कैसे धन्यवाद दूं ।

(लाल बत्ती होने पर)

चूंकि लाल बत्ती हो रही है इसलिए मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

विधायकों के सदन में आने की व्यवस्था

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी मैं जब जा रहा था । चौराहे पर दोनों तरफ से मोटर आ रही थी । एक ओर से एक मोटर साइकिल भी आ रही थी । जैसे ही मैंने सड़क पार करने की कोशिश की वैसे ही धड़ से मोटर साइकिल आ गई । पीछे को हटा तो एक मोटर आ गयी । मैं बाल बाल बच गया । पर मेरा हृदय अभी तक कांप रहा है । श्रीमन्, यदि ऐसी व्यवस्था रही तो किसी दिन वहां इस स्थान पर कोई दुर्घटना अवश्य हो जायेगी । इस संबंध में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, जिस समय यह घटना हुई मैं स्वयं उसके पहले चला गया था । मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा था । जब मोटर के ब्रेक लगे तो, य कीन कीजिये, मेरे होश उड़ गये । कांस्टेबिल आन ड्यूटी था कि वे लोग जायं लेकिन दोनों तरफ से मोटरें आने से कांस्टेबिल अगर वहीं खड़ा रहता तो वह भी मर गया होता । इस गेट पर मोटरें जो इतनी तेज चलाई जाती हैं इसका प्रबन्ध होना चाहिये और नियोजन मंत्री जो इस समय यहां उपस्थित हैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस तरह की घटनाओं का सामना जो माननीय सदस्यों को करना पड़ता है यह ज्यादा दिक्कत की बात है । अगर आने में रुकावट पड़ती है तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का कारण बनता है । मैं चाहूंगा कि कल सुबह तक अधिकारियों से मिल कर, मुख्य मंत्री से सलाह लेकर इसकी व्यवस्था होना नितांत आवश्यक है वर्ना इस सदन के सदस्यों की जान इस सरकार के निकम्मेपन से किसी न किसी दिन चली जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री इस संबंध में सुविधा कर देंगे । इससे माननीय सदस्यों को संतोष हो जाना चाहिये । स्पीड के संबंध में तो व्यवस्था हो ही सकती है ।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—
मेरा सुझाव है कि जो स्पीडी व्हिकिल्स हैं उन्हें जरा कर्ब करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—
माननीय मंत्री जी के एटीट्यूड से मालूम पड़ता है कि वह उस पर ध्यान देंगे और ऐसी व्यवस्था हो जायगी ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(क्रमागत)

*श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—
माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्रीमती सुशीला रोहतगी जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इशारा किया है कि देश की आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिये १८ से ४० वर्ष तक की आयु के लोगों को सैनिक शिक्षा दी जायगी जो कि दूसरी रक्षा पंक्ति के लिये तैयार होंगे। इसी तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने की ओर भी संकेत किया है इसमें उद्योगों की सफलता के बारे में भी जिक्र किया गया है, लेकिन शिक्षा की बात इसमें रह गयी है ।

किसी समाज को बनाने के लिये या किसी देश के उठाने के लिये आवश्यक है कि वहां शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो । माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के बारे में, कृषि उत्पादन में असफलता के बारे में जिक्र किया । उस सबका मूल कारण हमारी शिक्षा है । इतने वर्ष हमको आजाद हुये हो गये लेकिन शिक्षा की जो दुर्व्यवस्था है उससे सभी अवगत हैं । सरकार का इस ओर ध्यान जाना चाहिये । शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धक छोटी-छोटी बातों को लेकर हल्ला खड़ा कर देते हैं, जलूस निकलवाते हैं । प्राइमरी स्कूलों की जहां से शिक्षा आरम्भ होती है बड़ी बुरी हालत है । वहां के अध्यापकों की हालत आज बहुत खराब है और जो बच्चा पांचवां पास कर के निकलता है वह आगे चल कर के इतना कमजोर होता है कि ८ वीं, ९ वीं, १० वीं कक्षा में पहुंचते-पहुंचते वह पास नहीं हो पाता है और पास भी होता है तो थर्ड डिवीजन में । इस गिरती हुई दशा के कारण हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है ।

श्री श्रीपत मिश्र—
श्रीमन्, कोरम पूरा नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री शांतिचन्द शुक्ल—
माननीय राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि हमारा उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना तथा जनतंत्र निर्माण करना है इसलिये कृषि उत्पादन को बढ़ाना व उद्योगीकरण करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये । उन्होंने जो आज इस प्रदेश में पैदावार में ह्रास हुआ है उसको ध्यान में रखते हुये उपाय निकाले हैं और उसके बारे में भी कहा है कि इन बाधाओं को दूर करने के लिये प्रबल प्रयास किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में आप देखें तो आज ब्लाकों में जो अनुदान दिया जा रहा है वह ज्यादातर ऐसी चीजों के लिये दिया जाता है जिनका विकास से कोई सम्बन्ध में नहीं होता है । हम देखते हैं कि आज गोशाला के नाम पर प्रधान या गांव वाल अनुदान लेते हैं और अपने दरवाजे पर गोबर लगा कर पैसा ले लेते हैं । आज ब्लाकों पर इसीलिये साइकिल लिये खड़े रहते हैं कि किसी तरह से दो, चार सौ रुपये के अनुदान सिंघाड़े के लिये, खाद के गड्ढे के लिये या और ऐसे ही कामों के लिये मिल जायं लेकिन उत्पादन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शांतिचन्द्र शुक्ल]

बढ़ाने के लिये अनुदान नहीं लेते हैं । आज सामुदायिक विकास योजना में जो अनुदान दिया जाता है उसके कारण गांवों में अनुदान की भूख बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और जो काम किया जाता है वह सिर्फ इसी लालच से किया जाता है कि हमको अनुदान मिल जाय और जब अनुदान मिल जाता है तो वह काम वहीं ठप्प हो जाता है जिसका असर कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा पड़ता है ।

माननीय राज्यपाल महोदय ने पूर्वी जिलों की स्थिति के बारे में जिक्र किया । हमारे पूर्वी जिलों में जो छानबीन की गयी है वह सिर्फ चार जिलों का सर्वेक्षण किया गया है । और बाकी जिलों में वह नहीं पहुंच पाया । श्रीमन्, उनकी स्थिति अलग हो सकती है और दूसरे जिलों की अलग हो सकती है । जैसे गोंडा है, बहराइच है, बाराबंकी है, बस्ती है इनकी स्थिति का अंदाज इन चार जिलों से नहीं लगाया जा सकता है, लिहाजा इसे जांच आयोग को इन जिलों में भेजने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये ताकि इसके ऊपर वह विस्तारपूर्वक विचार कर सकें । अगर यह आयोग इन जिलों में जाता तो गोंडा से लखनऊ जो सीधी सड़क जाती है, उस पर घाघरा के ऊपर पुल बनने की कितनी आवश्यकता है, लेकिन उसको छोड़ दिया गया है । इसलिये अन्य जिलों में भी इस आयोग के जाने की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि मैं पहले कांग्रेस में था और पी० सी० सी० का मेम्बर था, आदि ऐसी न जाने कितनी बातें कहीं हैं । आज समाजवाद की स्थापना के लिये हम संकल्प कर चुके हैं और हमारा यह लक्ष्य हो गया है कि हम देश में समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे । हमारे सभापति माननीय कामराज नादर जी आवाहन कर रहे हैं कि आओ और इस देश को ऊपर उठाने में तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने में हमारी मदद करो । ऐसी दशा में निरर्थक आलोचना न करके उनको कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिये और देश को ऊपर उठाने के लिये मदद देनी चाहिये ।

इसी तरह से शकर की मिलों के बारे में जो पूर्वी जिलों में हैं उनके लिये महामहिम राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि उनकी पुरानी मशीनें हैं । वहां एक रिवाज चल गया है कि मिल मालिक काश्तकार से गन्ना ले लेते हैं और महीनों तक उसको पैसा नहीं देते हैं । उनको लगान देना पड़ता है, शादी ब्याह करने पड़ते हैं, इसलिये उनको बड़ी परेशानी होती है । इस ओर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है । जरवल मिल के बारे में सरकार को जल्दी कोई कदम उठाना चाहिये । कांटे पर गन्ना पड़ा सूख रहा है और रेलवे लेने से इंकार कर रही है क्योंकि सेठ जी ने पैसा नहीं दिया है । ऐसी दशा में काश्तकारों का क्या होगा ? इधर शीत लहरी के कारण वे वैसे ही परेशान हैं । पता नहीं उनको पैसा मिलेगा या नहीं । इस ओर सरकार को कदम उठाना चाहिये । इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शित करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद होना शुरू हुआ है । मुझे शाम को ५ मिनट पहले बोलने के लिये समय दिया गया है । राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार की नीतियों के बारे में प्रत्येक विभाग पर रोशनी डालते हुये उद्योग और कृषि पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । हमें और, सरकार को मिल करके देश में कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहिये । बड़ी बड़ी योजनायें जाकर जिलों में अधूरी रह जाती हैं सिंचाई की तकावी के लिये जब लोग ब्लाक में जाते हैं तो तरह तरह की कठिनाइयां होती हैं । जब पटवारी के पास जाते हैं तो वह २ रुपये फर्द के मांगता है । और उसके साथ कहता है कि १०० रुपये और जमा करो तब तकावी मिलेगी । अभी एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं बैल लेना चाहता हूं लेकिन मेरे पास रुपया नहीं है । मैंने कहा कि तुम तकावी ले लो । जब तकावी का फार्म भर कर ले गया तो फर्द की जरूरत पड़ी । तब वह पटवारी के पास गया । पटवारी

ने कहा कि दो रुपये फी फर्द के दो और सौ रुपये और जमा करने पड़ेंगे । काश्तकार ने कहा कि मेरे पास सौ रुपया होता तो मैं तकावी लेने के लिये क्यों आता ? उसने मेरे पास शिकायत की मैंने तहसीलदार धामपुर, जिला बिजनौर को रजिस्ट्री चिट्ठी लिखी कि अमुक काश्तकार को लेखपाल से फर्द दिलवाओ । एक महीने तक तहसीलदार साहब ने कोई परवाह नहीं की । उसके बाद एक पत्र लखनऊ में लिखा गया तहसीलदार साहब को कि आपने काश्तकार को फर्द दिलवा दी होगी । उसकी भी परवाह नहीं की गई । जब मैं अपने जिले में गया तो काश्तकार से पूछा कि तुम को फर्द मिली या नहीं, तो उसने कहा कि पटवारी कहता है कि तुमने दो शिकायतें मेरी एम०एल०ए० से कीं । अब उन्हीं से जा कर ले लो । उसके बाद मैंने एक मुकामी वकील को चिट्ठी लिखी कि तहसीलदार ने फर्द नहीं दिलवायी । तब उसकी इनक्वायरी शुरू हुयी यह आपकी सरकार का ढांचा है जिसकी बहुत सराहना की जाती है ।

मैं बड़े अफसोस की बात कहता हूं कि वह सीमेंट के विषय और तकावी के विषय में क्या करते हैं । दूसरा सीमेंट का मसला है । जब कोई अपना निजी कूप बनाना चाहता है तो सबसे बड़ी यह कठिनाई होती है कि उसको सीमेंट नहीं मिलता है । सीमेंट के लिये आपने तरीका बना दिया है कि कुछ सीमेंट प्लानिंग विभाग को दिया जायगा, कुछ गन्ना सोसाइटी को और कुछ पूर्ति अधिकारी को । पूर्ति अधिकारी के पास जाते हैं तो वह कहता है कि ब्लाक में जाओ, लघु सिंचाई के लिये वहां सीमेंट मिलती है । वहां जाते हैं तो कहा जाता है कि उन लोगों को सीमेंट दिया जायेगा जो हमारे यहां से तकावी लेंगे । मैंने इस संबंध में इसी हाउस में यह क्वैश्चन किया था कि क्या कोई ऐसा आदेश दिया है प्लानिंग के लोगों को जो तकावी लेंगे उन्हीं को सीमेंट दिया जायगा । पश्चिमी जिलों में कुछ अच्छी हालत है । लोग निजी कुयें बनाना चाहते हैं । वहां प्रत्येक ब्लाक में यह तरीका बरता जा रहा है कि उन्हीं लोगों को सीमेंट दिया जायगा जो तकावी लेते हैं । नियोजन मंत्री ने यह बताया कि उनका ऐसा कोई आदेश नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब कल जारी रखियेगा ।

अब हम कल साढ़े दस बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
४ फरवरी, १९६४ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तराँकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

ठेकेदार का नाम		रेट प्रति बल्ली		जमानत जमा की या नहीं
१—श्री मुन्नीलाल गुप्ता	..	*२९.३१ ७ इंच व्यास	..	जी हां
२—श्री राघवप्रसाद राय	..	२७.९३ ७ इंच व्यास	..	जी हां
३—श्री गंगाप्रसाद भारती	..	२९.०० ७ इंच व्यास	..	जी हां
४—श्री गंगाप्रसाद भारती	..	२१.०० ५ इंच व्यास	..	जी हां
५—श्री श्रीनाथप्रसाद	..	२४.०० ७ इंच व्यास		जी नहीं
६—श्री गुलाबसिंह	..	३५.०५ ७ इंच व्यास	..	जी नहीं
७—श्री त्रिभुवनप्रकाश	..	३०.०० ७ इंच व्यास	..	जी नहीं
८—श्री छेदीलाल गुप्ता	..	२९.७० ७ इंच व्यास	..	जी नहीं
९—श्री जगदीश राय	..	२८.०० ७ इंच व्यास	..	जी नहीं।

*श्री मुन्नीलाल ने बाद में यह रेट २७.२५ न० पै० प्रति बल्ली कर दिया और इसी पर उनको काम दिया गया।

बल्ली का व्यास	बल्ली की लम्बाई	बल्लियों की संख्या	प्रति बल्ली का रेट
७ इंच	२५ फुट	४५०	२७.२५
६ इंच	२५ फुट	२९०	२५.००
६ इंच	२२ फुट	१०	२२.००

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

ग्राम का नाम	अक्तूबर, १९६३ तक खर्च की गई धनराशि
	रु०
१—दुल्लापुर	८४२
२—खेलावन पुरवा	१,६२७
३—नचनी	१,९५५
४—चन्दापुर	१५,६८२
५—राजापुर	३,४५६

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८ पर)

सरजू कैनाल सर्किल की स्थापना सन् १९६१ में की गई। जिस समय इसकी स्थापना हुई इसमें चार डिवीजन काम कर रहे थे जिन के नाम निम्नलिखित हैं :

१—सरजू कैनाल कन्सट्रक्शन डिवीजन १, बहराइच

२—सरजू कैनाल कन्सट्रक्शन डिवीजन २, बहराइच

३—चित्तौरगढ़ रिजर्वायर डिवीजन, बलरामपुर

४—रिजरवायर्स कन्सट्रक्शन डिवीजन, गोंडा

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२ पर)

No. 317L(B)-61/XXIII—IB—51W-64

FROM

SRI D. C. DUBE,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

TO

THE CHIEF ENGINEER,
IRRIGATION DEPARTMENT,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, February 9, 1961.

Subject : **Lease of Canal lands**

SIR,

Irrigation (B) Department.

With reference to the correspondence resting with your letter no. 1131—IWI/VI/60/85B—3W/LEYC, dated June 22, 1960, on the subject mentioned above. I am directed to say that Government have decided that in future all canal land should be leased out in the manner indicated below :

(*a*) All canal land should be leased out on twice the Circle Rates. The lease should be for a period of five years, thereafter renewable for another five years at the option of either party.

(*b*) A lessee should not possess more than ten acres of land inclusive of the canal land proposed to be given to him.

(*c*) The land should be let out in lots of five acres.

(*d*) If a lessee sublets his land, he shall be liable to immediate ejectment. This should specifically be provided in the lease deed. It would be the specific responsibility of the Executive Engineer concerned to ensure that subletting does not occur, and if it does, immediate action is taken against the offender.

(*e*) Where there are more applicants for a piece of land than one the Executive Engineer concerned may exercise a judicious discretion, giving preference to people in the following order :

(i) Landless Harijans.
(ii) Other Harijans.
(iii) Landless labourers.
(iv) Semi-landless labourers, with less than two acres holding.

Before settling the land, the Executive Engineer should ensure that a lessee does not possess more than ten acres of land inclusive of the canal land proposed to be given to him.

2. In the Muzaffarnagar case, the Executive Engineer concerned may be instructed to resume possession of the land of those lessees who have sublet the land or possess land in excess of ten acres. This action should be taken as soon as the standing crops have been harvested which means, latest by the 15th March, 1961. It should be possible to persuade the cultivators to relinquish possession in this manner. If they resist, legal steps to oust them should be taken forthwith.

Yours faithfully,
(Sd.) D.C. DUBE,
Deputy Secretary.

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१ पर)

क्रम सं०	नाम और पता	धनराशि	ऋण का उद्देश्य
	इलाहाबाद		
१	श्री गौरीशंकर मिश्रा, पुत्र श्री सहस राम, पो० आ० सैदाबाद, इलाहाबाद ।	३००	पुत्री की शादी
२	श्री दीनबहादुर पाठक, ग्राम परसारा, पो० आ० जसरा, इलाहाबाद ।	४००	,,
३	श्री मदन लाल पुत्र काशी नाथ, दुकान नं० ५२, मीरगंज ।	४००	,,
४	श्री जगन्नाथ पुत्र पाता बख्श, पो० आ० हंडिया ..	३००	,,
	अल्मोड़ा		
५	श्री खड़क सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, पो०आ० दुनागिर । ..	४००	,,
	आजमगढ़		
६	श्री शंकर प्रसाद वर्मा, पो० आ० लखनऊ । ..	३००	,,
	बलिया		
७	श्री रामनाथ सिंह, पुत्र सरजू सिंह, पो० आ० उधारन ।	४००	,,
८	श्रीमती दुलारी देवी, विधवा महेश्वर नाथ पांडेय, पो० आ० गरवार ।	३००	,,
	बरेली		
९	श्री मोती राम, पो० आ० छतिया ।	५००	,,
	इटावा		
१०	श्री चन्द्रभान यादव, पुत्र प्यारेलाल अहीर, पो० आ० महेवा ।	३००	,,
	फैजाबाद		
११	श्री रामकरण सिंह, पो० आ० राजे सुल्तानपुर । ..	४००	,,
	फर्रुखाबाद		
१२	श्री राम स्वरूप स्वर्णकार, पुत्र बाबू राम पो०आ० सोनापात ।	४००	,,
	फतेहपुर		
१३	श्री विशनु दत्त पुत्र रनधीर, पो० आ० बिंदकी । ..	२००	,,

हमीरपुर

१४—श्री गयाप्रसाद मिश्रा, पुत्र रघुनाथ प्रसाद मिश्रा, सफीगंज।	३००	पुत्री की शादी

हरदोई

१५—श्री धनपति राय अग्रवाल, पुत्र बद्री प्रसाद अग्रवाल, पुलिस लाइन्स पुरवा।	३००	,,

कानपुर

१६—श्रीमती अम्बे रानी वर्मा विधवा स्वर्गीय बी० एन० वर्मा, १५/१६२, सिविल लाइन्स।	३००	चिकित्सा के लिये ऋण की अदायगी हेतु।
१७—श्रीमती रामावती देवी विधवा स्वर्गीय सालिगराम, पो० आ० रूरा।	३००	पुत्री की शादी
१८—श्री गनेश प्रसाद तिवारी पुत्र नौखे लाल, पो० आ० बिलहौर।	३००	,,
१९—श्री अयोध्या प्रसाद, पुत्र गया दीन, ग्राम जसवापुर। ..	३००	,,

खीरी

२०—श्रीमती सुशीला देवी विधवा स्वर्गीय चेत राम, पो० आ० राजागंज।	४००	,,

लखनऊ

२१—श्री सुरेन्द्र शर्मा, पुत्र गुलजारी लाल, ७२५ पीरपुर स्वायर।	३००	,,

मिर्जापुर

२२—श्रीमती गुलाबी देवी, विधवा स्वर्गीय डा० सीताराम लाल, पदार्थ लाल की गली, वासलीगंज।	३००	,,

मुरादाबाद

२३—श्री केशव सरन जैन, पुत्र इन्द्रभान, पो० आ० कनतारी।	३००	,,

नैनीताल

२४—श्री दान सिंह पुत्र बची, पो० आ० पहाड़ पानी। ..	२५०	,,
२५—श्री बैजनाथ प्रसाद गुप्ता, पुत्र शिव प्रसाद, पो० आ० प्रतापगढ़।	३००	,,
२६—श्री देवी शाह पुत्र हरी शाह, पो० आ० कोटाबाग। ..	२५०	,,

रायबरेली

२७—श्री गया प्रसाद त्रिपाठी, पुत्र शम्भू प्रसाद, पो० पहौरी।	३००	,,

सीतापुर

२८—श्री ईश्वर दीन गुप्ता पुत्र मेरई लाल, सा० धर्मपुर महाराजगंज।	४००	,,

सुल्तानपुर

२९—श्री अली हुसेन, पुत्र अलीजान, मैथेपुर। ..	३००	पुत्री की शादी

अन्य राज्य

३०—श्रीमती राधारानी बनर्जी, विधवा श्री सचिन्द्रनाथ बनर्जी, १३८, बिजोय कृष्ण स्ट्रीट, पो० आ० उत्तरपाड़ा, जिला हुगली (पश्चिमी बंगाल)	४००	,,
योग ..	९,९००	

अवध पदुआ संस्थान

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७ पर)

तालिका

क्रम सं०	दिनांक	अनियमिततायें जो पाई गईं	की गई कार्यवाही
१	१०-७-६३	रोडवेज बस नं० यू० एस० वी० २४०४ में केवल अपर कलास में रोशनी थी तथा सामने की बायें तरफ की रोशनी खराब थी।	फोरमैन गोरखपुर को निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक बस को भली भांति निरीक्षण करने के बाद मार्ग पर भेजें।
२	१-१०-६३	रोडवेज की बस नं० यू० एस० वी-२८३८ तथा बस नं० यू० एस० वी०-२८४१ में डेस्टीनेशन बोर्ड नहीं था।	फोरमैन तथा स्टेशन इंचार्ज को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सभी बसों पर डेस्टीनेशन बोर्ड लगा कर भेजें।
३	२०-१०-६३	(अ) रोडवेज की बस नं० यू० एस० वी०-२०९८ में हैण्ड ब्रेक ठीक नहीं था।	(अ) फोरमैन को चेतावनी दी गई।
		(ब) ए० टी० आई० वर्दी में नहीं था।	(ब) ए० टी० आई० को चेतावनी दी गई।
		(स) डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ की जीप नं० यू० एस० क्यू०-८२२९ में लगे हुए ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। 'टेल लाइट' नहीं थी तथा इन्श्योरेन्स सर्टिफिकेट नहीं था।	(स) ए० आर० टी० ओ० (इ०) गोरखपुर ने चालान कर दिया।
		(द) जिला गोरखपुर के श्री भूपेन्द्र सिंह के ट्रैक्टर--इंजिन नं० २४६००१ में 'टेल लाइट' नहीं थी तथा चालक ने कोई कागजात नहीं दिखाये। चालक के पास लाइसेंस नहीं था। ट्रैक्टर के आगे व पीछे नम्बर प्लेट नहीं थी। 'स्टियरिंग' ठीक नहीं था तथा 'डिपर' काम नहीं कर रहा था।	(द) ए० आर० टी० ओ० (इ०) गोरखपुर ने चालान करके पुलिस स्टेशन नौतनवां में बन्द करा दिया।

क्रम-संख्या	दिनांक	अनियमिततायें जो पाई गईं	की गई कार्यवाही
४	२१-१०-६३	(अ) जिला गोरखपुर के श्री किशोरीलाल की प्राइवेट कैरियर नं० यू० एस० वी० २९३६ में ७ के स्थान पर १२ व्यक्ति पाये गये।	(अ) ए० आर० टी० ओ० (इ०) ने चालान कर दिया।
		(ब) उसी जिले के श्री धनराज उपाध्याय के ट्रैक्टर नं० यू० एस० वी० २१५९ के इन्श्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं थे तथा स्टियरिंग ठीक नहीं था।	(ब) ए० आर० टी० ओ० (इ०) ने चालान कर दिया।
५	२५-१०-६३	रोडवेज की बस नं० यू० एस० वी० २१२५ में 'वेबिल', 'लाकर' में नहीं पाया गया और एक यात्री तथा दो मन सामान बिना टिकट के पाया गया।	चालक तथा परिचालक के विरुद्ध आरोप लगाये गये तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
६	३०-१०-६३	रोडवेज की बस नं० यू०एस०वी० २८४४ को 'ब्रेकडाउन' की हालत में पाया गया।	फोरमैन को निर्देश दिया गया कि भविष्य में बसों को भली-भांति चेक करके मार्ग पर भेजें।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१ पर)

सूची 'क'

जिला बुलन्दशहर के उन जगहों के नाम जिनका विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक किया जा चुका है ।

१—सराय छबीला
२—करोरा
३—औरंगाबाद
४—बिलासपुर
५—ककोरा
६—शेखपुर
७—ऊचागांव
८—दादरी
९—धरमपुर
१०—भुवनबहादुर नगर
११—सैदपुर
१२—चिटसन
१३—सहेटपुर बारी
१४—केशवपुर
१५—चोन्देहरा
१६—शिवाली
१७—धानपुर
१८—बेलन
१९—भीमपुर
२०—इमलिया
२१—केलावां
२२—शेखूपुर रारा
२३—सुरजौली
२४—धनौरा
२५—दुजाना
२६—चितौना अलीपुर
२७—खबासपुर
२८—उदयपुर
२९—धतुरी
३०—मदाना
३१—अमरपुर
३२—बरौली
३३—गिरौली
३४—धुनरी
३५—जाटपुरा
३६—अनजर
३७—उगेर सेन नागला
३८—भावला नागला
३९—कटक नागला
४०—बौन्दौर
४१—अकरबस
४२—पन्दरावल
४३—नीमचना
४४—मारपुर
४५—खरुख बारी मखेना
४६—बिरौली
४७—मखेना
४८—देविका नागला
४९—गेना गोवर्धन
५०—दौलतपुर,
५१—नरायनपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

जिला बुलन्दशहर की उन जगहों के नाम जिनको विद्युतीकरण के हेतु छांट लिया गया है :—

१—खलौर
२—खानपुर गन्ती
३—बनेल
४—बरला
५—छतारी
६—पहासू
७—बिजौली
८—जवौली
९—अमरगढ़
१०—जेवर
११—नबीनगर
१२—जहांगीरपुर
१३—जरागांव
१४—राजघाट
१५—पिलखाना
१६—कुचेसुर
१७—अहमदनगर
१८—बथुना
१९—धून मनकापुर
२०—रबूपुरा
२१—सारंगपुर
२२—खदमोहन नगर
२३—सलीमपुर
२४—औरंगाबाद चन्दौक
२५—नदला उर्फ बलका
२६—गिरोला
२७—सनखनी
२८—ढुंगरावली।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२२ एल० ए०—१९६४—८६०।